छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **सप्तदश सत्र**

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 28, शक सम्वत् 1945)

[अंक 02]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2023

(आषाढ़ 28, शक सम्वत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने नये मंत्रियों का परिचय कराएं ।

<u>मंत्रिमण्डल पुनर्गठन पश्चात् मंत्रियों का परिचय</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल में आंशिक फेर-बदल किया गया है, जिसमें माननीय टी.एस. सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री के साथ-साथ ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

उप मुख्यमंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- मुख्यमंत्री जी का आभार ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन मरकाम जी हमारे नये मंत्री हैं । (मेजों की थपथपाहट) उनके पास आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग है । दो छोटे-छोटे परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें माननीय ताम्रध्वज साहू जी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी विभाग दिए गए हैं, पहले उनके पास जितने विभाग थे, उसके अतिरिक्त हैं । (मेजों की थपथपाहट) माननीय रविन्द्र चौबे जी के पास पहले जो विभाग थे, उसके अतिरिक्त स्कूल शिक्षा और सहकारिता विभाग दिया गया है । (मेजों की थपथपाहट)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

<u>प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने हेतु नियम/शर्तें</u>

[कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

1. (*क्र. 21) श्री अजय चन्द्राकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 30 जून, 2023 की स्थिति में प्रदेश के रोजगार पंजीयन कार्यालयों में कितने शिक्षित पंजीकृत नवीन रोजगार चाहने वाले एवं रोजगार बदलने वालों के द्वारा पंजीयन कराया गया है? वर्ष 2022-23 व 2023-24

का माहवार अलग-अलग बतायें? इन वर्षो के प्रतिमाह अनुसार बेरोजगारी दर कितनी-कितनी है? यह बेरोजगारी दर किस आधार पर, किन संस्था द्वारा तय की गयी है? **(ख)** शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु क्या-क्या नियम शर्ते रखी गयी हैं? उसके अंतर्गत 20 जून, 2023 की स्थिति में कितने बेरोजगारों के पंजीयन/आवेदन प्राप्त हुये? उनमें से कितने पात्र/अपात्र हुये? पात्र बेरोजगारों को कब से किन-किन माह का, कुल कितनी-कितनी राशि का बेरोजगारी भत्ता वितरण किया जा चुका है? जिलावार, माहवार बतायें?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है। सीएमआईई प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार जनवरी, 2022 से फरवरी, 2023 तक माहवार बेरोजगारी दर की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। भारत सरकार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट जुलाई, 2021 से जून, 2022 तक के अनुसार राज्य की शहरी बेरोजगारी दर 7.2 प्रतिशत एवं ग्रामीण बेरोजगारी दर 1.5 प्रतिशत इस प्रकार कुल ग्रामीण एवं शहरी दोनों में बेरोजगारी दर 2.4 प्रतिशत है। **(ख)** शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के निर्धारित मापदण्ड **संलग्न प्रपत्र-स** अनुसार है। दिनांक 20.06.2023 की स्थिति में 1,72,553 ने बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन कराया है । दिनांक 20.06.2023 की स्थिति में 1,14,764 पात्र एवं 33,659 अपात्र हुए। प्रश्नाधीन तिथि तक माहवार जिलावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द** अनुसार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मतलब मार्गदर्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं, मंत्रियों से पूछिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा से जुड़ा विषय है । पिछले सत्र में सरकार ने कहा था कि हम सीएमआईई के आंकड़े को स्वीकार नहीं करते । मैंने पूछा था कि आपने 2 करोड़ रूपए का विज्ञापन कैसे दे दिया ? तो कहा गया कि अब दे दिया तो दे दिया । हमने नहीं दिया है, जन सम्पर्क विभाग ने दिया है । अब जब उसकी मान्यता नहीं है तो विधान सभा के उत्तर में उसको कैसे लगाया गया है ? इसमें सरकार पहले स्पष्टीकरण दे, फिर मैं आगे का प्रश्न पूछूं और या नहीं तो आप कहें, क्योंकि यह विषय विधान सभा के अंदर ही आया है कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है, हम उसके आंकड़े पर कैसे बहस करेंगे और कैसे जानकारी लेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो संस्थाएं हैं, जो बेरोजगारी आंकड़े प्रस्तुत करती है । माननीय सदस्य का प्रश्न बेरोजगारी दर के संबंध में है। हमने दोनों संस्थाओं का आंकड़ा प्रश्न के

[1] परिशिष्ट "एक"

उत्तर में दे दिया है । हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम मान्यता देते हैं या नहीं देते हैं । हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र के प्रश्न क्रमांक 406 में आपने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीएमआईई के आंकड़ों को मान्यता नहीं दी जाती । आप कहेंगे तो मैं पटल में रख देता हूं । जब मान्यता नहीं दी जाती तो उसमें बहस कैसे करेंगे । सरकार को उसको क्यों लगाना चाहिए ? पहले तो इसमें व्यवस्था आनी चाहिए । व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नकाल में नहीं होता, लेकिन चूंकि प्रश्न में यह उद्धृत है तो आप इसमें व्यवस्था दीजिए, फिर मैं आगे प्रश्न करूंगा कि हम संभावित और जिसको सरकार मान्यता नहीं देती, उसमें बहस करके विधान सभा के कीमती समय को खराब करेंगे क्या ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकारी आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो ठीक है ।

श्री उमेश पटेल :- एन.एस.एस.ओ. का आंकड़ा भी प्रस्तुत किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- my dear nephew । मैं आपसे सहमत हूं, मैं दूसरी चीजें पूछ रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इसमें माहवारी जानकारी मांगी है, हर माह की जानकारी डिटेल में मांगी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने क्या मांगा है, वह तो मैंने अभी प्रश्न ही नहीं किया है । उसमें आप उत्तर दीजिए, आप उत्तर देने के लिए सक्षम हैं, आप उत्तर देंगे, उसमें मैं सहमत हूं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दो संस्थाएं बेरोजगारी दर प्रस्तुत करती हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं । अभी मैं माननीय मंत्री जी की Efficiency पर, योग्यता पर, क्षमता पर कोई प्रश्न ही नहीं उठा रहा हूं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो बोल रहा हूं, उसको तो सुनिए । मैं अध्यक्ष जी को बता रहा हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार, अध्यक्ष जी की ओर से कुछ व्यवस्था आने दीजिए ।

श्री उमेश पटेल :- मैं अध्यक्ष जी से मुखाबित हूं । माननीय अध्यक्ष जी, दो संस्थाएं हैं, जो बेरोजगारी दर प्रस्तुत करती है या पब्लिश करती है । हमने दोनों संस्थाओं का डिटेल दिया है, हमने कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की है और मान्यता देना या नहीं देना अलग विषय है, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न पूछा है, उसके अनुसार हमें उत्तर देना है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सरकारी आंकड़ों पर पूछिए न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, यह विधान सभा की अवमानना है ।

डॉ. खूबचंद बघेल की जयंती का उल्लेख

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 19 जुलाई है और डॉ. खूबचंद बघेल जी की जयंती है और इस अवसर पर उन्हें नमन करते हैं क्योंकि उन्होंने ही पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की मांग की थी । उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट । साहब, मांग किसी ने की होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ शब्द सबसे पहले कोदूराम दलित के काव्य में आया है ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आज उनकी जयंती है, उनको कुछ तो याद कर लो।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ की मांग की धारणा उस समय भी हुई थी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, आज उनकी जयंती है, इसलिए उनको स्मरण कर दे रहा हूं। आपको उसमें भी तकलीफ है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है। तकलीफ नहीं है, प्रश्नकाल में यह उल्लेख हुआ, इसलिए तकलीफ है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। खूबचंद बघेल जी के जयंती के अवसर पर पूरा सदन उन्हें नमन करता है। मैं सदन की ओर से उन्हें प्रणाम करता हूं। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस छत्तीसगढ़ के स्वप्नदृष्टा निश्चित रूप से खूबचंद बघेल जी थे, हम उनको नमन करते हैं, उनके श्रीचरणों को प्रणाम करते हैं। लेकिन खूबचंद बघेल जी के उन सपनों को किसी ने साकार किया है, तो अटल बिहारी बाजपेयी जी ने किया था। (प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नाम नहीं पुकारा तो भी मैं खड़ा हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, खड़े हो जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- खड़ा हो गया हूं। मान लो कोई अन्य सदस्य भी प्रसन्नता व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय :- सरकारी आकड़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर प्रश्न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- यानि आप अभी सरकार को कोई निर्देश नहीं देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- , मुझे निर्देश देना होगा तो मैं दे दूंगा। अभी 3 दिन में कितना निर्देश दूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रायवेट आकड़ा हो या सरकारी आकड़ा हो, मैं

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दोनों में बहस करूंगा। जब विधानसभा के पटल में आ गया है तो मैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए पूछ रहा था। माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताने का कष्ट करें कि पंजीकृत बेरोजगार को चयन करने की प्रक्रिया क्या है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो रोजगार कार्यालय है, वहां बेरोजगारों के लिए कोई रोक-टोक नहीं है। बेरोजगार आते हैं, वह अपना पंजीयन कराते हैं। उनके चयन करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। जो भी बेरोजगार आता है, अपना पंजीयन कराता है और 3 साल तक उसका पंजीयन जीवित रहता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उत्तर दिया है, लेकिन मैंने कहा कि रोजगार हेतु जो पंजीयन कराते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है ? आप रोजगार का पंजीयन नहीं करते अपितु रोजगार चाहने वालों का पंजीयन करते हैं। तो रोजगार चाहने वालों के चयन करने का मापदण्ड क्या है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब बेरोजगार, रोजगार नहीं चाहता है, आप यह बोल रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, नहीं। आपने उत्तर दिया है। रोजगार चाहने वालों को पंजीकृत करने के चयन के मापदण्ड क्या हैं ?

श्री उमेश पटेल :- भैया, वही तो है। जो बरोजगार है, वही रोजगार चाहेगा। जिसके पास रोजगार है, वह नया रोजगार क्यों चाहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, तो उसके मापदण्ड क्या हैं ?

श्री उमेश पटेल :- मैंने आपको बताया है कि हमारा रोजगार कार्यालय ओपन है। वहां कोई भी आयेगा और अपना पंजीयन करायेगा और 3 साल तक उसका पंजीयन जीवित रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो उसके लिए शिक्षा, उम्र का कोई मापदण्ड नहीं है ?

श्री उमेश पटेल :- जो रोजगार कार्यालय है, वहां व्यक्ति आयेगा, उसमें जो मापदण्ड दिया गया है, उस मापदण्ड के अनुसार पंजीयन करायेगा और मापदण्ड में आयेगा, वह पंजीयन जीवित रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- सर, मैंने वह बात सुन ली। आपकी प्रशंसा भी कर दी। मैंने यह कह रहा हूं कि जो मापदण्ड में आयेगा वह पंजीयन करायेगा। लेकिन उसके उम्र, शिक्षा, व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है ? खुला बाजार है ? मैं वहां जाऊंगा तो मैं भी करवा सकता हूं क्या ? मैं यह पूछ रहा हूं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नवंबर के बाद ये भी पंजीयन करा सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- थोड़ा बैठ ना, तोला गंभीर बात समझ नहीं आवय। जो पंजीयन कराने वाले इच्छुक व्यक्ति का कोई मापदण्ड होगा ? वह बता दीजिये। उसकी उम्र होगी, शिक्षा होगी, जात होगा, समाज होगा, हम एस.टी/एस.सी. को इसमें विशेष छूट देते हैं, उम्र, या किसी में छूट देते हैं, यदि कोई ऐसी चीज हो तो बता दीजिये, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को फायदा होगा।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इसके लिए कोई योग्यता या जाति का इस प्रकार का कोई मापदण्ड नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को बेरोजगार समझता है, वह आता है और अपना पंजीयन कराता है।

अध्यक्ष महोदय :- वह कोई फार्म तो भरता होगा भैया ? फार्म में कुछ-कुछ होगा। उम्र क्या है, क्या-क्या पढ़ा है, वह तो होगा ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, वह काई मापदण्ड नहीं है। वह just detail है।

अध्यक्ष महोदय :- वह detail देता है न।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- Chandrakar ji is very confused. It is very clear any person, whoever passes matric pass, he regestered in rojgaar office.

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, अब आप मुझे कहेंगे कि आगे हुल्लड़ मत कीजिये। हम लोग बोलते हैं तो हुल्लड़ शब्द इस्तेमाल होता है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने हुल्लड़ शब्द नहीं कहा।

श्री अजय चन्द्राकर :- इधर से इस्तेमाल हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कह रहा हूं कि मंत्री जी मापदण्ड नहीं तो कोई भी शब्दावली इस्तेमाल कर लें, उम्र, शिक्षा, समाज इसका कोई मापदण्ड है ? यदि नहीं है तो क्या मैं वहां जाकर अपना पंजीयन करवा सकता हूं ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, जब से हमर सरकार नवा-नवा योजना चलावत हे, तब ले ये मन के आय-बाय-साय हो गय हे।

डॉ. विनय जायसवाल :- मंत्री जी को इनके लिए नवंबर के बाद प्रावधान करना पड़ेगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, नवम्बर के बाद वाला मंत्री जी को प्रस्ताव करना पड़ेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- एक्सपायरी लोगों का रोजगार कार्यालय में कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि कोई मापदण्ड नहीं है, जो अपने आपको बेरोजगार समझता हो...।

अध्यक्ष महोदय :- क्या माननीय चन्द्राकर जी रोजगार दफ्तर में जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं ? आपका उत्तर सीधा-सीधा है, नहीं तो नहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन इनको नवम्बर के बाद निर्देशित किया गया है और नवम्बर के पहले पंजीयन रख रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तुम खड़े हो गये तो यह बता दो कि (X X)[2] नहीं हो, यह आपको कैसे पता चला ? (व्यवधान)

---

[2] (X X) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- घोर आपत्तिजनक है । (व्यवधान)

डॉ. रश्मि आशीष सिंह :- यह शब्द आपत्तिजनक है, इसे विलोपित किया जाये । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- (X X)

एक माननीय सदस्य :- यह बेहुदा बयान है, माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रश्न से भटक रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. विनय जायसवाल :- इतने सीनियर सदस्य के बारे में ऐसा बोल रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, माफी मांगनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं । (व्यवधान) माफी मांगने के लिये बोलिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सीधा प्रश्न करिये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल बंद करें । यह सदन में बोलने का शब्द नहीं होता है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो अपना बयान कबूल किया ....। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिये, बैठिये । सदन की यही शब्द बोलने की परम्परा है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं अपने होकर नहीं बोल रहा हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल का सदुपयोग करिये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- (X X)

एक माननीय सदस्य :- मर्यादा तो होनी चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिये । मैं खड़ा हूँ बैठिये । प्लीज । हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर को यहां मान्यता दे दी है, फिर भी आपने जो (X X) शब्द कहा है, उस संबंध में जितनी भी बातें हैं, उसको मैं विलोपित करता हूँ । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इन्होंने सदन में यदि बोला है तो विलोपित के साथ हीं माफी मांगे । यह बहुत गंभीर बात है ।(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित हो गया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- (X X)

श्री अजय चन्द्राकर :- (X X)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जब तक माफी नहीं मांगते, बात करने लायक नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- (XX)

श्री बृहस्पत सिंह :- भरी सदन में ऐसे शब्द का इस्तेमाल कैसे किया । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यदि उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है..। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- (XX)

श्री शिवरतन शर्मा :- जब कोई व्यक्ति भाषण में कोई बात कहता है, उसको यदि कोड किया जाता है तो उसमें क्या बुरा है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनेंगे ।(वयवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आखिरी सत्र है । आप लोग सदन का समय जाया न करें । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- (XX)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया भईया, आप प्लीज बैठ जाईये । आप अनावश्यक डिस्टर्ब मत करिये ।(व्यवधान)

श्री अमरजीत जी :- चन्द्राकर जी, आप अनावश्कय पुरूषार्थ में प्रश्नचिन्ह खड़ा मत करो । आप अगर हैं तो जाकर देख लें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, प्लीज ।(व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, आप शासन को निर्देशित कर दें । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं तो उत्तर देने वाला था, आप तो कुछ और बोल दिये ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- और आप पीछे इशारा कर दिये, खड़ा होने को ? (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैंने क्या किया, आप कुछ भी बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप चाचा भतीजा बनकर एक दूसरे को ईशारा मत कीजिए । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं इशारा वगैरह नहीं किया अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी तरफ देख रहा था और अचानक से इन्होंने क्या कह दिया कि ऐसा हो गया?माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में इसी तरह का कोई मापदण्ड है नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं ? क्या रोजगार कार्यालय में जो फॉर्म भरने के लिये दिये जाते हैं, यदि उसमें कुछ कमी है तो आप सुधार सकते हैं ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, वह डिटेल है। डिटेल के मापदण्ड और डिटेल में अंतर है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको सुधारने का अधिकार आपको है या भारत सरकार को है ?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, हमें अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। चलिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि अजय चंद्राकर जी जायेंगे तो उनका भी पंजीयन होगा, लेकिन मेरा निवेदन है कि वह पंजीयन न करवायें। अभी वह वर्तमान में विधायक है इसलिये अच्छा मैसेज नहीं जायेगा। अजय जी, वैसे आपको कोई रोक नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करके इसे व्यपगत कर रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी।

अध्यक्ष महोदय :- सुन लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी, आपको कोई रोक नहीं है लेकिन मेरा निवेदन है कि आप मत करवाईयेगा, इससे अच्छा मैसेज नहीं जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है। मैं पंजीयन नहीं करवाता। आप यह बताईये कि उधर बड़े-बड़े विद्वान भी बैठे हैं, यहां पूरा सदन है। यह बेरोजगारों के साथ जो बात हो रही है, यह अच्छी बात नहीं है। मेरी भर्ती की उम्र तय है। आपने राज्य शासन की भर्ती में 35 साल, 37 साल तक उम्र की छूट दी है और पी.एस.सी. में भी उम्र की छूट दी है। यदि पी.एस.सी. की भर्ती नहीं हुई तो आप उसमें भी छूट दिये हैं, उसकी उम्र तय है कि इतनी उम्र तक आपको नौकरी दी जा सकती है। परंतु बेरोजगारी के पंजीयन के लिए कोई उम्र तय नहीं है। यह क्या हास्यास्पद बात है। थैंकयू, थैंकयू।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं। एक नंबर में, सितंबर, 2022 में इन्होंने सी.एम.आई.ई.ई. के आंकड़े जारी किये हैं। आप चाहे तो चार्ट खोल लीजिये। उसमें और इस चार्ट में देखिये कि सितंबर 2022 में 19 लाख 18 हजार 295 बेरोजगार हैं और सी.एम.आई.ई.ई. के अनुसार बेरोजगारी एक प्रतिशत बता रहे हैं, जबकि इसमें 19 लाख 18 हजार 295 बेरोजगार हैं। अब फिर फरवरी, 2023 में इन्होंने सी.एम.आई.ई.ई. के आंकड़े के अनुसार बेरोजगारी दर 0.8 प्रतिशत जारी की है। अब आप फरवरी, 2023 के उधर देख लीजिये, उसमें 18 लाख 51 हजार 93 लोग बेरोजगार हैं। अब इसके अंतर को यदि घटाये तो दोनों चार्ट में से कौन-से आंकड़े सही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य यह है कि यदि 19 लाख और 18 लाख को घटा दें तो लगभग 2 लाख 77 हजार लोगों को सरकार ने नौकरी दी। मैं दूसरा तथ्य आपके ध्यान में ला देता हूं कि कैसे मजाक हो रहा है। आज की प्रश्नोत्तरी में शिवरतन शर्मा जी का 10वें नंबर में एक प्रश्न है। मैं पढ़ रहा हूं, विभिन्न विभागों द्वारा 22 हजार 154 पद विज्ञापित किये गये और 33 हजार 348 व्यक्तियों को शासकीय सेवाओं में नियुक्तियां प्रदान की गयी। समथिंग 22 हजार पद के लिये विज्ञापन हुआ और 33 हजार समथिंग को नौकरी दी गयी है, यह इसी प्रश्न के उत्तर में लिखा है। अब यदि सी.एम.आई.ई.ई. के यह आंकड़े सही है तो बेरोजगारी दर तो शून्य है फिर आप उसी महीने में 19 लाख बेरोजगारों की संख्या

दर्ज करवा रहे हैं। फिर इसके हिसाब से आपने लगभग 2 लाख 77 हजार लोगों को नौकरी दे दी है। आपने 2 लाख 77 हजार लोगों को किसमें नौकरी दी है, यह बता दें ? जब उतने विज्ञापन हुए ही नहीं हुए हैं तो आपने किसमें 2 लाख 77 हजार लोगों को नौकरी दे दी ? आखिर यह क्या लफड़ा है ? इसको बता दें। दोनों में से कौन-सी बातें सही है ? इन दोनों में अंतर है।

श्री उमेश पटेल :- चंद्राकर जी, आप सुनिये तो जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो ऐसी चीजों को कंपेयर करना जो एक दूसरे से in a way तो लिंक है but दोनों की प्रक्रिया अलग-अलग है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक सेकंड सुन लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- आपने पूरे 5 मिनट बोला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। मेरा एक आग्रह है कि आप इसका उत्तर दे दें। मैंने इसीलिये पूछा कि मैं किसमें बहस करूं ? फिर मैंने कहा कि मैं दोनों में बहस करूंगा क्योंकि दोनों बेरोजगारी के आंकड़े बता रहे हैं तो दोनों में तो कंपेयर होगा ही।

अध्यक्ष महोदय :- विद्वान सदस्य, मंत्री जी का जो उत्तर है, आप उसको तो सुन लीजिये।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में कोई भी पंजीयन तीन साल तक जीवित रहता है, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि रोजगार कार्यालय में आज कोई पंजीयन कराया है तो वह तीन साल बाद अपने आप समाप्त हो जायेगा और जो पंजीयन समाप्त हुआ है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि उसको रोजगार मिला ही है। यह वह अच्छे से जानते हैं लेकिन ट्विस्ट करने की उनकी शुरू से आदत है। दूसरा, सी.एम.आई.ई.ई. ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, हम उसके अनुसार न्यूनतम बेरोजगारी दर पर है और एन.एस.एस.ओ., जो केन्द्र सरकार की संस्था है, उसका भी जो बेरोजगारी आंकड़ा है, वह in a way सी.एम.आई.ई.ई. के आंकड़े से मेल खाता है। क्या वह यह कहना चाहे रहे हैं कि केन्द्र सरकार ने जो सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत किया है, वह गलत है ? यदि वह इस बात को मानते हैं तो फिर इसमें आगे डिस्कशन करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक लाईन कहना चाहता हूँ। आपने दो आंकड़े दिये हैं। क्या जो लगभग 19 लाख दिया है, वह एक प्रतिशत होता है। जो लगभग 18 लाख दिया है, वह 8 प्रतिशत होता है। आप किसको स्वीकार करते हैं, किसको मापदण्ड देते हैं और आपने जिस आधार पर इसको लगाया, वह आधार बताईये और उसकी स्वीकारोक्ति बताईये? आप इधर-उधर का उत्तर मत दीजिए। मैंने इसीलिए पहले पूछा कि आप किस आधार पर मानते हैं? आपने 1 प्रतिशत और 8 प्रतिशत में दो करोड़ रूपये का विज्ञापन दे दिया। आपका आंकड़ा 18 लाख और 19 लाख बोलता है। इतना कितना है ? आप छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप रोजगार कार्यालय का पंजीयन किसी बेरोजगारी दर निकालने वाली मेथोलॉजी से कंपेयर नहीं कर सकते। सीएमआईई की अपनी मेथोलॉजी है।

एन.एस.एस. ओ. का अपनी मेथोलॉजी है। एक सेकण्ड आप मेरी पूरी बात सुनिए। वह अपनी मेथोलॉजी से निकालते हैं। रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है, उसमें कोई रोकटोक नहीं है। उसकी सीमा है, 3 सालों तक वह पंजीयन जीवित रहता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको हमेशा अलग लगेगा। आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा। मेरा आखिरी प्रश्न है।

श्री उमेश पटेल :- आप खुद इस विषय को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन यह मेरा आखिरी प्रश्न है और आपके विवेक पर छोड़ते हुए, मेरा आखिरी प्रश्न है। आपने यहां एक तो अपनी पीठ थपथपने के लिए सीएमआईई प्राईवेट लिमिटेड को लगवाया क्या ? आप जिसको स्वीकार कर चुके थे कि हम इस संस्था को मान्यता नहीं देते। इसमें इसे फिर किसलिए लगाया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि आप उसमें निर्णय लीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुमति लेकर दूसरी बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपका आखिरी प्रश्न नहीं था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यदि सरकारी आंकड़ों को मानते हैं जो इस प्रश्न के परिशिष्ट में टेबल लगा है तो आपने सितम्बर महीने में केन्द्रों में 1918295 जीवित पंजी में रोजगार इच्छुकों की संख्या है आपने जो सीएमआईई का आंकड़ा दिया है उस समय फरवरी महीने में 1851093 संख्या है। इसमें 2 लाख 77 हजार का अंतर है। मैं सरकारी आंकड़े पर ही बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने आपको शिवरतन शर्मा जी के एक प्रश्न का भी उदाहरण दिया। आपने 2 लाख 77 हजार लोगों में कितने लोगों को नौकरी में नियोजित किया या कितने लोगों को किस तरह के रोजगार में नियोजित किया ? मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि इन सरकारी आकंड़ों में अंतर हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी जानबूझकर घूमा-घूमाकर प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको कितने बार उत्तर दूं ? रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है, वह तीन साल तक जीवित रहता है। वह अपने आप 3 सालों के बाद हट जाता है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जातने हैं। यदि आप यह नहीं जानते हैं तो आप बोल दीजिए कि मैं इसके बारे में अनभिज्ञ हूँ। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप छोड़ दीजिए। माननीय सौरभ सिंह जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न में 23 मिनट हो चुका है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपने प्रश्न क्रमांक 10 को पढ़ लीजिए। यह तो मेरा आखिरी प्रश्न था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन होता है, वह तीन साल तक जीवित रहता है, यह आप जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- भईया, आप रहने दीजिए, छोड़िए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। इनके उत्तर से यह है कि वह व्यपगत हो गए । हमने किसी एक बेरोजगार को नौकरी नहीं दी। 2 लाख 77 हजार लोग पंजीयन से हट गये, हमने किसी को नौकरी नहीं दी। आप यह बोलिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी, व्हाईट और ब्लैक ऐसा नहीं होता। ब्लैक और व्हाईट के बीच में ग्रे होता है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी एक एन.एस.एस.ओ. कोड किया है। पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने ऐसा ही कहा था कि एन.एस.एस.ओ. कोई डाटा इकट्ठा नहीं करती और हम सीएमआईई प्राईवेट लिमिटेड से डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि उस समय आप एन.एस.एस.ओ. के डाटा को क्यों डिटेल कर रहे थे ? क्या आप यहां पर सीएमआईई के डाटा के साथ काम करेंगे या एन.एस.एस.ओ. के डाटा के साथ काम करेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए। एन.एस.एस.ओ. सरकारी डाटा है। उसको मान्यता देने की जरूरत ही नहीं है। वह सरकारी आंकड़ा है। हम सीएमआईई को मान्यता नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय :- हां, ठीक है। आप बोल दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सीएमआईई को मान्यता नहीं देते और एन.एस.एस.ओ. का डेटा तो सरकारी आंकड़ा है।

अध्यक्ष महोदय :-अब हो गया। इनकी बात सुन लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समस्या यह है कि इन दोनों आंकड़ों में फर्क नहीं आया है और माननीय चन्द्राकर जी को यह लगा था कि यह दोनों आंकड़े अलग-अलग आएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी चले गए। माननीय शर्मा जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब वह उस प्रश्न को घूमा रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस विषय में जितने प्रश्न लगे हैं अगर उनके उत्तर देखें तो हमेशा इनके उत्तरों में विरोधाभाष रहा है। आज यह पंजीकृत लोगों को बेरोजगार मान रहे थे। मेरा ही पिछले सत्र में प्रश्न था और उसमें ऑन रिकॉर्ड आपका जवाब था कि जिसने पंजीयन कराया, यह जरूरी नहीं है कि वह बेरोजगार हो।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनिए। आप प्रश्न को छोटा करिए। आखिरी दो दिन का सवाल है। इस प्रश्न में 25 मिनट हो रहे है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मेरे प्रश्न के उत्तर में इनने कहा कि 33 हजार लोगों को शासकीय नौकरी दी गई है और 22 हजार के करीब विज्ञापन जारी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है कि हमने 2 लाख 40 हजार लोगों को शासकीय नौकरी दे दी।

अध्यक्ष महोदय :- भईया, मैं आपसे यह कह रहा हूँ । आप प्रश्न को छोटा करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,हम किस आंकड़े को सही माने? आज मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 33 हजार लोगों को शासकीय नौकरी दी गई है और 22 हजार के करीब विज्ञापन जारी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण होता है कि हमने 2 लाख 40 हजार लोगों को शासकीय नौकरी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा हूं कि आप प्रश्न छोटा करिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, किस आंकड़े को सही मानें? माननीय मुख्यमंत्री का आंकड़ा अलग आता है, माननीय मंत्री उमेश पटेल जी का वक्तव्य अलग आता है। हम आखिर किस आंकड़े को सही मानें?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोगों ने एक ही प्रश्न में आंकड़े के चक्कर में सदन का आधा समय बरबाद दिया।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, फिर वही बात, आप थोड़ा सा शांत रहिये न। दो-तीन दिन का सवाल है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 मिनट एक ही प्रश्न में लग रहे हैं न।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का एक प्रश्न लगा है, मैंने जो उत्तर दिया है वह सही है। 22 हजार समथिंग के कुछ विज्ञापन जारी हुए हैं और 33 हजार लोगों को रोजगार मिला है। अलग-अलग विभाग से विज्ञापन जारी हुए हैं, आप चाहेंगे तो मैं उसकी डिटेल दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बाद में डिटेल दे दीजियेगा। सत्यनारायण शर्मा जी, प्रश्न क्रमांक- 2।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले में पूरे प्रदेश को गुमराह करने में सरकार लगी हुई है। आप लोग पूरे प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- गुमराह नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने कहा कि इतने लोगों को रोजगार दिये हैं, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आप बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप गलत उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से उत्तर गलत है। इसमें सरकार निष्पक्ष नहीं है, सरकार घुमाने वाली बात कर रही है। .. (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने वाले थे, उसका क्या हुआ ? उसका भी उल्लेख कर दीजिए न। ... (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर विभाग के अलग-अलग आंकड़े भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है, बेरोजगारों से जुड़ा हुआ विषय है। सदन में तीन प्रकार के जवाब आते हैं। मुख्यमंत्री जी जो होर्डिंग्स लगाये हैं उसमें कहते हैं कि हम 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे रहे हैं। आखिर में पंजीकृत बेरोजगार कितने हैं? इनके बेरोजगारी के मापदंड रोज बदलते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- किश्त-किश्त में दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- 16 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या ? ...(व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो मापदंड है, वह खानदानी बेरोजगार होगा, तब उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह अलग-अलग आंकड़ें ठीक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-2।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल विरोध करने के लिए विरोध करना उचित नहीं है। इन लोगों ने 15 साल तक एक भी रोजगार नहीं दिया और आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं। .. (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- शिवरतन जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक- 2।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या ? .(व्यवधान).. यह सदन को गुमराह करने के लिए जवाब दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया। प्रश्न क्रमांक-2

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शिवरतन शर्मा जी ने प्रश्न किया कि आप इतने लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं ? माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी जब यह प्रश्न उठे थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। तब हमारे

विपक्ष के सभी साथियों ने इसके ऊपर चिंता जाहिर की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे याद है आपने स्वयं ने उसमें चिंता जाहिर की थी। मैं कुछ आंकड़ें प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मेरा प्वाईन्टेड प्रश्न है। आपने स्वीकार किया है कि सबको बेरोजगारी भत्ता देंगे। ..(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जब जवाब दे रहे हैं तो आकडें तो सुनिये न।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, उसको सुनिये न।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, क्या 16 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे ?

श्री उमेश पटेल :- आप लोग उत्तर सुनिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने उत्तर में स्वीकार किया है कि 1640635 पंजीकृत बेरोजगार हैं। इतने लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या ? .. (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप लोग प्रश्न किये हैं तो उत्तर भी सुनिये।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 महीने में हमने 80 करोड़ रुपये बेरोजगार भत्ता के रूप मे दिया है। ...(व्यवधान).. हमने 3 महीने में 80 करोड़ रुपये बांटे हैं। ..(व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह 16 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- 16 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये-चलिये। प्लीज-प्लीज। बैठ जाईये। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि यह सत्र मात्र तीन दिन का है। अच्छे से चलने दीजिये। समय का सदुपयोग करिये। आपका उत्तर हो गया।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे तो फिर लंबा हो जायेगा। आधा घंटा हो गया है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक साथ पूरा उत्तर दे देता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप 16 लाख 40 हजार लोगों को बेराजगारी भत्ता देंगे या नहीं देंगे?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा से ज्यादा हो गया है।

श्री उमेश पटेल :- सुनिए तो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है। मंत्री जी, सिर्फ हां या ना में उत्तर दें। आपने स्वीकार किया है कि 16,40,635 लोग पंजीकृत बेरोजगार हैं। इनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिये क्या? मेरा प्वाइंटेड प्रश्न का प्वाइंटेड उत्तर दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मैं पूरा उत्तर दूंगा। आपको पूरा उत्तर सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां पर उनको लगता है कि इनकी पोल खुलेगी। ये लोग भड़क जाते हैं। इन्होंने 15 साल में क्या किया है ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप लोग जवाब को सुनने दो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, प्लीज।

श्री उमेश पटेल :- 15 साल में आप लोगों ने क्या किया है? आखिर 15 साल में आप लोगों ने क्या किया है?

अध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, प्लीज। ऐसा मत करिये। शर्मा जी, मैं आने वाले तीन दिनों में मैं इस तरह की कोई बातों को माफ करने के पक्ष में नहीं हूं। आप लोग शांति से सदन चलने दीजिये, व्यवस्थित ढंग से सदन चलने दीजिये। आपका उत्तर खत्म हो गया है। आप विद्वान मंत्री हैं, आप बैठ जाईये। विद्वान सदस्य बैठ गए हैं। प्रश्न संख्या 02।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने तो दीजिये। मैं पूरा उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं आपको भी बोल रहा हूं। प्रश्न संख्या 02।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मुझे पूरा उत्तर देने दीजिये। 15 साल में आप लोगों ने बेराजगारों को धोखा दिया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मंत्री जी, आप 16 लाख 40 हजार लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यदि आप मुझे अनुमति देंगे मैं पूरा उत्तर पढ़ना चाहूंगा।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों के द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये.)

श्री नारानारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश के बेरोजगारों को गुमराह कर रहे हैं। हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :
11.33 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न संख्या 02। चलिये महाराज। प्रश्न संख्या 02। प्लीज।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

<u>वर्ष 2023-24 के बजट में स्वीकृत नवीन महाविद्यालयों में पदस्थापना</u>

[उच्च शिक्षा]

2. (*क्र. 195) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में स्वीकृत नवीन महाविद्यालयों में से कितने महाविद्यालयों में विषय का निर्धारण किया जा चुका है और कितने महाविद्यालयों में अकादमिक और गैर-अकादमिक पदों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है? महाविद्यालय वार विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के महाविद्यालयों में अकादमिक और गैर-अकादमिक पदों पर पदस्थापना कब तक होगी? क्या महाविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन कार्य घोषित शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होंगे अथवा नहीं?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- (क) प्रश्नाधीन जानकारी **संलग्न[3] प्रपत्र पर** है। (ख) प्रश्नाधीन पदों पर पदस्थापना की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। महाविद्यालय में अध्यापन कार्य शिक्षा सत्र 2023-24 से प्रारंभ किया जावेगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का समाधान कर उत्तर दे दिया है। मेरे यहां दो महाविद्यालय खोल दिए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री कुलदीप जुनेजा जी।

<u>स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं का परिणाम</u>

[कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

3. (*क्र. 4) श्री कुलदीप जुनेजा :- क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध शासकीय तथा निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2023 में दिनांक 01 अप्रेल, 2023 से 13 जून, 2023 के मध्यव किन-किन विषयों के किस-किस सेमेस्टर की परीक्षा कब-कब, किस-किस तिथि पर ली गई है? (ख) क्या प्रश्नाधीन अवधि तक प्रश्न "क" में उल्लेखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं? यदि हां तो कब-कब? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हो पाने पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

[3] परिशिष्ट "दो"

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- (क) प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी **संलग्न[4] प्रपत्र** अनुसार है। (ग) विश्वविद्यालय परीक्षा लेने एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिये पूर्णतः आटोनामस है, अतः शासन स्तर से कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आदरणीय मंत्री जी ने दिया है कि विश्वविद्यालय परीक्षा लेने एवं परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूर्णत: आटोनामस है। अत: शासन स्तर से कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या आटोनामस विश्वविद्यालय की समीक्षा शासन स्तर से नहीं की जा सकती है? यह किस नियम के तहत है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा लेना और परीक्षा परिणाम घोषित करना विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र है। जहां तक सदस्य की चिंता है। 13 जून, 2023 तक कुल 23 परीक्षाएं हुई हैं। 15 जुलाई की स्थिति में 23 परीक्षाओं में से 13 परीक्षाओं का परिणाम आ चुका है। जो अन्य परीक्षाओं का परिणाम लंबित है, उसका भी परिणाम जल्द ही आ जायेगा।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से एक और प्रश्न है कि तकनीकी शिक्षा विभाग प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों का प्रशासकीय विभाग है। स्नातकोत्तर विश्वविद्यालयों के कार्यों की मॉनिटरिंग करने में क्या कठिनाई है और किस नियम के तहत है, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉनिटरिंग करने में किसी तरह की काई परेशानी नहीं है। अभी जो परीक्षाएं लिये गये हैं, वह जून में खत्म हुए हैं। अभी जुलाई चल रहा है। बहुत जल्द ही सारे परिणाम निकाल दिये जायेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- ठीक है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हैं ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ननकी राम कंवर जी । आपको पहली बार मौका मिला है, आप भी मत छोड़िए ।

<u>भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नई दिल्ली के आदेशों का उल्लंघन कर जेनरिक औषधियों को नहीं लिखने एवं क्रय नहीं करने की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

4. (*क्र. 242) श्री ननकी राम कंवर : क्या उप मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- (क) क्या मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्र क्रमांक 1305/व्ही.आई.पी./मो.म.स./2022/एम5-27, रायपुर,

[4] परिशिष्ट ''तीन''

दिनांक 14.03.2022, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के आदेशों का उल्लंघन कर जेनरिक औषधियों को नहीं लिखने एवं क्रय नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई है? (ख) यदि हां, तो दोषी कौन-कौन है एवं क्या कार्यवाही की गई है? (ग) प्रश्नांक "क" पर अगर कार्यवाही नहीं की गई है तो कार्यवाही की समय सीमा बतावें?

उप मुख्यमंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जी हाँ। (ख) जेनेरिक दवाईयां लिखने, क्रय करने व उपयोग के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 18.04.2022 द्वारा समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं । इसी तरह संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र दिनांक 25.05.2022 द्वारा समस्त अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के पत्र दिनांक 08.07.2022 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों व सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं । शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखे जाने के संबंध में विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

श्री ननकी राम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है । मुझे प्रश्न नहीं करना है ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया । डॉ. विनय जायसवाल ।

<u>मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं कोरिया जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

5. (*क्र. 253) डॉ. विनय जायसवाल : क्या उप मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी -भरतपुर एवं जिला कोरिया में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021 से दिनांक 30 जून, 2023 तक किस-किस मद में, कितनी राशि प्राप्त हुई है? मदवार, वर्षवार जानकारी देवें? प्राप्त राशि से जिले में किन-किन कार्यों के लिए या दवा, उपकरण क्रय के लिए कितनी राशि खर्च की गयी है?

उप मुख्यमंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ" एवं "ब" अनुसार।[5]

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रश्न किया था उसका उत्तर आ गया है । माननीय मंत्री जी से मेरा केवल एक निवेदन है कि जो बहुत सारे काम हैं

[5] परिशिष्ट "चार"

वे अपूर्ण हैं और कई सारे काम शुरू नहीं हुए हैं तो आप कृपया एक-बार निर्देश दे देंगे कि वे चालू हो जायें ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जल्दी से जल्दी चालू करवा देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- संतुष्ट ?

डॉ. विनय जायसवाल :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक-6, नारायण चंदेल जी ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- आप भी संतुष्ट हैं तो बैठ जाईये । (हंसी)

<u>प्रदेश में मदिरा विक्रय में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही</u>

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

6. (*क्र. 274) श्री नारायण चंदेल : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-(क) प्रदेश में वर्ष 2019 से जून, 2023 तक की स्थिति में मदिरा की कितनी देशी-विदेशी एवं प्रीमियम शॉप संचालित हैं ? प्रश्नांकित अवधि में कितनी नयी प्रीमियम शराब दुकानें खोली एवं बंद की गई ? कौन-कौन से नये शुल्क/उपकर अधिरोपित किए गए एवं हटाये गये ? कितनी राशि की, कितने लीटर देशी-विदेशी शराब की बिक्री की गई एवं इससे राज्य को कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?(ख) प्रदेश में 1 अप्रैल, 2021 से 25 जून, 2023 तक अधिक दर पर शराब बेचने, मिलावटी शराब, बिना होलोग्राम के शराब बेचने, अन्य प्रदेशों की अवैध शराब की बिक्री तथा जहरीली शराब पीने से मौत की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ? जानकारी जिलेवार उपलब्ध करावें? (ग) क्या प्रश्नांकित अवधि में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनियमितता/भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आया ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई एवं दोषियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? नाम व पदनाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में वर्ष 2019 से जून, 2023 तक की स्थिति में संचालित देशी-विदेशी एवं प्रीमियम शॉप एवं नयी खोली गयी प्रीमियम शराब दुकान तथा बंद की गई प्रीमियम शॉप की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार है। अधिरोपित किए गए नये शुल्क तथा हटाये गये शुल्क की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ब अनुसार है। विभाग द्वारा कोई उपकर की वसूली नहीं की जाती है। प्रश्नांकित अवधि में बिक्री की गई देशी/विदेशी शराब की मात्रा एवं बिक्री राशि तथा प्राप्त राजस्व की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे संशोधित प्रपत्र स अनुसार है। (ख) प्रदेश में 1 अप्रैल, 2021 से 25 जून, 2023 तक अधिक दर पर शराब बेचने, मिलावटी शराब, बिना

होलोग्राम के शराब बेचने, अन्य प्रदेशों की अवैध शराब की बिक्री तथा जहरीली शराब पीने से मौत की प्राप्त शिकायत की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र द अनुसार है, शिकायत की पुष्टि की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र इ अनुसार है एवं की गई कार्यवाही की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ई अनुसार है। (ग) प्रश्नांकित अवधि में विभाग एवं विभाग के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों तथा आबकारी आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनियमितता/भ्रष्टाचार की प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की नाम व पदनाम सहित वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र फ अनुसार है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में एक तो तीन बार संशोधित उत्तर आया है । आप सचिवालय को और संबंधित विभाग को निर्देश देने का कष्ट करें । अभी भी हाउस शुरू होने के बाद इस टेबल में संशोधित उत्तर आया है । दूसरी बात परिशिष्ट में यह स्वीकार किया गया है कि किसी प्रकार से जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी जिला वही है और मेरा भी जिला वही है । पिछले 15 मई को मेरे निर्वाचन क्षेत्र के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई । जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, मेरे पास उनके नाम हैं और शासन इस प्रकार से गलत उत्तर देता है, सदन को गुमराह करता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, हो सकता है कि वे गंगाजल पी लिये होंगे, उसमें भी मर जायेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- हमने सही में मध्यप्रदेश में गंगाजल पिलाते हुए देखा है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 मई, 2023 को जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से सेना का एक जवान नंदलाल और उसके साथ में सतीश और परसराम साहू इन 3 लोगों की मौत हुई । अकलतरा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से सतनामी समाज के सत्येंद्र बंजारे की मौत हुई । एक तो शासन का यह उत्तर गलत आया है, दूसरी बात जिस गांव में जहरीली शराब पीने से मौत हुई रोगदा में, वहां पर शासन की कोई अधिकृत शराब दुकान नहीं थी । एक किराने का दुकानदार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। वह शराब बेचता था । (शेम-शेम की आवाज) गांववाले बार-बार मना करते थे, उन्होंने शिकायत की कि यहां पर अवैध शराब बिकती है इसको बंद कराया जाये लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की मिली-जुली कुश्ती से कोई कार्यवाही नहीं हुई और 3 लोगों की मौत हो गयी । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- क्या नेता जी अधिकृत दुकान खोलने के लिये मांग कर रहे हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ननकीराम कंवर :- तोरो विभाग के आत हे गा, तें चुपचाप बइठे रही ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं तैयार हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- कांय-कांय बोलो, दूसरे के में बोलते हो न वैसे ही कांय-कांय बोलो।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शराबबंदी वाला मामला है और शराब का मामला है । सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसलिये इसकी चर्चा नहीं की जाये । चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चल रहा है इसलिये आदेश का पालन करते हुए पूरा लिखित में दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वह अलग है। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको छोड़ दीजिये । यहां शराब पीने से, जहरीली शराब से मौत हुई है कि नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर रहा है । आप जवाब दीजिये कि क्या इन्होंने जो आरोप लगाये हैं वह सही हैं या गलत हैं ?

(परिवहन मंत्री, श्री मोहम्मद अकबर के खड़े होने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने एक-बार उनको खड़ा करा दिया । या तो आप शुरू से अकबर साहब को खड़ा करवाते ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, यहां मिला-जुला मंत्रिमण्डल है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको शुरू से अकबर साहब को खड़ा करवाना था । प्लीज-प्लीज आपको शुरू से ही अकबर साहब को प्रश्न में खड़े करवाना था। आधा प्रश्न में खड़े करवाना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए मैं, कितने गंभीर सवाल को गंभीर ढंग से बोल रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त जवाबदारी है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्रिमंडल की संयुक्त जवाबदारी है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल आपको गंभीरता से प्रणाम। आपका स्वागत सब चीज। लेकिन ये प्रश्न में एक बार खड़े हो चुके हैं, इसलिए आधा प्रश्न में खड़े नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बोला न कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह शायद पूरे देश में संसदीय परंपराओं के विरूद्ध होगा कि एक प्रश्न का जवाब अलग-अलग विभाग के दो मंत्री दें। आपके कहने पर हम लोग इस बात के लिए तैयार हो गये कि उनकी जगह अकबर जी जवाब दें, परंतु जब पहले आबकारी मंत्री खड़े हो गये तो उन्हीं के द्वारा पूरा जवाब आये तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा, नहीं तो यह संसदीय परंपराओं के विपरीत होगा।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने यह सोचा है कि ये जो शराब का मामला है, उसमें अभी कोई स्थगन वगैरह आया है, उतना कहकर वे शांत हो गये होंगे बाकि इन्हें पता होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे सहमत हैं। अगर वे शुरू से जवाब देते तो..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्लीज बैठिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे के प्रश्न में तो बहुत खड़े होते हैं। बहुत काय-काय करते हैं। खुद के प्रश्न में तो खड़े होना चाहिए। दूसरे के प्रश्न में तो कैसे कूदते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बदला मत लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम आपके आदेश को शिरोधार्य करते हैं, परंतु आप थोड़ा सा परंपराएं न टूटे, नियम न टूटे, इस बात की चिंता करें तो वह हमारे सदन के लिए ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा।

अध्यक्ष महोदय :-जी-जी। कर रहे हैं। जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके लिए आपने माना, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। यह शराब वाला मामला है। इसमें जहरीली शराब पीकर नहीं मरा है, दवाई पीकर मरा है। जो उल्लेख कर रहे हैं, उसमें जहर खाकर मरा है।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा। आपने जांच करा लिया?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, पोस्टमार्टम हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- डॉक्टर की रिपोर्ट आ गयी?

श्री कवासी लखमा :- जी, उसमें जहर खाकर मरा है, शराब पीकर नहीं मरा है। जो किराना दुकान चला रहा था, थोड़ा बहुत बिक रहा था, उसके ऊपर कार्यवाही हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया?

श्री कवासी लखमा :- हो गया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, 2 तरह के उत्तर आ रहे हैं। ये घोर आपत्तिजनक है। माननीय अध्यक्ष जी, यह समाचार पत्र की कटिंग है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें तो मूल प्रश्न ही गायब हो जायेगा। मैंने आपको बताया कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई। वहां का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पर शराब बेच रहा था। ग्राम रोगदा में। गांव वालों ने शिकायत की थी कि यहां पर नकली शराब बेचा जाता है। किसी दिन भी ऐसी कोई घटना हो सकती है, लेकिन आबकारी विभाग ने और पुलिस विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की और उसकी जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। आप उसे जहर में तब्दील मत करिए। नकली शराब वैसे भी जहर है। क्या गांव के दुकान में जहर बिकता है? और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आयी है और क्या लिखा है? यह बताइए।

श्री कवासी लखमा :- क्या आपके पास है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? अध्यक्ष जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वह जहरीली दवाई पीकर मरा है, यह सच्चाई है। जो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बोल रहे हैं न, वह कांग्रेसी

कार्यकर्ता नहीं है, बी.जे.पी. का कार्यकर्ता है। लेकिन वह शराब कभी-कभी बिक रहा था, उसके ऊपर कार्यवाही हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए और कुछ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जहरीली शराब पीने से मौत का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए आप विद्वान सदस्य हैं। मेरी बात तो सुनिए।

श्री नारायण चंदेल :- मैंने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आयी है? उसमें लिखा क्या है? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में अगर जहर आया है तो उसी को मानना चाहिए। पेपर में छपे हुए कटिंग को नहीं मानना चाहिए। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सरकार को स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं नेता प्रतिपक्ष जी को सुन रहा हूं। मुझे सुनने दीजिए न।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- पी.एम. रिपोर्ट में कौन सी दवाई है, उसका नाम बता दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी, आप बोलिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, ये जो मरे हैं, वे जहर पीकर मरे हैं। शराब दुकान से शराब नहीं पीया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- पोस्टमार्टम में कौन सा जहर आया है?

श्री कवासी लखमा :- डॉक्टर बता सकेगा, मैं डॉक्टर थोड़ी न हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- और डॉक्टर ने पी.एम. रिपोर्ट में खुलासा भी किया है। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, वह जहर पीकर मरा है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो इसे कल के लिए रख दिया जाये। यह उचित नहीं है। अगर सरकार के पास उत्तर नहीं है तो इसे कल के लिए रखा जाये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक सैनिक का अपमान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह दवाई खाकर मरा है। मंत्री जी एक सैनिक का अपमान कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- सेना के जवान का अपमान कर रहे हैं। हंसी-मजाक बनाकर रख दिये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- सेना के जवाब का अपमान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वह दवाई खाकर मरा है, ये सेना के सैनिक का अपमान कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- पूरे देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। अगर जहर पीकर मरा है तो सेना का अपमान नहीं कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है।

श्री सौरभ सिंह :- जहर पीकर नहीं मरा है। आपकी जहरीली शराब पीकर मरा है। आप सेना के सैनिक का अपमान कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- जहर पीकर मरा है, हम लोगों ने थोड़े ही पिलाया है। आप फालतू बात मत करिए।

श्री सौरभ सिंह :- जहर पीकर नहीं मरा है, आपकी जहरीली शराब से मरा है । आप एक सैनिक का अपमान कर रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- जहर पीकर मरा है, हम लोगों ने थोड़े ही पिलाया है । फालतू बात मत करना ।

श्री सौरभ सिंह :- आप सेना के सैनिक का अपमान कर रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है तो इस प्रश्न को कल के लिए रख लिया जाए । पूरी जानकारी मंगा लें। यह घोर आपत्तिजनक है ।

अध्यक्ष महोदय :- रोज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह आपत्तिजनक है कि जहरीली शराब को जहरीली न मानकर दवाई कहें ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं दवाई अलग है ।

श्री कवासी लखमा :- मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दुकान की दारू नहीं पिया है । सरकारी दुकान से दारू नहीं पिया है, जहर पीकर मरा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, यह बहुत गलत परम्परा शुरू हो गई है और इससे पूरे छत्तीसगढ़ की बदनामी होगी । अगर कोई जहरीली शराब बनाएगा तो उसको दवाई बता देंगे । यह क्या हो रहा है, यह तो मजाक हो रहा है ।

श्री कवासी लखमा :- सेना का आदमी हो या आम आदमी हो, यह दवा पीने से तो वह मर जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी यह बताने को तैयार नहीं है कि कौन सा जहर था, कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं । यह छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है । जब शराब की दुकानें सरकार चलाती है तो पूरी सरकार के ऊपर अपराध दर्ज होना चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- यह तिल का ताड़ बनाना बंद करो ।

श्री ननकीराम कंवर :- अध्यक्ष महोदय, अगर बीजेपी का आदमी है तो उसको बंद करो, क्यों नहीं करते ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक है, जहरीली शराब को जहर बताना । अपनी गलतियों को छिपाना और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में कौन सा जहर पाया गया, यह भी नहीं बताना । यह कहना कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, यह सदन का मजाक है । आपके नेतृत्व में सदन में ऐसा मजाक नहीं होना चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- उसने कोई दवा पिया और मर गया, उसने हमारी दारू दुकान से दारू पिया ही नहीं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर ने पी.एम. किया है और उसने जहर पाया, तो रिपोर्ट में जहर ही तो लिखेगा ना ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट आई है क्या, अगर आई है तो कब आई है ? उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या लिखा है ? अगर जहरीली शराब से चार-चार लोगों की मौत हुई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ इस सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है ?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, कोई जिम्मेदार नहीं है । न उसने दारू दुकान से लेकर पिया है और न ही वह दारू पीकर मरा है । वह दवाई पीकर मरा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जिसने पिया वह खुद जिम्मेदार है । इसमें हमारी दुकान का या आबकारी विभाग का कोई रोल नहीं है ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, अगर सदन इसी तरीके से चलेगा । चार-चार लोगों की मौत हुई और सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं आया । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह चार-चार लोगों का मरना, सामूहिक आत्महत्या है।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की जांच कमेटी से इसकी जांच कराएंगे क्या, आप सरकार को निर्देशित कीजिए ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, इसकी जरूरत नहीं है । वह दुकान की दारू पीकर मरा ही नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक होता तो मान भी लेते, चार लोग ऐसे ही मरे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, चार-चार लोगों की मौत हो गई और दोषी कोई भी नहीं है, यह कैसे संभव हो सकता है ?

श्री नारायण चंदेल :- इस गंभीर विषय की जांच सदन की समिति से कराने की घोषणा कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, गंभीर विषय है यह मैं भी समझता हूं और इसका पूर्ण उत्तर नहीं आया, यह भी समझता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसका पूरा जवाब मंगाकर कल सदन में रख दें, ठीक है । (मेजो की थपथपाहट)

प्रदेश में संचालित शराब दुकानें

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

7. (*क्र. 277) श्री शिवरतन शर्मा: क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में कुल कितनी देशी/विदेशी/प्रीमियम शराब दुकान, किन-किन प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा संचालित हैं? इसमें प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा कितने कर्मचारियों को, किस-किस पदों पर रोजगार दिया गया है ? क्या इनमें सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हैं? **(ख)** प्रदेश की शराब दुकानों में किस-किस प्रकार के कर लगाये जा रहे हैं और उक्त करों को लगाने का कारण क्या था? करों को लगाने से शराब के मूल्य में कितने रूपए की वृद्धि हुई है? क्या दिनांक 25 जून, 2023 तक भी करों की वसूली जारी है? **(ग)** पूर्ण शराबबंदी हेतु कितनी समितियां बनाई गयी हैं तथा उनके द्वारा क्या रिपोर्ट, किस-किस तिथि को विभाग को सौंपी गयी है? प्रश्न दिनांक तक समितियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी? तिथि वार जानकारी प्रदान करें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) प्रदेश में कोई भी शराब दुकान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संचालित नहीं की जा रही अपितु छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 178 देशी मदिरा दुकान, 162 कम्पोजिट मदिरा दुकान, 304 विदेशी मदिरा दुकान एवं 27 प्रीमियम शॉप का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से नियोजित कर्मियों की पदवार संख्या की जानकारी संलग्न [6]**प्रपत्र अ एवं ब** अनुसार है। उक्त सभी नियोजित कर्मचारी छत्तीसगढ़ के निवासी है। **(ख)** प्रदेश की शराब दुकानों से शराब विक्रय में लगाये गये विभिन्न कर एवं उसके लगाये जाने का कारण तथा करों को लगाने से शराब के मूल्य में हुई वृद्धि की जानकारी संलग्न **प्रपत्र स** अनुसार है। उक्त करों की वसूली दिनांक 25 जून, 2023 तक जारी है। **(ग)** मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 01.01.2019 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश में शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रदान करने हेतु विभिन्न 3 समितियों क्रमशः राजनैतिक समिति, प्रशासनिक समिति एवं सामाजिक संगठनों की समिति गठित है। श्री सत्यनारायण शर्मा, माननीय विधायक, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की अध्यक्षता में गठित राजनीतिक समिति की प्रथम बैठक दिनांक 19.08.2019, द्वितीय बैठक दिनांक 23.08.2021, एवं तृतीय बैठक दिनांक 16.08.2022 सम्पन्न हुई है। सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.10.2019 तथा द्वितीय बैठक दिनांक 15.11.2021 को सम्पन्न हुई है। सचिव, आबकारी विभाग के संयोजन में गठित सामाजिक समिति की प्रथम बैठक दिनांक 29.09.2021 सम्पन्न हो चुकी है। श्री सत्यनारायण शर्मा, माननीय विधायक, रायपुर ग्रामीण

[6] परिशिष्ट ''पांच''

विधान सभा क्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक 21.01.2023 से दिनांक 24.01.2023 तक गुजरात राज्य का एवं दिनांक 08.03.2023 से दिनांक 12.03.2023 तक बिहार राज्य का अध्ययन भ्रमण किया गया है। समितियों द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन उपरांत उनकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी, समितियों की अनुशंसानुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में यथेष्ठ निर्णय लिया जावेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने विशेष आबकारी शुल्क और अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया जाना स्वीकार किया है । यह विशेष आबकारी शुल्क को आपने 23.03.2021 को हटा दिया । अतिरिक्त आबकारी शुल्क गौठान के लिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अभी भी लग रहा है। इसके चलते छत्तीसगढ़ के मदिरा प्रेमी, शराब प्रेमियों को पव्वा पीछे 20 रूपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं । 10 रूपए गौठान के नाम पर और 10 रूपए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के नाम पर ज्यादा देने पड़ रहे हैं । पव्वा में 20 रूपए बढ़ गए । जब कोराना का समय था तो उसमें भी 10 रूपए लगे थे, इस तरह 30 रूपए ज्यादा देने पड़ रहे थे । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विशेष आबकारी शुल्क में कुल कितने रूपए का कलेक्शन हुआ और अतिरिक्त आबकारी शुल्क में गौठान और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए कितना-कितना कलेक्शन हुआ ? आबकारी विभाग ने इस संग्रहित राशि को संबंधित विभागों को कब भेजा ?

अध्यक्ष महोदय :- आप किससे जवाब सुनना चाहेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, आप जिससे जवाब दिलवा दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जिनसे दिलवा दें।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, हम लोग गौठान के लिए, शिक्षा के लिए 10 रूपये ज्यादा ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। वे कह रहे हैं कि कितना पैसा आया, आपके पास उनकी जानकारी है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, तीनों के लिए कितना-कितना पैसा आया, और विभाग को कब दिया गया, यह बता दें ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं वही पूछ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न को सरल कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी-जी।

श्री रामकुमार यादव :- देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के कीमत बढ़त हे, तेखरों का होवत हे भैया हो।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, वर्ष 2020-21 में 216 करोड़ रूपए आया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। वे कह रहे हैं कि पैसा गया या नहीं गया। जिस विभाग के लिए पैसा आया था, वह गया या नहीं, यह भी पूछ रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, पैसा देने का अधिकार विभाग को है। हम लोगों ने विभाग को राशि दे दी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बहुत प्वाईंटेड प्रश्न किया है। यह तीनों मद में कितनी-कितनी राशि का कलेक्शन हुआ और कलेक्शन होने के बाद संबंधित विभाग को कितनी-कितनी राशि कब-कब भेजी गयी ? मेरा बहुत प्वाईंटेड प्रश्न है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, मैं बार-बार बोल रहा हूं, वर्ष 2020-21 में 216 करोड़ रूपये गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नोट किया जाए, यह विशेषाधिकार बनेगा, क्योंकि यह उत्तर दूसरा है, मैं प्रमाण दूंगा। आज शाम को प्रमाण दूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, 216 करोड़ रूपये दिया गया। मैंने इसमें तीन बातों का उल्लेख किया है। विशेष आबकारी शुल्क, अतिरिक्त आबकारी शुल्क, पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौठान के लिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए है। एक में सेस लगाया गया और दो अतिरिक्त लगाये गये। मैंने तीनों की अलग-अलग जानकारी मांगी है कि कितना कलेक्शन हुआ और संबंधित विभाग को कब-कब भेजा गया? मेरा प्वाईंटेड प्रश्न है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गौठान में पूरे साल का 1059 करोड़ रूपये गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न को माननीय मंत्री जी समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने तीनों की जानकारी अलग-अलग पूछा है। गौठान, कोविड और शिक्षा स्वास्थ्य में तीनों की अलग-अलग जानकारी बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात समझ लीजिए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, शिक्षा में 558 करोड़ रूपये विभाग को गया है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बड़ी विद्वतापूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और घूमा-घूमाकर प्रश्न कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूं। वह सीधा-साधा आदिवासी मंत्री है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा-सीधा प्रश्न कर रहा हूं। इसमें घूमाने वाली बात ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष जी, सीधा-साधा आदमी दूसरे के प्रश्न में कुर्सी से उछलता है। दूसरे के प्रश्न में धोती खुल जाएगी ऐसा कूदते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उसका बदला मत लीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप लोग धोती के पीछे क्यों पड़े हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। मैं सुन रहा हूं, आप शांति से रहिए ना। आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, चंद्राकर जी को थोड़ा डाट दीजिए। कपड़े तक जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। प्रश्न में कोई कपड़े वगैरह की बात करते हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सीधा-सीधा सरकार के उपर आरोप है कि अतिरिक्त कर की वसूली हुई और जिस कार्य के लिए वसूली की गयी, वहां वह खर्च नहीं हुआ। उस विभाग को पैसा नहीं दिया गया और सरकार उसका दुरूपयोग कर रही है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष जी, यह आरोप नहीं लगा सकते, कैसे आरोप लगाएंगे, जबर्दस्ती का आरोप लगाएंगे ? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- सबूत पेश करिए ना। यह राशि खर्च नहीं हुई, यह कैसे बता सकते हैं ? इनके पास क्या प्रूफ है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न करता हूं। माननीय मंत्री जी ने तीन समितियों के गठित करने की बात को स्वीकार किया है। पहला, राजनैतिक समिति जिसके अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण शर्मा थे। दूसरी, सचिव, आबकारी की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति गठित की है और सचिव आबकारी विभाग के संयोजन में गठित सामाजिक समिति गठित की है। आपने शराबबंदी के लिए यह तीन समितियां गठित करना स्वीकार किया है। इन समितियों की बैठक कब हुई ? पहला तो इनका कार्यकाल कब तक का था, जिस दिन गठन किया गया ? इनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था ? दूसरा, कार्यकाल कितनी बार बढ़ाया गया ? तीसरा, कितनी समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ? यह जानकारी दे दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवरतन शर्मा जी कार्यकाल पूछ रहे हैं तो अभी उसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई है, अभी उसकी समय-सीमा चल रही है और वह जारी है। सत्यनारायण शर्मा जी गुजरात, बिहार गये थे, इसलिए अभी उनसे पूछना बाकी है। दो विधायक अभी तक अपना नाम नहीं दिये हैं, नहीं तो अभी तक इसका निराकरण हो जाता। इनके कारण यह मामला फंस गया है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- 3 महीने में समिति की रिपोर्ट आ गई थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत प्वाइंटेड प्रश्न किया है कि जब ये समितियां गठित की गईं तो इन समितियों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था? यदि निर्धारित

समय में रिपोर्ट नहीं आई तो आपने इन समितियों का कार्यकाल कितने बार बढ़ाया और कितनी समितियों की रिपोर्ट आ गई? तीनों समितियों में कालखण्ड तो निर्धारित होता है। यदि कोई समिति बनती है तो उसके लिए कालखण्ड का निर्धारण होता है कि वह कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समय-सीमा की लिमिट नहीं है। जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आएगी, तब तक यह चलता रहेगा और तब तक शराबबंदी नहीं होगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी हमें गुमराह कर रहे हैं। शराबबंदी का वादा करने वाले लोग, गंगाजल उठाकर कसम खाने वाले लोग इस मुद्दे को...। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- आप लोगों ने तो नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इनसे नाम मांगा, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। आप लोगों के कारण यह मामला फंसा है। मुख्यमंत्री जी ने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर यह घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय :- वह बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। आप उनकी भी सुन लीजिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- यह कवासी लखमा जी हैं, इनसे भिड़ना आसान काम नहीं है। आप लोगों के बस की बात नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हमारे दल के नेता यह घोषणा की है कि शराबबंदी के लिए राजनीतिक दल के जो लोग राजनीतिक से ऊपर अपना नाम देंगे, उनके साथ बैठक होगी। मुख्यमंत्री जी उनका नाम मांग-मांग कर थक गये, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना नाम नहीं दिया। इसीलिए यह मामला फंसा हुआ है, वरना अभी तक इसका निराकरण हो जाता। यदि आप अपना नाम दे देंगे तो इसका निराकरण हो जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न और एक छोटा सा सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय :- कितने मिनट का है?

श्री अजय चंद्राकर :- एक सेकण्ड का है। एक, कौन सी नियम-प्रक्रियाओं के तहत् सरकार को राजनीतिक समिति गठित करने का अधिकार है और दूसरा, चूंकि मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और यह मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है तो वह बता सकते हैं कि उनको स्वास्थ्य के लिए कितने पैसे मिले? आप स्वास्थ्य मंत्री जी से उत्तर दिलवा दीजिए।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में कुछ नहीं है और यह उद्भूत भी नहीं होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री जी भी बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री जी भी बैठे हैं, वह बता देंगे कि कौन-सी नियम-प्रक्रियाओं के तहत् सरकार राजनीतिक समिति गठित कर सकती है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ही उद्भूत नहीं होता है। आप जबरदस्ती प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, क्या यह कुछ भी प्रश्न पूछेंगे? यह प्रश्न मंत्री जी के विभाग से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठिये। मैं देख रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने प्रश्न आये हैं, यदि माननीय मंत्री जी उनके जवाब पढ़कर नहीं दे सकते हैं तो मंत्री जी उन सब प्रश्नों के उत्तर पटल पर रखवाने के निर्देश दे दें कि जितने भी प्रश्न आये हैं, उनके लिखित में उत्तर पटल पर दें तो इससे कम से कम सदन को इसकी जानकारी हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री रामकुमार यादव :- इस प्रश्न का उत्तर दे दिये हैं तो क्यों रखेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कवासी लखमा जी जितना अच्छा उत्तर देते हैं, उतना अच्छा तो आप लोग भी नहीं दे पाते थे।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी। आप लोग बैठिये।

आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री (श्री मोहन मरकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कवासी लखमा जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- मोहन मरकाम जी को खड़े होने का मौका मिला, इसके लिए उनको बधाई।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का न तो पहले प्रश्न में जवाब आया है और न इस प्रश्न में जवाब आया है। यह कथन करना कि आप लोगों ने उसमें किसी का नाम नामांकित नहीं किया तो मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, तब क्या इन्होंने भा.ज.पा. के सदस्यों से यह पूछा लिया था कि हम शराबबंदी करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या आप लोग उसमें नामांकित करेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां पहुंच गये हैं?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, प्लीज।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांति बनाये रखें। आप इधर देखिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न खतम होगे हे, एहा जबरदस्ती के खड़े होगे हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जी को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उपिस्थत ही नहीं होता है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- शराबबंदी करो। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बनावटी आंसू बहाना बंद करो। (व्यवधान)

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

सहकारिता मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 पटल पर रखता हूं ।

(2) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (क्रमांक 52 सन् 1984)

पशुधन विकास मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (क्रमांक 52 सन् 1984) की धारा 65 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 8-78/35/2022, दिनांक 29 मार्च, 2023 पटल पर रखता हूं ।

(3) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 07-24/2018/32, दिनांक 2 मई, 2023 पटल पर रखता हूं ।

(4) छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016)

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 7-58/2018/26, दिनांक16 मई, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2023 पटल पर रखती हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(5) <u>छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भूमि स्वामी अधिकार नियम, 2023</u>

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ 4-7/सात-1/2022, दिनांक 29 मार्च, 2023 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरेत्तर क्षेत्रों में शासकीय पट्टे पर आबंटित कृषि भूमि के भूमिस्वामी अधिकार नियम, 2023 पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:03 बजे **<u>मार्च, 2023 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना.</u>**

अध्यक्ष महोदय :- मार्च, 2023 सत्र का दिनांक 23 मार्च, 2023 को सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24 मार्च, 2023 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार मार्च, 2023 सत्र का दिनांक 23 मार्च, 2023 को सत्रावसान हो जाने के कारण बैठक पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 24 मार्च, 2023 की मुद्रित कार्यवाही सदन के पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:03 बजे **<u>मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार मार्च, 2023 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:04 बजे **<u>नियम 267 "क" के अधीन सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" के अधीन मार्च, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं नियम 267 "क" के अधीन मार्च, 2023 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

समय :

12:04 बजे **<u>माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना (जुलाई, 2023 सत्र)</u>**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 में पारित कुल 13 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से शेष बचे 4 विधेयकों में से 2 विधेयकों पर तथा मार्च, 2023 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से सभी 10 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 में पारित कुल 13 विधेयकों में से शेष बचे 2 विधेयकों में से 1 विधेयक पर दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र में पारित कुल 5 विधेयकों में से शेष बचे 4 विधेयकों में से 2 विधेयकों पर तथा मार्च, 2023 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से सभी 10 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

समय :

12.06 बजे **<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>**

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट करता हूं।

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्री लखेश्वर बघेल

समय :

12.07 बजे

सदन को सूचना

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2022 के लिए चयनित "उत्कृष्ट विधायक", "उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" एवं "उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया रिपोर्टर" तथा पंचम विधानसभा की काल अवधि हेतु सर्वश्रेष्ठ संसदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु चयनित "जागरूक विधायक" को पुरस्कृत करने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह माननीय राज्यपाल महोदय श्री विश्व भूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में शनिवार, दिनांक 22 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे विधानसभा परिसर स्थित लॉन में आयोजित है। इस आयोजन के ठीक पश्चात पंचम विधानसभा की कालावधि की समाप्ति के परिप्रेक्ष्य में समस्त माननीय सदस्यों हेतु विदाई समारोह भी आयोजित है, जिसमें समस्त माननीय सदस्यों को माननीय राज्यपाल महोदय के कर-कमलो से स्मृति चिन्ह प्रदान किये जायेंगे।

उत्कृष्टता अलंकरण एवं विदाई समारोह का समापन सांस्कृति कार्यक्रम एवं दोपहर भोज से होगा। मैं समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि उसमें अवश्य भाग लें।

पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-प्रक्रियाओं में एक बात का उल्लेख है। मैं आपको पहले उसकी पृष्ठभूमि बता देता हूं। पहला दिन मुख्यमंत्री जी का प्रश्न दिवस था। हम लोग महत्व के विषय में तारांकित और अतारांकित प्रश्न 21 दिन पहले लगाते हैं।

समय :

12.08 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)

अधिकांश प्रश्नों के उत्तर में यह आया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है, एकत्र की जा रही है। नियम में यह है कि यदि निश्चित तिथि में उत्तर नहीं दिया जाए तो प्रश्नों के उत्तर को अगले सत्र के प्रथम दिन पटल में रखा जायेगा। मेरा यह मानना है कि आखिरी विधानसभा के मानसून सत्र के बाद अगला सत्र आज तक नहीं हुआ है। यदि अगला सत्र होगा तो इस बात को माननीय संसदीय कार्यमंत्री या सरकार के कोई मंत्री बता सकते हैं। यदि अगर सत्र नहीं होगा तो हमारे प्रश्नों के उत्तर व्यपगत नहीं होने चाहिए। क्योंकि वे लोक महत्व के विषय हैं। इसलिए आप नियमों में संशोधन करके, तिथि निर्धारित करके ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये सौरभ सिंह जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न ही पूरा नहीं हुआ है। पूरा विषय तो आ जाने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- और लोगों को कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्य विषय तो आ जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नियम में संशोधन करके या तो आखिरी दिन तक उत्तर दिलवा दें या कोई तिथि निर्धारित करें, जिसमें जानकारी एकत्र की जा रही है, उसका उत्तर मिल जाये। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो यह सदन की अवमानना होगी, गलत परम्परा की शुरूआत होगी। मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी व्यवस्था आये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने जो विषय उठाया है, यह पूरे सदन का अपमान है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग के अधिकारियों को मालूम था कि उस दिन श्रद्धांजलि के बाद सभा की बैठक समाप्त हो जायेगी। इसलिए उन लोगों ने जानकारी एकत्र की जा रही है, जानकारी एकत्र की जा रही है, लिखकर भिजवा दिया। यदि प्रदेश के मुखिया के प्रश्नों का उत्तर विधानसभा में सही समय पर नहीं आता है तो इससे जयादा शर्मनाक चीज दूसरी नहीं है, इसलिये आपसे आग्रह है कि शनिवार को भी माननीय अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम रखा है, शनिवार तक सभी प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत कर दिये जायें, सदस्यों को दे दिये जायें, इसकी व्यवस्था आप करें अन्यथा यह होगा कि यह सदन बाकी सदस्यों के लिये अलग है, हमारे लिये 21 दिन का प्रश्न लगाना आवश्यक है, हम इसके बाद लगाते हैं तो विधान सभा का कहना है कि समयसीमा में आपने नहीं किया है तो रिजेक्ट किया जाता है । आप जरा इस मामले में कि सदन की समाप्ति तक उन प्रश्नों के उत्तर आ जायें, नहीं तो इतिहास में हमको माफ नहीं करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरे व्यवस्था देने के पहले आपके बाद माननीय सदस्य इस विषय में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- पहली तो बृजमोहन भाई तोला इतिहास माफ नहीं करै । 15 साल ला बिगाड़ के रखे हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलने दीजिए । आप बोल दीजिए । आप इसी सब्जेक्ट में बोलिये ।

श्री धरमलाल कौशिक :- एक प्रश्न नहीं, मतलब उस प्रश्न को अलग-अलग सत्रों में जवाब नहीं आया तो दूसरे सत्र में लगाया गया, फिर तीसरे सत्र में लगाया गया । अब तो सरकार की जाने की बेला आ गई है । इसके बाद कोई सत्र होनी नहीं है । कल फिर यही बात आई ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अगले विधान सभा में उठा लेना । उसमें क्या दिक्कत है । प्रश्न आप लगा लेना, उत्तर हम ही लोग देंगे । आप चिंता मत करो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप उनकी बात आ जाने दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब कल नहीं आया है और इसके बाद कोई सत्र नहीं है और यह लगातार सिलसिला जारी है । या तो 22 तारीख रखें या आसंदी से तारीख आज घोषित हो । संसदीय कार्यमंत्री बैठे हुये हैं । उनकी सहमति होनी चाहिये, जवाब आनी चाहिये । वास्तव में यह विधान सभा के अवमानना का मामला है और इतने महत्वपूर्ण प्रश्न लगाने का आप जो समय देते हैं, वह औचित्यहीन हो जायेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तारीख घोषित हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रश्नों के जवाब में जो आया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है । चार प्रश्न एक ही विषय से रिलेटेड है और वह है संविदा कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, यह घोषणा पत्र से जुड़े मामले का प्रश्न है । यह प्रश्न लगातार सत्र में उठाये जा रहे हैं और हमेशा जवाब आता है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, समिति गठित की जा रही है, विभागों से जानकारी मांगी जा रही है और चार साल में उसका उत्तर नहीं आया है कि कितने दैनिक वेतन भोगी, कितने संविदा, कितने अनियमित कर्मचारी हैं, वास्तव में यह सरकार अपने जनघोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिये बहानेबाजी कर रही है । हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसकास उत्तर देने के लिये समयसीमा निर्धारित की जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत सिंह जी, चलिये आप बोलिये । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र में 36 वायदे थे, आज 56 वायदे पूरे हो गये हैं । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोगों को शर्म आनी चाहिये । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, थोड़ा भी तो शरम करो यार । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, अपने भाषण में शरम करोगे क्या ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी, आप दोनों आपस में बात न करें । (व्यवधान) माननीय सदस्यगण आपस में बात न करें, माननीय का विचार आना चाहिये । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- एमन गैस के भाव ला 400 रूपये बढ़ाके 1200 करे हे ।(व्यवधान) एमन पेट्रोल के भाव ला 45 रूपया ले 120 रूपया कर दिस ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप जारी रखें । बैठिये मैं आपको मौका दूंगा । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बोलकर गये हैं कि दो दिन का सदन है, जितना असत्य बोल सकते हो, खूब असत्य बोलना । यह बोलकर गये हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दो दिन पहले बिलासपुर के अरपा नदी में तीन बच्चियां डूब कर मर गई । प्रश्न तीन बच्चियां वहां डूबी कैसे, उस पर आपको विचार करना होगा । अरपा कभी 20 फीट नदी रहा है, लेकिन यह जो रेत माफिया है, यह खुले आम कलेक्टर, माईनिंग आफिसर, वहां के पुलिस अधिकारियों के सामने दादागिरी, गुण्डागर्दी से रेत निकालकर लाते हैं और रेत माफियाओं के संरक्षक सदन के अंदर भी हैं और सदन के बाहर भी बैठे हुये हैं । (शेम-शेम) उपाध्यक्ष महोदय, उन बच्चों का जुर्म सिर्फ यह था कि हरेली त्यौहार के उपलक्ष्य में नदी में नहाने गये थे और वहां 20 फीट गहरे पानी में वे लोग डूब गये । उनको नहीं मालूम था कि अरपा नदी की पूजा करके वोट सकेलने वाले और वोट लेकर सत्ता में बैठने वाले लोग अरपा नदी को नोंच के, [xx][7] करके रख दिये हैं, जिसके कारण उन बच्चियों की मौत हुई है। प्रशासन की तरफ से न तो कोई कार्यवाही हुई है, न तो उन्हें कोई मदद दी गयी है और न तो उसमें किसी की जिम्मेदारी ठहराई गई है। इन रेत तस्करों को जो भी संरक्षण दे रहे हैं, उन माफियाओं के ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई है। सौरभ सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अरपा नदी में रेत उत्खनन पर रोक लगायी जानी चाहिए और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उसको जेल भेजा जाना चाहिए और उन बच्चियों के परिवार को 10-10, 15-15 लाख रूपये दिया जाना चाहिए। आपकी लापरवाही के कारण मासूम बच्चियां बेमौत मर गई। रेत माफियाओं को सत्तारूढ़ पार्टियों के लोगों का संरक्षण है। वे ऐलानिया हर महीने पैसे कमा रहे हैं, रोज पैसे कमा रहे हैं, रोज गाड़ियां चल रही हैं, पोकलेन चल रहे हैं और डोजर चल रहे हैं (शेम-शेम की आवाज)। उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। गरीबों के उत्थान का कुछ .. (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी लगभग-लगभग बातें आ गयी है। सौरभ सिंह जी बोलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्थगन लग रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता में बैठे हुए लोग इसमें खुलेआम पैसे खा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसमें व्यवस्था आ जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- हां, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह खुलेआम पैसे खा रहे हैं। उन बच्चियों की मौत का जिम्मेदार कौन है ? यह लोग जिम्मेदार हैं जो यहां पर बैठे-बैठे रेत का पैसा खाकर उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बहुत लज्जा की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं इनकी बात सुन लेता हूं फिर व्यवस्था देता हूं।

[xx][7] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, आप उन बच्चियों को पैसा दिलवाईये और जो उनकी मौत के लिये जिम्मेदार है, उनको जेल भेजिये। वहां पर पुलिस लगाकर रेत खनन को बंद करवाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, जिसको भी वहां पर उत्खनन का पट्टा मिला था, उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवाईये कि इतना कैसे खोदा गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं यह कह रहा था।

श्री धर्मजीत सिंह :- अरपा मैया की आरती उतारे (व्यवधान) और अरपा मईया को नोंच लिये, खा गये, बेच दिये, [xx][8] कर दिये। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्थगन दिया गया है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, लूट खसोट की कोई सीमा होती है। यह लोग नंगा नाच कर रहे हैं। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों का संरक्षण है। [xx] नाच हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरा यह कहना था। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, इनको बैठने तो दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में रिपोर्ट आ जाना चाहिए थी, वक्तव्य आ जाना चाहिए था। यह तो निंदनीय है। इनकी संवेदना मर गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप अभी रूकिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप लोग बैठिये। आप बंद करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, धर्मजीत सिंह जी ने जिस विषय को उठाया है, वह बहुत गंभीर विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी के शून्यकाल पर व्यवस्था दे देता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- इसमें अनुशंसा करवाईये। (व्यवधान) उठाने का मामला नहीं है। हम बतायेंगे कि कौन कहां से और कैसे रेत लाता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह स्थिति रेत माफियाओं के कारण पैदा हुई है। इस सदन में यदि हमारा यह मानसून का सत्र चल रहा है और वहां पर ऐसा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, कैसे अधिकारियों को बोला जाता है और कैसे वसूली होती है। रात-रात को दो-दो बजे वहां से रेत निकाली जाती है। है अधिकारियों में हिम्मत.. ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं माननीय अजय जी के शून्यकाल पर व्यवस्था दे देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, 15 जून को रेत का खनन बंद हो जाता है, उसके बाद भी रेत का खनन चल रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने पुल के पिल्हर तक को खोद के निकाल दिया है।

[xx][8] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, दो मिनट बैठिये। मैं व्यवस्था दे देता हूं।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय श्री अजय चन्द्राकर जी के द्वारा मेरे ध्यान में इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं इस संबंध में माननीय मंत्रिगणों से यह अपेक्षा करूंगा कि ऐसे प्रश्नों की सूचनाएं जो स्वीकृत होकर विभाग को उत्तर हेतु भेजी जा चुकी है और जिनका अंतिम उत्तर प्रश्नोत्तरी सूची में मुद्रित होते हैं। ऐसे प्रश्नों के उत्तर यदि संभव हो तो उसी सत्रावधि में ही उपलब्ध करावें ताकि माननीय सदस्यों को यथासमय प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, उसमें एक छोटा-सा आग्रह है कि आप यदि संभव शब्द को हटा दीजिये। उपलब्ध करावें बोल दीजिये। आप यदि संभव शब्द को हटा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, इसमें तो आ ही गया है, यह तो अंतिम साल का सत्र है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, वह तो फिर से संभव नहीं है लिख के दे देंगे। आप यदि संभव को हटा दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये ठीक है। यदि संभव शब्द को हटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन विषयों का जिक्र अभी वरिष्ठ सदस्य माननीय धर्मजीत सिंह जी ने किया है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। 17 तारीख को ग्राम सेंदरी में अरपा नदी में जो तीन बच्चियां नहाने गयी थीं, वहीं पर डूबने से उनका निधन हो गया। उसमें दो सगी बहनें हैं और एक उनके छोटे भाई की बहन है, मतलब तीनों एक ही परिवार की बहनें हैं। मैंने इसी सदन में उसी घाट के संबंध में एक प्रश्न लगाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह और निवेदन किया था। वह प्रश्न इस सदन में आया था। मैंने आग्रह किया था कि किसी को कहीं की जमीन अलॉट है लेकिन खोदाई कहीं और हो रही है। जो दो-तीन घाट वैध चल रहे थे, उनकी यह स्थिति थी। मैंने उसमें कहा था कि उसमें जांच करिये क्योंकि वे पुल के आस-पास खुदाई कर रहे हैं और वहां पर फोरलेन है, उसको खोद रहे हैं, जिससे कभी-भी पुल गिर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- इंदू बंजारे जी, आप बोलना चाहेंगी।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैं बस इसको समाप्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी पूरी बात आ गई है।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। वह बच्चियां पुल के आस-पास ही डूबी हैं और उसी के आस-पास फोरलेन भी है। इसलिए हम लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं और हमारी शिकायत को लगातार एवॉइड किया गया है, जिसके कारण यह घटना घटित हुई है और मैं

मांग करता हूं कि अप्राकृतिक मौत में सरकार से जो अनुदान मिलता है उसको छोड़कर आज ही सदन में तीनों बहनों के परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 10-10 लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की जाये। वह गरीब परिवार को कम से कम इतनी राशि दी जाए और जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उसको बंद करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- इंदू बंजारे जी। मैं सुन चुका हूं, आपकी बात आ गई है। इसको गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल-बिल्कुल। इंदू बंजारे जी, आप बोलिये।

श्रीमती इन्दू बंजारे(पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके संबंध में हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं के द्वारा अनेक बार शासन को धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आन्दोलन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन इस सरकार की अति असंवेदनशीलता के कारण मजबूरन कल की जो घटना घटी, यह इनकी नाकामी है, इनके द्वारा कार्यवाही न करने के कारण उन्होंने मजबूरी में इस आन्दोलन को अंजाम दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं के अधिकारों का मामला है। अगर उनको और उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो इस प्रमुख विषय पर चर्चा करायी जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऐसा सरकार से मांग करती हूँ कि उन बच्चों के ऊपर गैर जमानती धारा लगायी गई है, उनको बाईज्जत बरी किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू(धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को धमतरी की एक बड़ी घटना से अवगत कराती हूँ। वहां पर लगातार रेत के अवैध उत्खनन चल रहे हैं चूंकि 10 तारीख से रेत की खदानें बंद होनी थीं, लेकिन आज पर्यंत तक लगातार रेत की खदानें संचालित हैं और इसी के चलते हमारे दर्री खरेंगा मार्ग जोरातराई तक की जो सड़क है, उसमें एक शिक्षक अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था और एक हाईवा ने उस शिक्षक को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया और उसकी मौके पर मौत हो गई। हम लगातार उस सड़क की मांग करते रहे हैं। यहां पर माननीय मंत्री बैठे हैं और विभाग के अधिकारी बैठे हैं। मैंने सदन के हर सत्र में सरकार का ध्यानाकर्षण लगातार उस सड़क की ओर कराया, लेकिन आज पर्यंत तक वह सड़क बनी नहीं है। वहां पर बहुत सारे हाई, हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों की जान को खतरा है। वहां पर लगातार हाईवा चल रही है क्योंकि खदानों से अवैध उत्खनन हो रहा है। वहां पर सड़क का ठीकाना नहीं है। वहां पर लोगों को पैदल

आने-जाने की दिक्कत होती है। हमारे धमतरी के आम नागरिकों ने हजारों की संख्या में प्रयास किया कि विधान सभा घेराव करकर, उन्होंने पैदल यात्रा की, लेकिन बीच में उन लोगों को रोक दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि आपका फिर से विभाग के मंत्रियों, अधिकारियों को निर्देश मिले कि वह सड़क जल्द से जल्द बने, जो वहां पर अवैध उत्खनन हो रहा है, वह बंद किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री शिवरतन शर्मा(भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,कल विधान सभा मार्ग पर पूरे देश को लज्जाजनक करने वाली घटना घटित हुई। लगभग 3 दर्जन युवा [XX][9] अवस्था में अपनी मांगों का प्रदर्शन करने के लिए मंत्रियों की गाड़ियों के सामने आएं। पिछले कई वर्षों से वह लोग आन्दोलनरत थे और उनकी सिर्फ यह मांग थी कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का असत्य प्रमाण पत्र लेकर, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी जांच कर उनको बर्खास्त किया जाये और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। वह लोग लगातार मांग कर रहे थे। वे लोग भूख हड़ताड़ में बैठे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपा, पर उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि वह घटना घटित हो गई, जो देश में कभी घटित नहीं हुई थी। कई व्यक्ति अपने कपड़े उतार कर [XX] स्थिति में मंत्रियों की गाड़ियों के सामने आता है और विधान सभा मार्ग पर आता है तो इस घटना के पीछे मूल कारण क्या है? हमें इस पर जाने की आवश्यकता है। पूरे देश के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बी.बी.सी. ने इस समाचार को प्रसारित किया है, इससे पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश लज्जाजनक हुआ है, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस पर कार्यवाही करने के बजाए मंत्री ....।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- यह आपके समय का ही काम है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को नौकरी देने का काम किया है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- इनकी बात आने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकार करके, आप इस पर चर्चा कराएं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोगों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लूटने का काम किया है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बौखलाहट में ...। (व्यवधान)

---

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इस्तीफा दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग तो शून्यकाल में मत टोकिए। माननीय मंत्री जी, मैं अभी सुन रहा हूँ। अभी शून्यकाल है। माननीय सदस्य माननीय बृजमोहन जी, आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय शिवरतन भईया, आप लोग कब से बी.बी.सी. को मानने लग गए हैं ? आप लोग तो वहीं लोग हैं। आप लोग कब से बी.बी.सी. को मानने लग गएं ? (व्यवधान) आप यह बता दीजिए ?

श्री शिवरतन शर्मा :- ऑल इण्डिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने दिखाया है।

श्री उमेश पटेल :- आप लोग कब से बी.बी.सी. को मानने लग गएं ? आप यह बता दीजिए ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यदि वह फर्जी लोग हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, शून्यकाल है, आप लोग बैठ जाईए। एक-एक करके अपनी बात रखिये। सौरभ सिंह जी, पहले अग्रवाल साहब की बात आनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, इनको बोलने दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- बी.बी.सी. के टेलीकॉस्ट को रोका गया, बी.बी.सी. के टेलीकॉस्ट को रोकने वाले आप लोग हैं और आप उसका उदाहरण दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष जी, फर्जी नियुक्ति करने वाले इन्हीं लोग हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले आप ही लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बात को आने दीजिए न। ..(व्यवधान) .. अग्रवाल जी, मैं आपको मौका दे दिया हूं। आप बोलिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि फर्जी नियुक्तियॉ हुई हैं तो आप उसको रोकिये न।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी की बात आने के बाद मैं पर्याप्त मौका दूंगा। मंत्री जी, आप उनकी बात सुन लीजिए, उनको मौका दिया हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 15 साल फर्जी काम ही करते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आदरणीय आप बैठ जाईये। माननीय वरिष्ठ नेता हमारे सदस्य बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन पर चर्चा हो रही है। .. (व्यवधान).. यह स्थगन का विरोध कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिये, जब मैं मंत्री लोगों को बैठा रहा हूं तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। आप सभी अग्रवाल जी को सुनिये। मेरा यह कहना है कि जब मंत्री जी लोगों को मैंने टोका है, आप लोग थोड़ा सा शांत रहिये। माननीय अग्रवाल जी की बात आने दीजिए। चलिये, आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश और मैं तो कहना चाहता हूं कि इस सरकार में लानत है जो सरकार नवयुवकों को नंगा होकर आंदोलन करने के लिए बाध्य करे। मैं इस शासन, प्रशासन को नपुंसक नहीं कहूंगा। उनको समझने की जरूरत है। मेरे पास समाचार पत्र की कापी है, हम [XX][10] होकर प्रदर्शन करेंगे। आपके शासन, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को क्या हो गया है ? हम सब लोग लज्जित हुए हैं। .. (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको अंदर से करवाया गया है। .. (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं है, इनके उकसाने से वह कार्य किया गया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है। .. (व्यवधान).. ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ होगा। .. (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन दिया है, हमारे स्थगन को स्वीकार करके चर्चा करायें।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रदर्शन उचित नहीं है, उनको उकसाने का कार्य इन्होंने किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमने स्थगन दिया है, हमारे स्थगन को स्वीकार करके चर्चा करा लें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, वह लोग विधान सभा तक पहुंच गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- उत्तर देंगे न। बांधी जी, आप बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। वह लोग मुख्यमंत्री जी की गाड़ी के सामने दौड़ रहे थे। मैं उस समय वहां से निकल रहा था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को अगर नंगा होकर प्रदर्शन करना पड़े तो यह पराकाष्ठा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी पूरी बात सुन चुका हूं। और भी लोगों की बात आने दीजिए फिर सरकार से उत्तर लेंगे। .. (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदर्शन इन लोगों के कारण ही हुआ है। उस विधान सभा रोड से हम महिलायें भी गुजरती हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी को दोषी नहीं माना गया। वह उस रोड में कैसे आ गये? [XX] प्रदर्शन कैसे किया? कोई अधिकारी को अभी तक निलंबित नहीं किया गया,

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

उनको बर्खास्त नहीं किया गया। इन नौजवानों को जेल में डाल दिया गया। वह लोग दु:खी हैं, वह परेशान हैं। उनको इस सरकार के कारण लगता है कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई [XX]होकर प्रदर्शन करता है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अगर थोड़ी सी भी लज्जा होती तो मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते, डहरिया जी इस्तीफा देते। वह डहरिया जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इनमें थोड़ी सी भी गैरत है, थोड़ा सा भी पानी है, थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी मर्दानगी है, इन नौजवानों को [XX]होकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। आप इस स्थगन को स्वीकर करके चर्चा करायें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी भर्ती करने वाले हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले यही लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के सदस्य टोका-टाकी कर रहे हैं। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इस स्थगन को ग्राह्य करें।

उपाध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डॉ. रमन सिंह की सरकार ने फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किया है। रमन सिंह सरकार ने फर्जी प्रमाण-पत्र जारी किया है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आज तक हिंदुस्तान में एक बार मैनपुर की महिलाओं ने ..। एक बार आधा प्रदर्शन हुआ था। पूरे देश के इतिहास में पहली बार इतनी संख्या में नौजवानों ने चेतावनी देकर मुख्यमंत्री जी के काफिले के सामने, मंत्रियों के काफिले के सामने, विधान सभा के सामने और पूरी समाज के सामने अपनी पीड़ा को इजहार किया। यह बहरी सरकार चेतावनी देने के बाद नहीं जागी और इनको मालूम था कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं। यह क्यों मालूम था? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- केशव चंद्रा जी, आप बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष जी, ये पैसा खाकर नौकरी दे रहे हैं। इसमें भी वसूली करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। केशव चंद्रा जी, आप इनके बाद इधर बोलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- जांच नहीं होने दे रहे हैं। उनके सपनों को तोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- केशव जी के बाद बांधी जी बोलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- ये पैसा खाकर नौकर दे रहे हैं। इसलिए ग्राह्य नहीं करवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर साहब, ठीक है। आपकी बात लगभग आ गई।

श्री अजय चंद्राकर :- और भाजपा का राजनीतिक षड्यंत्र आरोप लगाते हैं। चूड़ी पहने हैं क्या? आप लोग शासन कर रहे हैं, कुर्सी में बैठे हैं। कार्रवाई करें। चाहे भाजपा के हों या दुनिया के हों। उन पर कार्रवाई करने के लिए कौन रोकता है?

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। केशव साहब, आप बोलिये। मैं सबकी बात सुन रहा हूं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल पूरे छत्तीसगढ़ के लिए लज्जाजनक घटना हुई है। अगर एक साधू नंगा होकर आता है तो पूजा की जाती है, लेकिन एक समाज के लोग अपने समाज, अपने हक व अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन करते हैं तो उसको पुलिस जेल में डालता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह प्रदर्शन सही नहीं है। हम सभी महिलायें इसका विरोध करते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उपाध्यक्ष महोदय, किन परिस्थिति में यह स्थिति निर्मित हुई कि उन युवाओं को नंगा होकर मुख्यमंत्री के सामने विधान सभा घेरने के लिए आना पड़ा?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, हम सभी महिलायें इसका विरोध करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बांधी साहब। आप बोलिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय :- केशव जी, आपकी बात आ गई। मैंने आपकी पूरी भावनाएं सुन लिया। (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भर्ती हुई थी, वह उनके कार्यकाल में हुई थी। इनके कार्याकल में भर्ती हुई थी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। इनको सुनने दीजिये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इन लोगों ने 15 साल से क्यों ध्यान नहीं दिया ? इसीलिए इस तरह हो रहा है। (व्यवधान) तो इन्हीं लोगों की है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- उपाध्यक्ष महोदय, सारी भर्तियां इनके कार्यकाल में हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय :- बांधी जी बोलेंगे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग 15 साल तक कान में रूई ठोस कर रखे थे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- मैं कह रहा था कि आपकी ..। शर्मा जी, आप बोलिये।

एक माननीय सदस्या :- उपाध्यक्ष महोदय, वहां स्कूल के बच्चे लोग ही थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- हाँ, ठीक है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश शांत प्रदेश है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ की गरिमा बनी हुई है। यहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भी हैं। कल की घटना में अनसूचित और जनजाति के लोगों को अपनी जायज मांग के लिए सरकार को सूचना देकर भी ऐसा निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने को मजबूर किया है, यह कांग्रेस के सरकार के कार्यप्रणाली पर पूरा उंगली उठाता है। पूरा शर्मसार करता है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई। रेणुका जोगी जी, आप बोलिये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसलिए ये जो युवा हैं, वह अपनी जागरूकता को लेकर काम किए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी बात आ गई। विषय वही है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, विरोध करने का तरीका होना चाहिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उसको जांच करने के बजाय, उसका विश्लेषण करने के बजाय, उसको भावनात्मक तरीके से समझने के बजाय यह सरकार उनको कुचलने का काम कर रही है। यह बहुत निंदनीय है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग इनको नहीं छोड़ेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- कहीं भी ऐसा कोई विरोध नहीं करते। इसमें महिलाओं का अपमान है।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब हो गया। मैडम। एक मिनट। मैं उनको पहले बोल चुका हूं। मैडम रेणू जोगी जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, इनके क्षेत्रों में युवा लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इस स्थगन को स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब, मैं बबा को रहा हूं।

श्रीमती रेणू अजीत जोगी (कोटा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय से हटकर अपनी विधान सभा क्षेत्र की बात कहना चाहूंगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोगों को इसमें बोलने दीजिये।

श्रीमती रेणू अजीत जोगी :- एक मिनट की बात है। कोटा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत गौरेला में गुरूकुल स्कूल 40 साल से चल रहा था। जो आवासीय विद्यालय है, जिसमें करीब 300 बच्चे रहते हैं, उसको वहां का प्रशासन हटाकर वहां निर्वाचन कार्यालय बना रहा है और उन बच्चों को करीब 5 किलोमीटर दूर पर स्थित कर रहा है, जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आशा करती हूं कि मंत्री जी हैं और वह सुन रहे होंगे और उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा नोट कर लेंगे। चलिये, धर्मजीत सिंह जी।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश की मीडिया में यह समाचार चल रहा है कि छत्तीसगढ़ के अनूसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चे [XX][11] हो करके सड़क में प्रदर्शन किया है । उनको इस स्थिति तक लाने के लिये जिम्मेदार कौन है ? जब वे बोल रहे हैं कि उनके नाम पर फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनाकर के नौकरियां की जा रही हैं, वे अपना हक मांगने के लिये जा रहे हैं तो आप उनको पुलिस के थाने में बैठाकर जेल भेजने की कार्यवाही कर रहे हैं और आपके बड़े-बड़े होर्डिंग्स छपे हुए हैं कि जंगल के आदिवासियों को, अनुसूचित जाति को इतने करोड़ का यह मिला गया, वह मिल गया। आपने अपने आरक्षण के बिल में 16 से 12 तो पहले ही कर दिया है । आपने एक सतनामी समाज को तो चौपट कर ही दिया है । अब आदिवासी समाज के बच्चेलोग अपने हक की मांग कर रहे हैं, आप तो उनको ले जाते, उनके लिये कपड़ा खरीदते, उनको कपड़ा देते । उनके पैर धोते, चरणामृत लेते तो आपका नाम होता, हंटर मारने में क्या रखा है । पुलिसवालों को हंटर चलाने में क्या तकलीफ है ? वह तो हर सरकार में जो वहां बैठता है उनके कहने से वे हंटर मारते रहते हैं लेकिन आप मुगालते में मत रहिये । अभी जनता आपके ऊपर उल्टा हंटर चला देगी इसलिये कृपा करके उनको तत्काल नि:शर्त रिहा करिये और इस पूरे मामले पर यहां चर्चा करवाईये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप दो मिनट मेरी बात सुन लीजिये । आप एक हाईपॉवर कमेटी से इसकी जांच करवाईये । उनके हक पर कोई दूसरा डाका डाले यह अच्छी बात नहीं है । वैसे ही वे आक्रोशित हैं और आप उनको जेल भेज रहे हैं, उनको नंगा होना पड़ रहा है अब इससे ज्यादा लज्जा की कोई और बात हो नहीं सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी आप बोलिये । आपकी बात आ गई ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी को धरना और प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उनका तरीका गलत था । यह तरीका सही नहीं है । हमारी माताएं-बहनें, बेटियां पूरे शहर में आती-जाती हैं । (व्यवधान) आप लोगों की संगत का असर है, आप लोग सीखाते नहीं हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा बैठ जाईये ।

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हमारे समाज के लोग अपने अधिकार के लिये ऐसा प्रदर्शन करें तो आप लोगों को लज्जा आती है और अगर उनके अधिकारों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें लज्जा नहीं आ रही है । (व्यवधान) समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है । (व्यवधान)

[11] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग उनको और उचका रहे हैं, उचकाने वाले कौन हैं, आप ही लोग तो हैं । (व्यवधान)

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह सरकार चाहती तो हमारे समाज को आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम महिला विधायक इसका विरोध करती हैं । (व्यवधान)

श्रीमती इंदू बंजारे :- अगर वे आंदोलन करते हैं तो इनको लज्जा आ जाती है। अगर हम अपने अधिकारों के लिये आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- क्या आप पुलिस से उनको बंद करवायेंगे ? क्या आप उनको थाने में भेजोगे ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदर्शन का तरीका गलत था । हम इसका विरोध करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी आप बोलिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये पुलिस, दरोगा, एसडीएम, कलेक्टर यह सब छोड़ो । (व्यवधान) इनके चक्कर में मत रहना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, मोहले जी आप बोलिये । (व्यवधान) मैंने आपको बोलने का मौका दिया है ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनको इतनी ही लज्जा आ रही है तो ये जांच करायें और हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके भविष्य को सुरक्षित करें । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- बच्चों के साथ जो अन्याय किया है, उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी । (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में अनुसूचित जाति-जनजाति के नाम पर समाज में (व्यवधान) ऐसे लोगों को...। (व्यवधान)

संसदीय सचिव, आदिम जाति मंत्री से संबद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव):- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई नहीं थी उनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, कौशिक साहब आप बोलिये ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- यादव भैया जी, हमें सीखने की जरूरत नहीं है । सीखने की जरूरत आप लोगों को है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, आप कृपया बैठ जाईये । (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनके प्रदर्शन करने का तरीका ही गलत था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, मैं खड़ा हो गया हूं । आपको पर्याप्त मौका देंगे । आप बोलिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग मांग करते रहे । अनशन में बैठे । (व्यवधान) वे [XX][12] प्रदर्शन कर रहे थे, चूंकि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- बाबा, अब आपका हो गया । मैं इधर सुन लूंगा । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्थगन को स्वीकार करा दीजिये न । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- सदन में 16 महिला विधायक हैं उनकी भी चिंता करिये कि विधानसभा में 16 महिला विधायक हैं । उनके सम्मान की चिंता करिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे [XX] अवस्था में प्रदर्शन कर रहे थे । (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अभी आप लोगों को लज्जा आ रही है, अभी तक आप लोगों को लज्जा नहीं आयी थी । (व्यवधान)

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा के बाहर जो महिलायें हैं, जो बच्चे और युवा हैं उनके भविष्य के बारे में भी हमको सोचकर लज्जा आ रही है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी आप बोलिए । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उनको पूरा कपड़ा उतारना पड़ा और उतारने के बाद में सरकार को जो कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यवाही कर दीजिये । हमें यहां पर झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनकी मांगें क्या हैं । नौकरी में जो फर्जी लोग बैठे हुए हैं, जो फर्जी जाति प्रमाण-पत्र लिये हुए हैं उनको जेल भेजना चाहिए, उनको जेल भेजने की बजाय जो मांग कर रहे हैं उनको जेल भेज रहे हैं । इस सरकार को लज्जा आनी चाहिए ।

---

[12] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, पूरी बात आ गयी । अब हमारे डॉ. साहब बोलेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धर्मजीत भैया, एक जाति प्रमाण-पत्र को आपको निरस्त कराने में 15 साल में नहीं हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता । मात्र एक ।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी बैठिए, डॉ. रमन सिंह जी बोल रहे हैं ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है । इसको राजनीति से ऊपर उठकर इसकी कल्पना और सोच होनी चाहिए । ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति संकोची होता है। विनम्र होता है। सरल होता है। कभी इस प्रकार के आंदोलन, प्रदर्शन की परंपरा नहीं हुई है। क्या मर्यादाएं क्यों लांघी गयीं? अब जब मौलिक अधिकार के हनन की बात होती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के हजारों नवयुवक इस बात की पीड़ा को लेकर आंदोलनरत हैं। जब ये अधिकार की बात होती है तो इस पर आज की तारीख में इसका विकल्प यही है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय और उस विभाग से संबंधित अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी बनायी जाये और इस सारे विषय को गंभीरता से जांच की जाये। इन बच्चों की मांग यही है कि इसमें जो भी अधिकारी दोषी होगा, इसमें लिप्त हुए अधिकारियों के खिलाफ जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही की जाये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी चिंता है तो आरक्षण विधेयक को पारित कर दें। इतनी चिंता है तो आरक्षण विधेयक पारित क्यों नहीं कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप इसे ग्राह्य क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसे ग्राह्य कर लीजिए। यह छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी तरफ से हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय..।

उपाध्यक्ष महोदय :- विनय जी, आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री राजमन वेंजाम :- मानीनय उपाध्यक्ष महोदय, ये जाति प्रमाण पत्र कब से बना है, इसका ऊपर से जांच करायी जायी और इनकी सरकार में जो जाति प्रमाण पत्र बने हैं, उसकी की जांच करायी जाये। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप आरक्षण विधेयक को पारित क्यों नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत ही गंभीर विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये पूरे प्रदेश का सतनामी समाज, आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। कभी माफ नहीं करेगा। विरोध करेगा। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

उपाध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।

(12:42 से 1.01 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

1.01 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारगण के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया, सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा के सामने जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और इस सरकार के लिए...।

नगरी प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, इसमें पर्याप्त चर्चा हो गई है, सदस्यों ने शून्यकाल में एक घंटे तक बोला है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे नेता हैं । प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, क्या सदन को माननीय मंत्री जी संचालित करेंगे । आपके विशेषाधिकार को प्रभावित कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो उस पर बयान आना है ।

श्री नारायण चंदेल :- हम बयान सुनेंगे । लेकिन उसके पहले अपनी बात तो कह लें । अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के सभी सदस्यों ने कल घटित शर्मनाक घटना के विषय में बात उठाई । यह शर्मनाक घटना विधन सभा के सामने घटित हुई। पूरे देश में और विदेश में इसकी चर्चा हो रही है । आखिर ये परिस्थितियां बनी क्यों ? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है । पूरे प्रदेश में फर्जी जाति

प्रमाण पत्र के लगभग एक हजार से अधिक प्रकरण हैं । केवल सामान्य प्रशासन विभाग की जानकारी के अनुसार 267 फर्जी जाति प्रकरण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सरकार को पहले इसकी जानकारी दी । प्रशासन को इसकी जानकारी दी कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हो रही है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है । लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन है । शासन को क्या हो गया है ? यह परिस्थिति बनी क्यों, छत्तीसगढ़ के नवजवानों को [XX][13] होकर प्रदर्शन करने के लिए लाचार क्यों होना पड़ा ? अध्यक्ष महोदय, यह किसी भी सरकार के लिए, अगर इस सरकार में ज़रा सी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री जी को और सरकार को एक मिनट भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है । अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी से इस्तीफे की मांग करते हैं । मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए । ऐसी घटनाओं से देश और प्रदेश की गरिमा कम होती है । छत्तीसगढ़ शांति का टापू है । छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करने का एक लोकतांत्रिक तरीका है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है । लेकिन जब उन नवजवानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था तो सरकार के लोग और प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे थे, क्यों कार्रवाई नहीं हुई ? मजबूर होकर उन्हें [XX] प्रदर्शन करना पड़ा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने लिखकर दिया था क्या, कि हम [XX] प्रदर्शन करेंगे?

श्री नारायण चंदेल :- उन्होंने दिया था । सरकार की एल.आई.बी. क्या कर रही थी । सरकार का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- समाचार पत्र हरिभूमि में छपा है वे [XX] प्रदर्शन करेंगे, इसका अल्टमेटम शासन प्रशासन को दिया है । विधान सभा में दिया है, सोशल मीडिया में और समाचार पत्र में छपा है ।

श्री नारायण चंदेल :- सरकार का गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था । सरकार की एल.आई.बी. क्या कर रही थी । क्या इनको सूचना नहीं मिली कि इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है । आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? अध्यक्ष महोदय, हम इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे विपक्ष के सारे साथियों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर, इस ज्वलंत मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, इस पर इस सदन में चर्चा कराएं।

संसदीय सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग से सम्बद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल में आपकी सरकार ने एक भी जाति प्रमाण पत्र को रिजेक्ट नहीं कर पाए, उस समय इस्तीफा नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपका इस विषय पर क्या कहना है ? (व्यवधान)

---

[13] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा चुनाव होने वाला है, यह विपक्ष के द्वारा उचक रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बोल दिया, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इतना साल नहीं हुआ, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, बोल दीजिए। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि [XX][14] प्रदर्शन करने की सूचना.....। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आग्रह है कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह शर्मनाक स्थिति पैदा हुई है, उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करें और उन बच्चों को जिनको जेल में डाला गया है, उनको तुरंत रिहा करे। मंत्री जी के वक्तव्य में यह बात आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी प्लीज, एक मिनट। मैंने नहीं सुना, आप फिर से पढ़िए। आप शुरू से पढ़िए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि [XX]प्रदर्शन करने की सूचना युवाओं द्वारा पहले से ही शासन प्रशासन को दे दी गई थी, किन्तु इसे शासन प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया और असंवेदनशीलता का परिचय दिया। वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक 18.07.2023 को ग्राम आमासिवनी थाना विधानसभा, जिला रायपुर के पास सड़क पर लगभग 25-30 लोग फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर अचानक [XX]प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए, विधान सभा की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें पुलिस बल के द्वारा समझाईश देकर रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु प्रदर्शनकारियों द्वारा उग्र होकर पुलिस के साथ झूका-झटकी की गई। इस दौरान सहायक उप निरीक्षक धन्नालाल पठारे व अन्य पुलिस कर्मचारियों को चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा संयमपूर्वक प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया गया।

प्रार्थी सहायक उप निरीक्षक धन्नालाल पठारे की शिकायत पर थाना विधान सभा, जिला रायपुर में अपराध क्रमांक 213/2023 धारा 146, 147, 353, 332, 294 भा.द.वि. 67ए आईटी एक्ट पंजीबद्ध कर 29 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण की विवेचना जारी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें क्या आया है ? इसमें तो जो दोषी अधिकारी हैं उनको निलंबित करना चाहिए। यह शर्मनाक स्थिति है। उनको रिहा करना चाहिए। (व्यवधान)

---

[14] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें क्या आया है, ऐसे बयान तो कई आए हैं ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- किसकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उनकी मांग क्या थी, वे किन मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, यह तो मजाक हो गया। इतनी बड़ी घटना है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

वाणिज्यिक (आबकारी) कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी, यह हर चीज में राजनीति करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख रहा हूं। प्लीज आप बैठ जाईए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी घटना में गोलमोल जवाब आ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भाई, मुझे कुछ कहने तो दीजिए। मुझे भी तो कुछ करने दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह क्या है ? इतनी बड़ी घटना में सरकार की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया। हम क्या करेंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, यह क्या है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति क्यों बनी, हम इसमें बयान चाहते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- यह परिस्थितियों क्यों पैदा हुई ?

श्री अजय चंद्राकर :- इसमें शासन क्या कर रही है, कब तक कार्रवाई की जाएगी ?

श्री शैलेश पाण्डे :- अभी इसकी जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय :- सलाह कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी [XX][15] होकर प्रदर्शन करे, इससे ज्यादा दुर्भाग्जनक स्थिति क्या हो सकती है। कल विधानसभा में आतंकवादी घुस जाएंगे, गोली चला देंगे, यह कहेंगे कि हमको सूचना नहीं दी। आतंकवादी अगर विधानसभा में घुस जाएं और इसके बारे में सूचना नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- मंत्री जी ने कहा है, इसमें जांच करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार समाचार पत्रों में छप रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने इसमें कहा है कि सरकार जांच कर रही है। (व्यवधान)

[15] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शर्मनाक है। विधानसभा के पास अगर यह परिस्थिति पैदा होती है तो क्या स्थिति होगी ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूं।

समय :
1.11 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-250 के उपनियम-1 के तहत् निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं।

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. श्री बृजमोहन अग्रवाल
03. श्री ननकीराम कंवर
04. श्री पुन्नूलाल मोहले
05. श्री अजय चंद्राकर
06. श्री नारायण चंदेल
07. श्री शिवरतन शर्मा
08. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
09. श्री सौरभ सिंह
10. श्री डमरूधर पुजारी
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आप सबको निलंबित कर दिया है। कृपया आप सब सदस्य सदन से बाहर चले जाएं। मैं आपको बुलाता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1.12 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-250 के उपनियम-1 के तहत् जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं। ध्यानाकर्षण सूचना। चंदन कश्यप जी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, इनका निलंबन यथावत् रखा जाये। आप इनको सदन के अंदर आने मत दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यह जो बयान दिये हैं, उसको विलोपित कर दीजिए और ऐसा बयान मत दिलवाइये।

श्री शैलेश पाण्डे :- मंत्री जी ने कहा कि वह इसकी जांच करवा रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका निलंबन यथावत् रखा जाये और उसको दोबारा एक बार पढ़ दिया जाए।

समय :
1.13 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बस्तर के लघु वनोपज सहकारी समिति बनियागांव के प्रबंधक द्वारा अनियमितता किया जाना।

श्री चंदन कश्यप (नारायणपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

नारायणपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जिला बस्तर, विख-बस्तर के लघु वनोपज सहकारी समिति बनियागांव में तेन्दूपत्ता एवं अन्य वनोपज की खरीदी, हितग्राहियों को बोनस वितरण, फड़मुंशियों को कमीशन एवं मानदेय राशि वितरण में भारी अनियमितता बरतने एवं स्थानीय ग्रामीणों/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत प्रबंधक श्री निर्घत ठाकुर को प्रबंधक पद से हटा दिया गया। उक्त प्रबंधक एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत कर ग्राम बनियागांव एवं आसपास के बहुत अधिक पेड़ों की कटाई कर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है। प्राप्त शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक तथा वैधानिक कार्यवाही कर शासन को हुई क्षति राशि की वसूली भी किया जाना था, परंतु वन विभाग के

अधिकारियों द्वारा इस संबंध में आज पर्यंत तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों में शासन/प्रशासन के खिलाफ भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय :

1.14 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, बनियागांव के प्रबंधक के विरूद्ध तेन्दूपत्ता एवं अन्य वनोपज की खरीदी, फड़मुंशियो को कमीशन एवं मानदेय राशि वितरण में अनियमितता की अनेक व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित शिकायत दिनांक 27.09.2022 को प्राप्त हुई थी।

उक्त शिकायत की जांच एक जांच समिति से कराई गई जांच में रूपये 62,68,665.00 की आर्थिक अनियमितता पाये जाने के उपरांत प्रबंधक श्री निर्घत ठाकुर को प्रबंधक पद से सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 21.10.2022 को बर्खास्त कर दिया गया तथा इनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु वनमंडलाधिकारी, जगदलपुर के द्वारा दिनांक 23.01.2023 को थाना प्रभारी भानपुरी को पत्र लिखा गया, जिसके साथ जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न की गई ।

प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, बनियागांव के इस अवधि में रहे दो पालक अधिकारियों श्री सगराम बघेल, वनपाल एवं श्री डिलेश्वर प्रसाद पाण्डे, उप वन क्षेत्रपाल को दिनांक 11.01.2023 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । वन मंडलाधिकारी, जगदलपुर के पत्र दिनांक 08.06.2023 के द्वारा दोनों दोषी वन कर्मियों तथा बर्खास्त प्रबंधक को क्षति की राशि रूपए 62,68,665.00 जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया । विभाग के दोनों दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी तथा बर्खास्त प्रबंधक के विरूद्ध भी वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कराई जाएगी । जिन संग्राहकों तथा फड़मुंशियों आदि का भुगतान शेष है, उनको भी यथाशीघ्र भुगतान कराया जाएगा ।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त प्रबंधक एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मिली भगत कर ग्राम बनियागांव एवं आसपास में बहुत अधिक पेड़ों की कटाई कर वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है । बनियागांव के आसपास वनों की अवैध कटाई की जांच की गई, जिसमें प्रबंधक श्री निर्घत ठाकुर की किसी प्रकार की कोई मिली भगत नहीं पाई गई, वरन् अवैध कटाई में हुई हानि की राशि 22,406.00 रूपए की वसूली संबंधित वन कर्मचारियों से की जा रही है तथा अवैध कटाई कार्य की रोकथाम में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित क्षेत्र के परिसर रक्षकों को निलंबित किया गया है ।

अत: यह कहना सही नहीं है कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए दोषियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है । वन विभाग के संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं अवैध कटाई से शासन को हुए हानि की वसूली किये जाने से स्थानीय जनता में किसी प्रकार का रोष या आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जानकारी विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई है, वह गलत है । मैं स्वयं वहां गया था, रेंजर साहब गए थे, प्रभारी मंत्री गए थे । वहां शिकायत की जाती है, उसके बाद भी लीपापोती कर गलत जानकारी दी गई है । हटाए गए प्रबंधक के कार्यकाल की संभागीय प्रदेश स्तर के अधिकारियों से जांच कराने की मांग करता हूं । क्या मंत्री जी इसकी घोषणा करना चाहेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- प्रश्न एक बार फिर से पूछिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप आराम से बोलिए, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं ।

श्री चंदन कश्यप :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा आपको जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, वह गलत जानकारी दी गई है । प्रभारी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, मैं और सारे जन प्रतिनिधि उस गांव में गए, वहां भी शिकायत की, मंत्री जी ने आदेश भी दिया कि एफ.आई.आर. करिए । इतने वनों की कटाई हुई है, इतना गबन हुआ है, उसके बावजूद साल भर हो गया, आपके पास जानकारी आधी-अधूरी आई है । इसलिए मैं चाहता हूं कि हटाए गए प्रबंधक के कार्यकाल की जांच मैं वन विभाग के संभागीय प्रदेश स्तर के अधिकारियों से कराये जाने की मांग करता हूं । कृपया माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करने का कष्ट करें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एफ.आई.आर. करा दी गई है । (कापी दिखाते हुए) यह एफ.आई.आर. का कॉपी है । आप एफ.आई.आर. की मांग कर रहे हैं तो एफ.आई.आर. करा दी गई है ।

श्री चंदन कश्यप :- मैं जांच की मांग कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिए, जांच के बाद ही एफ.आई.आर. होती है । वह तो हो ही गया है ।

श्री चंदन कश्यप :- मैं वही तो कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी वही बता रहे हैं ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मैं आपको एफ.आई.आर. का कॉपी दे देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- जांच के बाद ही एफ.आई.आर. होता है, उन्होंने वह कर दिया। इसके बाद भी कोई प्रश्न है क्या ? आप कुछ बोलना चाहेंगे ?

श्री चंदन कश्यप :- नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, गंभीर मामला है । माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 62 लाख रूपये की गड़बड़ी हुई है । मंत्री जी इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि 22 हजार झाड़ सूखे पाए गए । उसके बाद भी किसी के खिलाफ में कोई आपराधिक कार्रवाई की गई है, यह मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । बस यही कहा कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है, वसूली की कार्रवाई की जा रही है । माननीय चंदन कश्यप जी तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है । जंगलों की बेतहाशा कटाई की जा रही है, वहां के अधिकारी-कर्मचारी पैसा खा रहे हैं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी कहां से कूद गए, यह बताईए । चंदन जी का ध्यानाकर्षण है, आप बीच में कहां से कूद गए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं कूदा नहीं हूं, मुझे अधिकार है । मैं इस सदन का सदस्य हूं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके विभाग में तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई थी। बहुत सालों तक वन मंत्री आप ही थे । जो गड़बड़ी हुई है, वह आपके समय की परम्परा है । सारी गड़बड़ियां इन्हीं के समय की है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ की पहचान जंगलों के नाम से है, परन्तु जिस प्रकार से अवैध कटाई हो रही है और माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं कि प्रदेश से अधिकारी भेजकर जांच करवा लें, उसमें क्या दिक्कत है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिए, जांच के बाद ही एफ.आई.आर. होती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा नहीं है। एफ.आई.आर. दर्ज होकर भी जांच होती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- फिर एफ.आई.आर. के बाद जांच और विवेचना होती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एफ.आई.आर. के बाद विवेचना होगी। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, ऐसा नहीं होता है। जांच के बाद ही विवेचना होती है। देखिये, जो जांच होता है, उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज होता है और उसके बाद विवेचना होती है।

श्री अमरजीत भगत :- उनको पूरी विवेचना की जानकारी है। आप उनको सीखा रहे हैं, बताईये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर मैं कोई रिपोर्ट लिखाता हूं तो एफ.आई.आर. दर्ज होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- हम उसको जांच नहीं बोलेंगे। हम विवेचना की बात करेंगे। एफ.आई.आर. दर्ज होकर विवेचना होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विवेचना होगी, परन्तु वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करवा लें। पूरे छत्तीसगढ़ में जंगलों को काटा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आप विवेचना के बारे में बता दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारे वनवासी क्षेत्र के विधायक इस बात को कह रहे हैं। सत्तापक्ष के विधायक कह रहे हैं तो वरिष्ठ अधिकारी को भेजकर जांच करवा लें। माननीय मंत्री जी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप इस विषय में कुछ कहेंगे ?

समय

1.21 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह जो अवैध कटाई की बात कर रहे हैं, मैं इन सारे आरोपों को अस्वीकार करता हूं। यदि कोई सबूत है तो रख दो, कार्यवाही होगी। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है वसूली की कार्यवाही चल रही है

(2) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों की सड़कें जर्जर होना।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के ग्राम चमारी से भरूवागुड़ा 2 कि.मी., कोदवाबानी से कुसी 5 कि.मी., दशरंगपुर किशनपुर से गोईन्द्री 8 कि.मी., सोढ़ार से जगताकापा 10 कि.मी., बरेली से कुकुसदा 15 कि.मी., बरछा से कुकुसदा 12 कि.मी., शीतलदाह से गोपतपुर 4 कि.मी., विचारपुर से उसलापुर 5 कि.मी., फास्टदरपुर से पौनी पहुंच मार्ग 6 कि.मी., पौनी मोड़ से दुल्लापुर 6 कि.मी., बिजातराई से भूमियापारा 3 कि.मी., दाबी छटन से दामापुर 6 कि.मी., फास्टारपुर से हरियरपुर चमारी 8 कि.मी., केसतरा से टेढ़ाधौरा 6 कि.मी., टेढ़ाधौरा से लक्षणपुर दुल्लापुर 7 कि.मी., अंतपुर से सिंघनपुरी 3 कि.मी., पेंड्राकापा से छटन सेतगंगा 16 कि.मी., सीतलकुंडा से सोनपुरी बांकी 5 कि.मी., किंदरियापारा से झिटकनिया 5 कि.मी., ठाकुरपारा से झिटकनिया 5 कि.मी., सेतगंगा से पंडोतरा 7 कि.मी., सेतगंगा से सेमरकोना 5 कि.मी., सिपाही से भुरका 7 कि.मी., भुरका से सेमरकोना 3 कि.मी., सिल्लीर से छटन 4 कि.मी., हरियरपुर से बोधीपारा - फागुपारा - टेढ़ाधौरा 15 कि.मी., टेढ़ाधौरा से उसलापुर पौनी 8 कि.मी., जुझाराभाठा से चमारी बिझौरी 4 कि.मी., बांकी से चलान चातरखार 3 कि.मी., बांकी से चमारी टिर्गीपुर 15 कि.मी., चारभाठा से मानपुर 10 कि.मी., चकरभट्ठा से मानपुर 10 कि.मी., निरजाम से देवकीदह बांकी 3 कि.मी., पलानसरी से भदराली 2 कि.मी. जैसे लगभग 140 कि.मी. मार्ग लोक निर्माण विभाग/मुख्यमंत्री सड़क योजना तथा अन्य योजनाओं से लगभग 5 से 10 वर्ष पूर्व निर्मित किए गए थे, जो अब अत्यंतत ही जर्जर एवं क्षतिग्रस्तय हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों का आवागमन दूभर हो गया है। आये-दिन गंभीर प्रकृति की दुर्घटनाएं भी घटित हो रही हैं, जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उपरोक्त समस्याओं के कारण क्षेत्र की जनता में भारी रोष एवं आक्रश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, ध्यानाकर्षण में इधर तो कोई नहीं दिख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं बुला रहा हूं।

लोक निर्माण विभाग मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- मेरे विभाग के पूरे अधिकारी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां हैं ? सामने में एक भी अधिकारी नहीं हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मेरे विभाग के सचिव हैं, ई.एन.सी. हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये छोड़िये न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपको गलत बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखने वाले का नजर होना चाहिए। वह अधिकारी दीर्घा में बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- इससे विधानसभा की गरिमा कम होती है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप शुरू करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, विभाग अध्यक्ष बैठे हैं या कौन बैठे हैं, यह बताईये ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मेरे विभाग के सचिव, ई.एन.सी. बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां बैठे हैं ?

श्री कवासी लखमा :- बार-बार खड़े होने से विधानसभा की गरिमा खत्म हो रही है। इनको खड़े नहीं होने देना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप अपने विषय में तो खड़े नहीं हो सकते।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये, छोड़िये न। माननीय मंत्री जी, कृपया आप शुरू करें।

लोक निर्माण विभाग मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों की स्थिति अच्छी है। सूचना में वर्णित 07 मार्ग चमारी से भरूवागुड़ा, सोढ़ार से जगताकापा, बरेला से कुकुसदा, केसतरा से टेढ़ाधौरा, पेंडारकापा से छटन सेतगंगा, निरजाम से देवकीडीह बांकी, पलानसारी से भदराली मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जिनमें लगातार पेच रिपेयर, नवीनीकरण कार्य कर मार्गों का संधारण किया जा रहा है। शेष 27 मार्ग लोक निर्माण विभाग के अधीन नहीं है। शेष सभी 27 मार्ग प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है एवं कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास विभाग मुंगेली से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 27 मार्गों का कार्य पूर्ण/स्वीकृत/प्रगतिरत प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित है। लोक निर्माण विभाग की सड़कों के उपलब्ध आवंटन एवं मार्गों के स्थिति की आवश्यकता अनुसार संधारण का कार्य किया जा

रहा है। अत: मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के मार्गों की स्थिति अच्छी है एवं सड़कों के प्रति आम जनता में किसी प्रकार का रोष एवं असंतोष नहीं है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्राप्त जानकारी के अनुसार बता रहे हैं और हमारी जानकारी हमारे जाने के अनुसार है। वहां गड्ढे पड़े हैं, सड़क जर्जर है, खराब है। मंत्री जी आप जाकर, या किसी अधिकारी को भेजकर जांच कर गड्ढें को पटवायेंगे, यह मैं आपसे आशा करता हूं। नहीं तो आप हमारे साथ चलिये, देखेंगे कि कहां-कहां प्राप्त जानकारी के अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एकाध राउण्ड लगा दीजिये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमारी जानकारी हमारे जाने के अनुसार है । वहां गड्ढ़े पड़े हैं, जर्जर है, खराब है । क्या मंत्री जी खुद जाकर या किसी को भेजकर जांच करके गड्ढे को पटवायेंगे । यह मैं आपसे आशा करता हूँ । आप हमारे साथ चलिये, आप देखेंगे कि प्राप्त जानकारी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, एकाध राऊंड लगा दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :-माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उत्तर बनता है तो हमारे अधिकारी वहां जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही उत्तर बनाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि प्राप्त जानकारी के अनुसार ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हर गांव का दौरा किया हूँ। यह रोड जर्जर है, सिर्फ पांच रोड आपके सुधरे हैं । अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि जो गड्ढ़े पड़े हैं, बरसात में आप डामरीकरण नहीं कर सकते, अन्य कार्य नहीं कर सकते, गड्ढ़े को पटवाईये, आपने जो उत्तर दिया कि प्रस्तावित है, प्रश्नाधीन है, यहां तक कि निविदा के बारे में आपने बताया कि प्रक्रियाधीन है तो इस प्रक्रियाधीन निविदा को क्लियर करवायें और रोड को बनवाईये, ऐसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने ध्यानाकर्षित कर दिया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी यह तो बोल दें कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसको ध्यान देकर उन सड़कों को भरवाऊंगा । अब उनकी उम्र भी हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनसे पूछ लिया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी ने गड्ढ़ों के चलते ईएनसी को हटा दिया था । समाचार पत्रों में भी छपा । उसके बाद सम्माननीय सदस्य गड्ढ़ों की बात कर रहे हैं तो क्या मायने हैं, मुख्यमंत्री जी के आदेश हो गये हैं तो भी उसका पालन नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी कह दीजिए । प्लीज ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि दौरा करते हैं फिर उत्तर बनता है । धमतरी जिले के एक सड़क में रोज प्रदर्शन हो रहा है । अपने क्षेत्र का थरहा दे देता मैं

हूँ । कृषि मंत्री भी हैं, सड़क में जाकर लगा सकते हैं । मेरे साथ चलेंगे तो चलिये । आप अधिकारी को मत भेजिये, मैं और आप यहां से निकलकर चलते हैं । मैं थरहा दे दूंगा और सड़क में रोपा लगा लेना ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप ही के जमाने का होगा । तभी इतना खेत जैसा हुआ है । गड्ढ़ा भराई का पूर्व काम हो चुका है, पेंच रिपेयर गड्ढ़ा भराई का काम हम करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :-चलना भई देख लेबे ।

अध्यक्ष महोदय :- हो जायेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, पुन्नूलाल मोहले जी को गड्ढ़ों की जरूरत नहीं है, उनको प्लेन सड़क चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है बना देंगे । कल मैंने उनसे चर्चा की थी, अग्रवाल जी मैंने कल उनसे स्वयं चिंतित होकर पूछा है, प्लीज । मेरी बात तो सुन लो । मैंने कहा कि कितने बच्चे हैं तो उन्होंने कहा कि 12 बच्चे हैं । 12 बच्चों के साथ वह अपने क्षेत्र में घूमते हैं । बच्चे कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, गड्ढ़ों को जरा जल्दी बनवा दीजिएगा, यह मेरा निवेदन है । (हंसी)

समय :
1.30 बजे

नियम 267 क के अधीन शून्यकाल सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित की शून्यकाल की सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री केशव चन्द्रा

समय :
1.30 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-86, जगदलपुर के सदस्य, श्री रेखचंद जैन

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-86, जगदलपुर के सदस्य, श्री रेखचंद जैन को जुलाई, 2023 सत्र में दिनांक 18 जुलाई, 2023 से 21 जुलाई, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है ।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मेरे लघु भ्राता का देहावसान होने के कारण मैं जुलाई-2023 सत्र में दिनांक 18 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाऊंगा ।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-86, जगदलपुर के सदस्य, श्री रेखचंद जैन को जुलाई-2023 सत्र में दिनांक 18 जुलाई, 2023 से दिनांक 21 जुलाई, 2023 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थिति रहने की अनुज्ञा दी जाये?

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है ।

(माननीय सदस्य को अनुपस्थिति की अनुज्ञा प्रदान की गई)

समय :
1.31 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

लोक लेखा समिति का एक सौ उनतीसवां से एक सौ चालीसवां तक 12 प्रतिवेदन

श्री अजय चन्द्राकर (सभापति, लोक लेखा समिति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का एक सौ उनतीसवां से एक सौ चालीसवां तक 12 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। यह देश की सबसे सक्रिय कमेटी है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बधाई। श्री अरूण वोरा जी।

श्री अरूण वोरा (सभापति, याचिका समिति) :- अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय :
1.31 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेगी :-

1. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
2. श्री चंदन कश्यप जी
3. श्री धरमलाल कौशिक जी

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आज याचिका समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। आपसे थोड़ी-सी ज्ञानवर्धन की बात है कि कितनी याचिकाएं निराकृत हुई है, आप थोड़ा-सा पूछ लीजिये। गरीमा बढ़ जायेगी। चर्चा करवा दीजिये।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी। यह कोई प्रश्नकाल नहीं है, आप प्रश्नकाल में पूछिये।

अध्यक्ष महोदय :- करायेंगे। प्लीज। माननीय मुख्यमंत्री जी।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

1.32 बजे

वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज बुधवार दिनांक 19 जुलाई, 2023 की ही तिथि निर्धारित करता हूं।

श्री बृहमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, जो विनियोग विधेयक है, यह महत्वपूर्ण विधेयक होता है। हमको इस विधेयक पर अभी तक अनुपूरक अनुमान की कॉपी नहीं मिली है। हमें कॉपी मिलेगी और आप एक-दो घण्टे बाद चर्चा करवायेंगे, यह कैसे संभव है ? विनियोग विधेयक से ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई विधेयक नहीं होता है। इसलिए आप इस पर कल चर्चा करवा लें। सदन का सबसे महत्वपूर्ण काम बजट को पारित करना, विनियोग विधेयक को पारित करना है। इससे महत्वपूर्ण काम और कोई दूसरा नहीं होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह एक मात्र विधेयक है, जिसमें सरकार गिर सकती है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो। यहां पर तीन घण्टे का समय भी दिया गया है।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग न आपकी व्यवस्था को मानते हैं न विधान सभा को मानते हैं। यह दोनों जोड़ी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपसे इस बात का आग्रह कि इसमें पर्याप्त चर्चा करने के लिए आज की बजाय आप कल इसके ऊपर चर्चा करवायें। आप नियम भी देख लें और प्रक्रिया भी देख लें कि नियम प्रक्रियाओं के तहत कभी भी जिस दिन विनियोग विधेयक प्रस्तुत होता है, उस दिन उस पर चर्चा नहीं होती। सदस्यों को पर्याप्त समय देना चाहिए, इसमें पर्याप्त समय नहीं मिला है। उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम चर्चा में भाग लेंगे। यहां पर छत्तीसगढ़ के हित का, छत्तीसगढ़ के विकास का, छत्तीसगढ़ के भविष्य का निर्णय होता है तो इसके ऊपर कल चर्चा करवायें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। आपसे इस बात का आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां पर वित्त सचिव भी उपस्थित नहीं है।

समय :

1.33 बजे

<u>मंत्रि-मंडल में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष महोदय :- मेरे पास मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों तथा दूसरी सूचना श्री धर्मजीत सिंह जी एवं प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से प्राप्त हुई है, श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष व अन्य सदस्यों की ओर से प्राप्त पहली सूचना को मैं पढ़कर सुनाता हूं।

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं उनके मंत्रिमंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रकट करता है।"

अध्यक्ष महोदय :- पहली सूचना के पक्ष में दशांश सदस्य खड़े होने की स्थिति में दूसरी सूचना को नहीं लिया जायेगा। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाये।

(दशांश सदस्य के खड़े होने के पश्चात्)

श्री अजय चन्द्राकर :- उधर के लोग भी खड़े हो सकते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- मरकाम जी, अवसर है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब तो हम चौबे जी का भी नाम ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि नियमावली के नियम 143 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार सदस्यों की समस्त संख्या में से दशांश सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिये मैं अनुमति देता हूं।

मैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु गुरूवार दिनांक 20 जुलाई, 2023 को शासकीय कार्य संपन्न होने के तत्काल पश्चात् से सायं 5.30 बजे तक तथा शुक्रवार दिनांक 21 जुलाई, 2023 को मध्यान्ह् 12.00 बजे से 5.30 बजे तक का समय निर्धारित करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है तो आप चर्चा तुरंत शुरू करवा दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बृजमोहन जी के प्रश्न पर कोई व्यवस्था नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने व्यवस्था पहले दे दी है। मैंने पढ़ दिया है कि मैंने समय निर्धारित कर दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग पर चर्चा वाला कह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विनियोग पर चर्चा वाली व्यवस्था पर बात कही है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, पहले भी इस तरह के कई उदाहरण हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक एक मात्र विधेयक होता है इसमें सरकार जा सकती है, उसमें इतनी गंभीरता होती है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ गया। ठीक है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए उनकी जाने की पूरी संभावना है तो चौबे जी, डॉ. प्रेमसाय सिंह जी में असंतोष दिख रहा है और मेरे ख्याल से उनके उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव जी से असंतुष्ट हैं। इसलिए इस समस्या के लिए बाद में चर्चा करें।

समय :
12.36 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन)(संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) का पुर: स्थापन करता हूँ।

(3) <u>भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023)</u>

वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री (श्री जय सिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) के पुर: स्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) के पुर: स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) का पुर: स्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे चुका हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ तो व्यवस्था दे दीजिए कि आपने उसे निरस्त कर दिया या स्वीकार कर लिया। कुछ भी व्यवस्था दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप चर्चा शुरू करवा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जाकर पेपर तो ले आएं। आप 10 मिनट के लिए स्थगित कर लीजिए। हम अपने कबूतर खाने में तो देख कर आ जाएं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विनियोग में किन-किन चीजों पर चर्चा करनी है। हम अपने कबूतर खाने में जाकर अपनी कॉपी लें फिर हम इस पर चर्चा करें। यह कैसी परम्परा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने कबूतर खाने तो देखकर आ जाएं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम अपने कबूतर खाने में जाकर अपनी कॉपी लें फिर हम इस पर चर्चा करें।यह कैसी परम्परा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताईये कि हम कैसे चर्चा करें ? अभी अनुपूरक बजट की कॉपी बंटी है या नहीं बंटी है इसकी आपकी पास सूचना नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें अनुपूरक बजट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आधे घण्टे स्थगित कर दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप इस पर चर्चा करवायेंगे, यह कैसे संभव है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमें अपनी कॉपी लेने के लिए तो समय दीजिएगा। माननीय चौबे जी, आप हमें कॉपी लेने के लिए तो समय दीजिएगा। हमें अपने कबूतर खाने में जाने-आने में समय लगेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहीं अनुपूरक बजट की कॉपी बंटवा दीजिए। सब कुछ होता है। माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी जो चाहते हैं, वही होता है।

अध्यक्ष महोदय :- आप शांत रहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप कुछ समझा करिए। आपको 15 सालों में कोई नियम-कानून पता ही नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय,केवल इन्हीं लोग नियम कानून के ज्ञाता हैं क्या ? इन लोग प्रख्यात पंडित बन गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे यह अवगत कराया गया है कि आप लोगों को कॉपी दे दी गई है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग हर बात में आपत्ति करते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें थोड़ा समय दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए मन अपन हिसाब से चलाबो कथे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अनुपूरक की कॉपी प्रिंट नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे यह जानकारी मिली है कि आप लोगों को कॉपी बंट गई है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमें अनुपूरक की कॉपी वितरित नहीं हुई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें वहां जाकर पेपर लाने में समय लगेगा। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो व्यवस्था दे रहे हैं उसको एक बार में स्वीकार करना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कल चर्चा करा लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि अनुपूरक की कॉपी नहीं देना चाहते हैं तो आप कल चर्चा करा लीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी परम्परा नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपको ऐसे ही पारित करवाना है यह गोपनीय चीज है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने अपने अधिकारियों से जानकारी ली है। अनुपूरक बजट की कॉपी बंट चुकी है फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,हम तो यहां बैठे हैं। आप आधे घण्टे का समय तो दीजिए। हमें पढ़ने तो दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से बिना चर्चा के पारित करा दें।

अध्यक्ष महोदय :- कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(1.40 बजे से 1.58 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
1.58 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। परम्परानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उस पर एक साथ चर्चा होती है। अत: मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि - दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **छः हजार इकतीस करोड़, पचहत्तर लाख, दो हजार, नौ सौ सतहत्तर रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन है।

समय :

2.00 बजे

<u>वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवीन योजना क्रमांक-7038-मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम को संशोधन करने संबंधी सूचना</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की बजट पुस्तिका में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत नवीन योजना **"क्रमांक-7038-मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)"** के स्थान पर **"क्रमांक-7038-आवास न्याय योजना (ग्रामीण)"** संशोधित कर पढ़ा जाये।

<u>वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)</u>

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- जी सर।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपके बाकी साथी लोग भाषण सुनने के लिए कहां चले गये? गायब हैं। ताली कौन बजायेगा?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोल रहा हूं। मैं पहले आपका ही उत्तर दे देता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के बजट पेश होइस ता एमन सब बेहोश हो गइस।

श्री अजय चंद्राकर :- डहरिया जी, ऐसा है कि नियम तोड़ने के लिए क्रूर बहुमत की जरूरत पड़ती है, जो आपके पास है इसीलिए ऐसा बजट पारित करवा रहे हो, एक। बहस के लिए संख्या बल की जरूरत

नहीं पड़ती। आप समझ रहे हैं न? माननीय मुख्यमंत्री जी की आई.क्यू. लेबल कितना है, बताईये? अधिकतम आई.क्यू. लेबल कितना होता है और मुख्यमंत्री जी का आई.क्यू. लेबल कितना है, यह बताईये?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उसको नाप नहीं सकते।

श्री अजय चंद्राकर :- और आपका आई.क्यू. लेबल कितना है, बताईये? फिर मैं आगे बढ़ूगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप नहीं नाप सकते हैं। तोर से तो ऊपर हे। तैं हर चिंता मत कर।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय नेता जी, यह आखिरी बजट में भाषण दे रहे हैं। आप, ठीक-ठाक बोलना, अच्छा बोलना। इधर-उधर मत करना। ऐसा-ऐसा हाथ मत दिलाना। (हाथ से इशारा करके)

श्री अजय चंद्राकर :- आप दूसरे के में खड़े होते हैं। अपने में तो फटती है। अपने में तो ऐसा होता है। (हाथ से इशारा करके) दूसरे के में खड़े होते हैं। तैं हर ओला फेर भड़का देहे।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, यह क्या-क्या बोल रहे हैं। इनको कितना भी बोलने से समझ में नहीं आता है।

श्री अजय चंद्राकर :- फटना तो असंसदीय शब्द नहीं है। आप भाषण निकलवा लीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आप और आबकारी मंत्री जी। Just a minute.

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात का आग्रह कर देता हूं। हालांकि, दो दिन सदन बाकी है। संसद में भी और देश के विभिन्न विधानसभाओं में भी संसदीय, असंसदीय शब्द कई बार संशोधित हुए हैं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, यह जो फटता शब्द बोले हैं, उसको विलोपित करिये।

श्री अजय चंद्राकर :- क्योंकि बहुत सारे शब्द इलेक्ट्रॉनिक युग के बाद आए हैं। हमने आपसे दो साल पहले आग्रह किया था कि तथाकथित छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया चलने लगा तो हमने कहा कि बहुत सारे शब्द हैं तो छत्तीसगढ़ी के कौन से शब्द संसदीय हैं, कौन से शब्द असंसदीय हैं, इसकी एक बार बैठक करवा लीजिये। लखमा जी, बार-बार खड़े होंगे। अभी तो मैं ठेठ छत्तीसगढ़ी में और बहुत सारी चीज बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैं तो यह कह रहा था कि वह आबकारी मंत्री हैं और उसको देखकर आपको नशा चढ़ जाता है, ऐसा लगता है। (हंसी) चलिये, अब शुरू करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आबकारी मंत्री को मत छेड़िये, नहीं तो शाम को दिक्कत हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्ष महोदय, अब मैं फिर से उसी में आता हूं। आई.क्यू. लेबल 90 से 110 highest मानी जाती है। 110 मतलब Genius। ऐसा कहा जाता था कि Albert Einstein भर का ..।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, यह भटक रहे हैं। आप शुरू से ही बजट में बोलने के बगैर इधर-उधर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज। चलने दीजिये। समय कम है। दो दिन का है।

श्री अध्यक्ष महोदय :- ऐसा माना जाता है कि Albert Einstein भर का आई.क्यू. लेबल 150 था। मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी का 150 से ऊपर है और डहरिया जी का 40 से कम है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर ले तो ज्यादा ही हे। तोर तो 10 भी नइ हे। तैं तो पूरा 10 नंबरी हस।

श्री अजय चंद्राकर :- क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है। गो-वंशियों का सिर्फ गोबर भर खरीद रहे हैं। अभी हाथी का भी पुट्ठा बनता है। ऊंट का भी बनता पुट्ठा है, छेरी का भी पुट्ठा बनता है, घोड़ा का भी पुट्ठा बनता है। ऐसे बहुत सारे गोबर, मूत्र, लीद, ये सब अभी खरीदने के लिए प्रदर्शन करने हेतु बाकी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अभी हम लोग हाथी अभ्यारण्य बना रहे हैं। हम लोग मतलब सरकार हाथी अभ्यारण्य बना रही है, उसके बाद हाथी के बारे में सोचेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- तो अभी आई.क्यू. का पूरा प्रदर्शन नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी संभानाएं हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह सरकार बनी तो मैं शुरूआत में पहले विनियोग में एक बात को बोला था कि एक अस्थिर सरकार को इतना बड़ा बजट देना चाहिए क्या? अस्थिर इन शर्तों में कहा था कि बाबा जी पूरा घूम-घूम कर बता रहे थे। मीडिया वाले भी छाप रहे थे, इलेक्ट्रानिक मीडिया भी छाप रही थी कि ढाई-ढाई साल का टर्म है। ढाई-ढाई साल का टर्म है तो यह तो अस्थिरता ही इतना बड़ा दे देंगे कि बंदर के हाथ में, उस तरह हो जायेगा।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अजय चंद्राकर जी से कहना चाहता हूं कि पौने पांच से ..।

श्री अजय चंद्राकर :- पहले तो आप स्पष्ट करिये कि आप दुर्ग के महापौर हैं या विधायक हैं?

श्री अरूण वोरा :- आप सुन तो लीजिये। सुनने की शक्ति तो रखिये। विधायक तो हैं ही। मैं चुनकर आया हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप दुर्ग के महापौर भी हैं न?

श्री अरूण वोरा :- आप कुछ भी अफवाह फैलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह अफवाह फैला रहे हैं। यह अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। आप 15 सालों तक कुंभकर्णी नींद में सोये रहे । पौने 5 साल तक सोये रहे । अब अचानक जाग गये हैं । अब तो पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- अब मैं 15 साल से पहले की कहानी में पहुंचता हूं ।

श्री अरूण वोरा :- कौन सी वाली ?

श्री अजय चंद्राकर :- सुनिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पुण्य स्मरण के साथ और श्रद्धा के साथ माननीय मोतीलाल वोरा जी को स्मरण करता हूं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की सेवा की मुख्यमंत्री बनकर, वाणिज्य मंत्री, सब चीज रहे लेकिन छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका एक एहसान है जो छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा । वह यह है कि माननीय जोगी जी को कोडार बांध में क्लीन चिट उन्होंने दी । आप समझ रहे हैं, फाईल खोलवा लीजिये और देख लीजिये तो आपके या कांग्रेस के डीएनए में है । इस तरह की फाईलों को बंद करना और इस तरह की चीजों को रोकना । भ्रष्टाचार को संरक्षण देना यह डीएनए में है ।

श्री अरूण वोरा :- देखिये, आप डीएनए की बात कर रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं जो बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं । आप खंडन कर दो, मैंने तो पुण्य स्मरण कहा । मैंने वोरा जी के ऊपर आरोप नहीं लगाया । मैंने यह कहा कि छत्तीसगढ़ के ऊपर एक एहसान है कि माननीय जोगी जी को कोडार काण्ड से उन्होंने क्लीन चिट दिया ।

श्री अरूण वोरा :- अच्छा काम किये न ।

श्री अजय चंद्राकर :- बेसरम है या सागौन है या कउहा है, जाम है, सरई है । सब एके गिनती है । धोए मुरई के एके भाव, बिन धोए मुरई के उही भाव । अऊ काउ खड़े ले मुर्दा हल्का नइ होए । मैं पूरा बोलओं का ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इतनी मोटी किताब को क्या हम 10 मिनट में पढ़ सकते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं पढ़ सकते ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम नहीं पढ़ सकते तो हम भाषण कैसे देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- वे दे रहे हैं न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार से कहूंगा कि इस किताब को पोंगरी बनाकर उचित स्थान पर रख लें अगर हम बिना पढ़े भाषण देंगे तो यह पोंगरी बनाने के अलावा और कोई काम नहीं है । यह क्या काम आयेगा ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पीछे वाले को दे दो । (व्यवधान) पीछे वाले भाषण शुरू कर चुके हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में उच्च परंपराएं स्थापित हुई हैं, कम से कम यह स्थिति पैदा मत हो कि बिना हमें प्राप्त हुए और आप 10 मिनट में चर्चा करवा दें और बिना पढ़े हम चर्चा कर लें यह कैसे संभव है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप पीछे वाले को दे दो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य के इतिहास में ऐसा कभी नहीं होता है । पढ़ने के लिये कम से कम समय तो मिलना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको पोंगरी बनाने के लिये बोल रहे हैं तो पीछे वाले को दे दो । वे चालू कर चुके हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह पूरी तरह विनियोग विधेयक है । कोई सामान्य विधेयक हो तो समझ में भी आता है । अगर विनियोग विधेयक में इस प्रकार की चर्चा होती है तो यह औचित्यपूर्ण नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर तो सामान्य भी समझ में नइ आवए ता ये विनियोग का आही ? सामान्य भी समझ में नइ आवए न ता तें हा पीछे वाले ला दे दे, ओहा चालू कर चुके हे । (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं कि पोंगरी को पीछे वाले को दे दो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तें ऐला पोंगरी बना ले अउ उचित स्थान मा रख दे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब बंद करिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- ओकरे में डाल देथन हटा ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पीछे वाले को दो । माननीय अध्यक्ष जी, इन लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था कि अनुपूरक का उपस्थापन एवं उस पर चर्चा एक ही दिन में नहीं होती । मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अनुपूरक का उपस्थापन एवं उस पर चर्चा एक ही दिन में कराये जाने के पूर्व उदाहरण हैं । चतुर्थ विधानसभा में दिनांक 2 मार्च, 2016 को, दिनांक 03 मार्च, 2017 को तथा 22 सितम्बर, 2017 को अनुपूरक का उपस्थापन और उस पर चर्चा हो चुकी है इसलिये पूर्व उदाहरण के अनुसार आज यह चर्चा हो रही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह आपके कार्यकाल का ही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बातें को मानता हूं । जब सचिवालय ने यह दिया तो यह भी बता दें कि दोनों में कितने घंटे का अंतर था । बिना 10 मिनट के अंतर पर आजतक चर्चा नहीं हुई है । मुझे मालूम है कि पहले भी चर्चा हुई है लेकिन 2 घंटे, 4 घंटे, 5

घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे अनुपूरक क्योंकि प्रदेश का महत्वपूर्ण मामला होता है विनियोग विधेयक इसलिये इसके विरोध में हम लोग कभी नहीं होते । हम लोग हमेशा इसमें भाग लेते हैं परंतु बिना पढ़े भाग लेना यह कैसे संभव होगा ? यह इतने करोड़ का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे मालूम है कि बृजमोहन अग्रवाल जी बिना पढ़े भी बहुत कुछ कह सकते हैं, भाग ले सकते हैं और उसी आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि आप इस चर्चा में भाग लेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिना पढ़े बोल सकता हूं लेकिन जब संसदीय परम्पराएं टूटती हैं तब हमें कष्ट होता है और संसदीय परम्पराएं आज के लिये नहीं वह हमेशा के लिये, जैसा आप पूर्व उदाहरण दे रहे हैं फिर यह उदाहरण दिया जायेगा कि उस समय 10 मिनट के अंतर से चर्चा हो गयी तो पूर्व उदाहरण गलत नहीं बने इसलिये हम लोग आपसे इस बात का आग्रह करते हैं कि इसको कल लें तो ज्यादा औचित्यपूर्ण होगा। बिना पढ़े चर्चा करना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- भविष्य में इसका ख्याल रखा जायेगा। आप चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं, अपनी बात जारी रखें।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो सहमत हूं। मैं औपचारिकता निभा रहा हूं। हो सकता है अगले सत्र में अगली बार कभी ऐसी स्थिति बने तो हम लोग न रहें। तो उदाहरण तो बन जाता है। बहरहाल, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात मैंने सरकार के अस्थिरता की बात बोली थी। वही स्थिति कमोवेश आज भी है। यह जल्दबाजी क्यों है? यह 10 मिनट का समय क्यों है? तुरंत क्यों है? हम आलोचना करते थे कि जोगी जी ने कम दिन का 3 दिन का सत्र बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, भूपेश बघेल जी legislation में 5वीं बार विधायक हैं। मध्यप्रदेश का उदाहरण दे देंगे। हरियाणा का उदाहरण दे देंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दुनियाभर से आज भी मैं विधान सभा छत्तीसगढ़ की ऐसी परंपराएं बता दूंगा, जो मिसाल हैं और इसे नष्ट करने में विशेष रूचि संसदीय कार्य मंत्री जी की है। विशेष रूप से इसलिए है, क्योंकि आप लाख कोशिश कर लें, इधर बैठ जायें या उधर आ जायें, आपको जगह मिल जाये, आपने अपना मूल स्वरूप खो दिया। तेल और पानी कभी मिलते नहीं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो कोशिश आप कर रहे थे कि तेल पानी मिल जायेगा। आप समझ रहे हैं न। अब इधर से उधर आये तब आपको पता चला कि मैं क्या था और मुझे कितने दिन में यह बात समझ में आयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हें फर्जी आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। आज ही introduce हुआ है। पेपर में छप गया। योजना मंडल के उपाध्यक्ष का नाम बताकर योजना आयोग का अध्यक्ष इन्हें बना दिया गया। नाम बदलकर योजना मंडल को योजना आयोग कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय जी, आप बताइए कि यह अपमान है या सम्मान है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से उसे मुक्त करने के लिए बिल अभी आ रहा है। पेपर में नोटिफिकेशन के बाद, विधान सभा के नोटिफिकेशन के बाद यह बात छप रही है और विधान सभा में यह बिल आ रहा है। बृजमोहन जी ने तो समय का

छोटा सा मुद्दा उठाया। यह कितनी बड़ी अवमानना है। आप इसे बताइए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग भी उन्हीं के पास है। पेपर में गलत छपा है, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या? और नोटिफिकेशन के बाद ऐसा होता है कि घोषणा होने के बाद बिल introduce होता है। आज भी मैंने बेरोजगारी के आंकड़े पर बताया कि सरकार नकारती है और उसे विधान सभा की परिशिष्ट में लगाती है। हम लोगों का क्या सम्मान है? मैं आपका नहीं बोल सकता। आपका सम्मान है या नहीं है? आपके सम्मान से हम सब जुड़े हैं। पर यह तो पराकष्ठा हो गई। ये मोहन मरकाम जी हैं, इन्होंने शपथ क्या लिया, इन्हीं के विभाग में [XX] प्रदर्शन हो गया। बाबा जी, बाबा जी नहीं बोलता। बाबा जी, नया जैकेट पहनकर आये थे हम लोगों को बताने के लिए कि मैं उप मुख्यमंत्री बना हूं। वे कभी जैकेट नहीं पहनते थे। इधर बैठते थे और उधर भी नहीं देखते थे। और आज उप मुख्यमंत्री होने के बाद दिन भर गायब हैं। अब छत्तीसगढ़ के 40 प्रतिशत लोग अवसादग्रस्त हैं। ये सारी दुनिया जानती है। सब जानते हैं। उसमें 1 नाम और जोड़ लीजिए। यह सरकार कैसे चलेगी? वह है माननीय रविन्द्र चौबे जी। आप समझ रहे हैं न। तो ऐसे विषादग्रस्त विसंगतियों से जूझते और बैलेंस करते इन्हें 4 महीने के लिए प्रदर्शन performance करने के लिए इन्हें कहेंगे, ये उस विभाग में यह किताब कैसे बनता है, वो किताब बनाने की प्रक्रिया तो छोड़ दें शिक्षा विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, या एक किताब का एक पन्न तो 3 महीने में वे पढ़ लें। 3 महीने में एक पन्ना तो पढ़ लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में यह अस्थिरता है। कहां से घोषणा होती है? विधान सभा नोटिफाइड है। घोषणा दिल्ली से होती है कि आप उप मुख्यमंत्री बन गये हैं।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप नहीं देख रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं बोल दूंगा तो फिर आप काय-काय करेंगे। मेरे पास आपके लिए बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप उचित समय का इंतजार कीजिए। ज्यादा टोकेंगे तो बाकी विषय छोड़कर आप ही की तरफ आउंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए, आप अपने विषय पर आइए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, क्या आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जुआ कहां होता है? आप कक्ष में बुलाकर कवासी लखमा जी से पूछ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जुआ कहां होता है? किसके संरक्षण में होता है?

श्री कवासी लखमा :- कुरूद में।

श्री अजय चन्द्राकर :- तेलंगाना के लोग आते हैं या नहीं आते हैं? महाराष्ट्र के लोग आते हैं या नहीं आते हैं? आंध्रप्रदेश के लोग आते हैं या नहीं आते हैं, आंध्रा के लोग आते हैं या नहीं आते हैं । इसीलिए माननीय मंत्रिगण किन-किन चीजों का संरक्षण दे रहे हैं, वह हमको अच्छे से मालूम है, इसलिए वहीं पर रहो और 2000 करोड़ बोलकर कूद रहे थे ना, हिम्मत है तो न्यायालय के फैसले को पढ़ो और

लाकर रखो । 2000 करोड़ की बहुत मैनेज न्यूज़ चलवा रहे हो ना, है हिम्मत रखो को ई.डी. के बारे में क्या फैसला है, कॉपी लेकर भेजो । मैं तो पूछता हूं यदि टी.वी. में चल रहा है कि आपको स्टे मिल गया तो आपने डिस्टलर को नोटिस दी है, आपके विभाग के 30 अधिकारियों को नोटिस दी है, जब कोई गड़बड़ी नहीं है, स्टे मिल गया है तो सबको वापस लो ना । यह पहली सरकार है जो अपने खजाने में डाका डालती है । अपराध से अर्जित आय, डाका डालती है और विनियोग लाती है, ऐसी दोमुही सरकार हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। उन कार्यवाहियों के पक्ष में, फलां नेता निर्दोष है, फलां कांग्रेस का कार्यकर्ता निर्दोष है ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में इनकी सरकार ने क्या-क्या बोला, कैसे-कैसे उप-मुख्यमंत्री बनाया, यह बात पूरी दुनिया जानती है । यह क्या बात करते हैं ? अभी महाराष्ट्र की बात करो, वहां क्या हो रहा है ? आपके प्रधानमंत्री क्या-क्या कर रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी को आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है । वे अपने विभाग के लिए पर्याप्त हैं । आप अपना विभाग कितना देखते हो, यह सब जानते हैं, प्रेस भी जानता है । इनका एक भाषण वायरल हुआ है । यहां भाजपा नहीं जीती है, यहां कांग्रेस नहीं जीती है इसलिए हम पैसा नहीं देंगे, जब जनपद जीतेगा, जब सरपंच जीतेगा तब हम यहां पैसा देंगे, यह बोला है । मैंने उसको ट्वीट किया है । दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम बस्तर का विकास कर रहे हैं । यह मंत्री पद की मानसिकता के हैं जो पंच, सरपंच और जनपद लेवल की बात अपने क्षेत्र में करते हैं और यहां आकर मंत्री बन जाते हैं । हम एक बात बार-बार स्वीकार कर चुके कि आपकी जिजीविषा तगड़ी है, आप अनपढ़ होने के बावजूद भी यहां तक पहुंचे, इसकी प्रशंसा हम कर चुके और आज भी कर देते हैं लेकिन वे खुद ही प्रशंसा के काबिल नहीं बनना चाहते । ये उनकी योग्यता है और बार-बार जाति के नाम पर सहानुभूति नहीं मिलती ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, कोंटा की जनता ने लगातार पांच बार मुझे चुनाव में जिताया है । इनको तो हरा-हरा कर जितवा रही है । मुझे इनके सर्टीफिकेट की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, प्लीज आप शांत रहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बार-बार किसी को सहानुभूति नहीं मिलती । आपने कहा है कि जातिगत विषय, जातिगत सम्बोधन से कम से कम विधान सभा को मुक्त रखा जाए । आपसे आग्रह है कि उसका पालन करवाइए । माननीय अध्यक्ष महोदय, 6031.75 करोड़ का यह बजट है । मैंने इसमें एक हेड देखा, वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान । आप अपने उत्तर में बताएंगे कि यह श्रम सम्मान योजना क्या है ? आपने इसके लिए 60 लाख रूपए रखे हैं । सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिवेदन के अनुसार 2 लाख, 80 हजार पद रिक्त हैं । संविदा और दैनिक वेतन भोगी के 145 यूनियन हड़ताल पर हैं । आप क्यों नहीं कहते कि उन्हें नियमित करूंगा ? यह श्रम सम्मन क्या है ? विधान सभा में किसी योजना का

प्रारूप नहीं रखा जाता । हम पूछ-पूछकर थक गए कि ये सुराजी गांव क्या है ? हम पूछ-पूछकर थक गए कि सक्रिय गौठान क्या है ? क्या नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी है, कैसे टी.एस. होता है, हम पूछ-पूछकर थक गए ? बारी का टी.एस. कैसे होता है यह आज तक सरकार ने नहीं बताया । जो मुख्यमंत्री बोल दें वह सत्य है तो फिर बहस की क्या जरूरत है ?

अध्यक्ष महोदय, आवासीय आयुक्त को 2 करोड़, 47 लाख किराया देना है । चलो दे देंगे, अच्छा है । मैंने एक दो मंत्रियों से पूछा कि दिल्ली की बैठकों में हमारा आवासीय आयुक्त जानता है, कभी पत्र सम्पर्क किया है, किसी मीटिंग में आया है ? तो उन्होंने कहा कि इतने जूनियर लोग आते हैं । आपका मुख्य तो शायद छत्तीसगढ़ में बैठता है, इतने जूनियर लोग आते हैं जो प्रिंसीपल सक्रेटरी, ए.सी.एस., सी.एस. लेवल के लोगों के सामने क्या मुंह खोलेगा । इतने जूनियर लोग दिल्ली की बैठक में जाते हैं । वे छत्तीसगढ़ के लिए क्या परियोजना लाएंगे ? वे छत्तीसगढ़ का क्या तर्क रखेंगे ? किस दिन पेशी है, मैं आपको इन्द्रावती, महानदी के मामले में बताया था। आप कितने वकील खड़े कर पाए, नहीं कर पाए, पक्ष रख पाए, क्या रख पाए, सिर्फ एशोआराम देना है। भई, राज उन्हीं का है, ठेका पद्धति का शासन है, पैसा देते हैं, नियुक्ति पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आज आपका हाथ क्यों कांप रहा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू किया है। साहब, जब आपने चर्चा करवाई है तो समय मत पूछिए।

अध्यक्ष महोदय :- हाथ कांप रहा है बोल रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आज बहुत ज्यादा भयभीत हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी, श्री सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में गठित की गई समिति है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं। चौबे जी, आप नोट कर लीजिए, कौन से बिजनेश रूल्स के तहत आप राजनीतिक समिति बना सकते हैं, चाहे तो अभी उसको उत्तर में शामिल कीजिए। आप जो बोलेंगे वह हम मान लेंगे, आपने विधान सभा को मजाक समझ लिया है। आपने सेस लगाया, स्वास्थ्य मंत्री जी सामने बैठे हैं, मैं बैठ जाता हूं, अगर आपमें नैतिकता है तो बताएं कि स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा सेस मिला है। सामूहिक जिम्मेदारी है, अगर उनके विभाग को पैसा मिला है तो वे बता सकते हैं। माननीय राजा साहब, बताईए, आपको तो ईनाम मिला है । नोटिफिकेशन हो गया, यहां उप मुख्यमंत्री बनने के बजाय, आप दिल्ली में उप मुख्यमंत्री घोषित होते। आप विधान सभा की जितनी मजाक उड़ा लीजिए कम है। आप बताईए ना, आपको कितना पैसा सेस मिला है। यदि वे नहीं बता सकते तो आप बता दीजिए। आपकी छत्तीसगढ़ के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप रोईए मत, बाहर में जाकर मत बोलिएगा। खुली किताब है, मेरे पास विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में है। अध्यक्ष जी, मारते पैर में हैं और गिनते सर में हैं। सबसे पहला सेस कोरोना के नाम से लगा। मैं आज हरेली के

दो दिन बाद बोल रहा हूं। स्वास्थ्य विभाग को एक रूपया नहीं मिला। मैं इसमें हाईकोर्ट में गया हूं, अभी लगा नहीं है। यह लोकधन का दुरूपयोग है। यह बोलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यह एक भ्रष्टाचार है। आप सेस लगाते हैं किसी चीज के लिए और खर्च करते हैं किसी चीज में।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर साहब, प्रियदर्शिनी बैंक घोटाले का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था।

श्री अजय चंद्राकर :- एक वीडियो तो मैं नपुंसक नहीं हूं वाला भी वायरल हुआ है। वह मैं देख लूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, सेस में बोल रहा हूं तो आज और बोल देता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- नंबर दो, नान घोटाले में बहुत ज्यादा लोग जा रहे थे, उसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। भाई, वह प्रियदर्शिनी बैंक में किसानों का पैसा था। वह पैसा आम जनता की थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- बृहस्पत जी, आपका जो वीडियो वायरल हुआ है, वह सर्टिफिकेट आपको किसने प्रदान की, यह बता दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुनिए-सुनिए, बता रहा हूं। शर्मा जी, बड़े मजे की बात है कि सरकार ने नहीं की, हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- जब मौका आएगा तो आप बोल लीजिएगा। आप मेरे उपर आरोप लगा लेना। जब आपको मौका मिलेगा तो आप मेरे उपर आरोप लगा देना। आप अपना नाम दे दीजिए। मैं अपने एक वक्ता का नाम काट देता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं भाई के नाते सलाह दे रहा था, आप ब्लडप्रेशर की गोली खा लीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और उदाहरण दे देता हूं। छत्तीसगढ़ का एक भी विधायक, निर्वाचित जनप्रतिनिधि बता दें कि 15 लाख टन पैरादान में मिला है। यह विधान सभा के उत्तर में है और सेस के पैसे की 37 करोड़ रूपये की ढुलाई हुई। आप बताईए, किसने किया, कैसे किया, सीधा कागज में 37 करोड़ रूपये खा गए। यह बोलते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। आप लोगों को मुबारक हो।

श्री ननकीराम कंवर :- भाई, भ्रष्टाचार के लिए तो वे वहां बैठे ही हुए हैं, क्यों नहीं करेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कौन जांच करेगा ? माननीय मुख्यमंत्री जी जब स्वयं ऐसी घटनाओं की स्पष्टीकरण देते हैं तो सारी संस्थाएं निर्जीव हो जाती है। इनकी जांच कौन करेगा ? आप पांच साल में ए.सी.बी. का रिकार्ड देख लीजिए। एक समय में ए.सी.बी. आपके कार्यकाल में ऐसी थी कि कोई शिकायत हुई तो उनको फोन जाता था, इधर आईए, इसको पढ़िए, जमा करिए और चलिए, निकलने का गेट इधर है। ए.सी.बी. ने पांच साल में कितनी कार्रवाई की ? इसलिए हम भ्रष्टाचार को एक सैद्धांतिक, सांस्कृतिक स्वीकृति प्रदान करते हैं क्योंकि हम स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी किसी भी बात की जांच नहीं होगी। जब केन्द्रीय संस्थाएं जांच करती हैं तो राज्य शासन की ओर से कपिल सिब्बल खड़े

हुए थे। कपिल सिब्बल और बड़े-बड़े नाम किस-किस प्रकरण में इस राज्य सरकार की ओर से खड़े हुए हैं? संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि नैतिकता है तो उसको सार्वजनिक कीजिए। आप उसको क्यों छिपाते हैं? आरक्षण में कौन खड़ा हुआ था? झीरम घाटी में कौन खड़ा हुआ था? हम झीरम घाटी पर भी बोलेंगे, लेकिन आज नहीं बोलते। दारू में कौन खड़ा हुआ था? माननीय भतीजे, आप मंत्री बने हैं लेकिन आपको सिर्फ [xx][16] बनाया गया है। मैंने आपको एक गलत शब्द बोल दिया। आपको भुलावे में रखा गया। मैंने कहा न कि मैंने आपको गलत शब्द कह दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मंत्री जी का अपमान कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैंने इसको विलोपित कर दिया है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- विलोपित, विलोपित, विलोपित।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप हमेशा गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, यह आपत्तिजनक शब्द है इसलिए माननीय सदस्य माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने किसको कहा? (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे मंत्री जी को कुछ भी बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- यह कुछ भी बोले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह संसदीय शब्द है?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह विधान सभा है या गांव की गली-चौराहा है? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस शब्द को वापस ले लिया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह शब्द विलोपित कर दिया गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिसके लिए बोला था, उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन इनको आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- वह सदन के सम्मानीय सदस्य हैं, उनको यह ऐसे बोलते हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- भैय्या, यहां पढ़े-लिखे लोग बैठे हुए हैं। यहां गवार लोग नहीं बैठे हैं। आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, आदिवासी नेताओं का अपमान मत करिये। (व्यवधान)

---

[16] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकला गया।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उमेश पटेल जी को कहा है। इसको विलोपित किया जाए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब ऐसे में तो उसको पटक-पटक के।... (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इन्होंने जानबूझकर दो-दो बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है और उस शब्द को वापस भी ले लिया है।

श्री अमरजीत भगत :- वह भाषण करें। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने माफी मांग ली है। आप लोग हल्ला मत कीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह हमारे मंत्री जी से इस तरह की बात करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आर.एस.एस. की संस्था से निकलकर ऐसी शिक्षा देते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि मुझसे गलत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. से निकले हुए नेता ऐसी शिक्षा पाते हैं कि किसी का भी अपमान करो। आर.एस.एस. के नेता इनको यही शिक्षा देते हैं, जो गालियां देते हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप किसी को भी [XX][17] देंगे? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप आंसदी से व्यवस्था मांगिये। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आर.एस.एस. के नेता। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बार नहीं, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का काम और चरित्र ऐसा ही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से यह चल रहा है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने मंत्री जी को कैसे [XX]दी?

[17] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके संस्कार वैसे ही हैं, जो आर.एस.एस. इनको शिक्षा देती है।

श्री रामकुमार यादव :- आप बहुत पढ़े-लिखे हैं तो क्या मतलब हुआ?

श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय :- यह किसी को भी अपमानित कर सकते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- इनको आर.एस.एस. ही ऐसी शिक्षा देती है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आप जो शब्द बोलत हो, कम से कम हमन कम पढ़े-लिखे मन अइसे नहीं बोलत हन। हमन बहुत ज्ञानी हन। कुछ भी बोल देथो (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- इनके संस्कार ही ऐसे हैं। यह अपने आपको संस्कारवान कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह शिक्षा है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- वइसन ज्ञानी के कोई मतलब नहीं है जो गुड़-गोबर ला एके कर देथे। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अपने आपको संस्कारवान मानते हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन है, गली-चौराहा नहीं है इसलिए आप सही शब्दों का चयन करें। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इनको फ्री छूट दे दी जाए तो यह इस हालत में आ गये हैं कि यह सदन में [xx] प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। यह इतने बेलगाम हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- ओती के ओखर साथी मन बढ़िया कहे कीके मुस्कुरावत हवे। हमर शर्मा जी ला देखत हो, ओहा मुस्कुरावत हें।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह किसी को भी कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। जो मुंह में आए, कुछ भी बोल देते हैं। (व्यवधान)

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपको संस्कारवान कहते हैं और उनके मुंह से ऐसे अपशब्द निकलते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- एखरे खातिर खड़े हे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आपको संस्कारवान पार्टी के सदस्य मानते हैं और इस सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, क्या यह किसी के साथ भी गाली-गलौज करेंगे?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने शुरू दिन ही कहा था कि शब्द संभाल कर बोलिये, शब्द के हाथ न पांव।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके बिना कहे और बिना आपत्ति किये मैंने गलत कह दिया है करके स्वीकार किया है।

श्री अमरजीत भगत :- जो एक के बाद एक गलत शब्द बोले, उनको क्या कहा जाए?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह अजय चन्द्राकर नहीं बोल रहा है, [XX] वह दिख रहा है । यह इसी तरह का आचरण करते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह [XX][18] यह मंत्री जी ने कहा । माननीय सदस्य अजय चन्द्राकर जी ने खेद व्यक्त कर दिया (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी मोदी जी आये थे न । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- यह भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न, चलिए । अब हो तो गया । (व्यवधान) आप लोग सब बैठ जाईए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बोलना है मतलब कुछ भी [XX] बोलो ।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होने खेद व्यक्त कर लिया, गलती से निकल गया । कितनी बार आप उसको कहेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां खेद व्यक्त किया है, माफी भी तो नहीं मांगे है।

अध्यक्ष महोदय :- खेद वयक्त कर लिया ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, उन्होंने खेद व्यक्त किया है, वह हम लोगों ने नहीं सुना है ।

श्री अमरजीत भगत :- ये तो डांट रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माफी नहीं मांगे हैं, उनको माफी मांगने के लिए बोलिए न । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप फिर वही बात कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने [XX] के बारे में कहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- (बीच में टोकते हुए) हो गया, अब आगे बढ़िए ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, चन्द्राकर जी ने माफी मांगा है, उसे हमने नहीं सुना है । हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है । हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे तो सिर्फ यही बोलेंगे, कुछ भी [XX]देंगे ।

[18] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

Uncorrected and unedited/Not for Publication

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- बार-बार अपशब्द बोलेंगे, उनको इतनी छूट दी जाएगी ? पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इस सदन को देख रहे हैं और ये इस भरे सदन में कुछ भी किसी को बोलते चले जा रहे हैं । यह घोर आपत्तिजनक है। अजय चन्द्राकर जी के इस तरह बोलने पर रोक लगाया जाना चाहिए । (व्यवधान)

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- हमारे सम्माननीय मंत्री जी को ऐसे बोलेंगे तो हम लोग बर्दाश्त थोड़ी करेंगे । (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंत्री जी के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने खेद व्यक्त कर लिया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी ओर मुखातिब होकर बोल रहा हूं । जब मैं बोल रहा था तो बिना टोका-टाकी के मैंने कहा कि मेरे शब्द गलत निकल गए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, यह कहा कि खेद व्यक्त करता हूं । मैंने इनके बिना आपत्ति के कहा ।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे मालूम है ।

श्री कवासी लखमा :- जब तक चन्द्राकर जी माफी नहीं मांगेगे, हम लोग नहीं बैठेंगे । हम लोग भी जीतकर आये हैं, यही बस जीतकर नहीं आये हैं (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने क्या बोला, फिर से बोल दीजिए न । बार-बार, बार-बार इसी प्रकार का अपशब्द बोलते हैं । एक बार हो तो समझ में आता है । बार-बार, बार-बार उसी प्रकार का अपशब्द बोलते हैं (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विषय को समाप्त करता हूं, अभी अविश्वास प्रस्ताव है । झीरम में आपके साथ क्या हुआ, भाभीजी भी बैठी हैं, अनिता जी भी बैठी हैं । 5 साल में झीरम में क्या हुआ, उस दिन आपको बताएंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर आपको झीरम में इतना ही भाव आता है तो आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करते । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रीपा के लिए 156 करोड़ रखा गया है । इससे पहले रीपा में खर्च हो गए हैं । यदि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो उस ओर सरकार चलने लगती है, यह स्वाभाविक है । जिसमें मुख्यमंत्री जी की रूचि हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी से लेकर माननीय मंत्रिगण या विभाग योजनाएं बनाने लगता है । गोबर खरीदी, मूत्र खरीदी टाईप रीपा इनके घोषणा-पत्र में नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक पेंट बनाएंगे । बनाईए, अच्छी बात है । पूरे निर्देश जारी हो गये, गोबर पेंट बनाएंगे, कहकर पूरे संस्थान् लग गए । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अलग से बता दूंगा, आज आरोप नहीं लगाता । गोबर के अतिरिक्त रीपा के लिए जितनी खरीदी हुई है, जिसमें इस बजट के पहले 2 करोड़ रूपए जिस जिले में पहुंच गए हैं, अगर आप जांच करवाएंगे तो मैं नाम बता दूंगा ।

आपने गोबर के पेंट बनाने की मशीन खरीदी । मशीन देने वाला नागपुर, मुम्बई कहां का है, वह परेशान हो गया है कि यहां इतने गोबर पेंट बन रहे हैं, कहां खरीद रहे हैं, कौन लगा रहा है । आप मुझे एक भी शासकीय कार्यालय बताईए, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि गोबर पेंट से इसकी पोताई होगी, शासकीय विभाग उपयोग करेंगे । सारे मंत्रिगण हैं, निगम, बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं, कोई एकाध बता दें कि हमने इतने रूपए का गोबर पेंट इस स्व सहायता समूह या इस रीपा से खरीदा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप आ जाईए, मैं गाड़ी की भी व्यवस्था कर देता हूं । बलरामपुर में देख लीजिए, जिला मुख्यालय से लगा हुए है, जहां गोबर के पेंट लगे हुए हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय राजा साहब, बाबा साहब, आदरणीय । आपकी हत्या करवाने वाले उस जांच का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मेरे बलरामपुर जिले में इतने ज्यादा गोबर के पेंट लगे हुए हैं, आप देखिए । आपकी चुनौती स्वीकार है । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- वे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको बोलने के लिए समय दिया गया है तो कुछ भी बोलेंगे । (व्यवधान) इनको सदन के अंदर बोलना है तो कुछ भी बोलेंगे । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इनको किस बात का घमंड है । (व्यवधान)

सुश्री शकुन्तला साहू :- आप साथ में चलिए, हम गोबर पेंट दिखाते हैं (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अनर्गल बोलने वाले हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- इनको सजा दी जाये कि दो दिन कुछ नहीं बोलेंगे (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, पहले इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवा दो । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, [XX][19] ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- इन लोगों ने लोकप्रिय गोठान देखा है, उसके बाद जाना ही बंद कर दिए । वहां से भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दिया तो (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एला छत्तीसगढ़ी मा मति छरियाय हे, कहथे। एखर मल-पित्त हा फाट गय हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, 1896 से केवल 2 विश्व युद्ध को छोड़कर 1916 और 1919...।

[19] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, माननीय अजय जी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे लोगों को अपमानित कर रहे हैं। जैसे अभी कहा ये बाबा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ये बाबा साहब बोला, साहब।

श्री भूपेश बघेल :- आप ये बाबा साहब, भी कैसे बोल सकते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अच्छा, उसके लिए भी माफी मांगता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- आप तो संसदीय ज्ञाता हैं। आप परम्परा का निर्वहन करिये। चाहे माननीय सदस्य हो, आप विनय भगत जो को बोले कि नहीं जानते, चुप बैठो। यहां जितने भी सदस्य हैं, विद्वान ही हैं और विद्वान सदस्य के रूप में संबोधित किया जाता है। आप सम्मान करेंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। अभी जिस प्रकार से पटेल जी के बारे बोले, बृहस्पत सिंह जी के बारे में बोले, बाबा साहब के बारे में बोले, विनय भगत के बारे में बोले, आप कितने लोगों के लिए उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपके पास बोलने के लिए कितने सारे विषय हैं। आपके पास इतने सारे शब्द हैं, आपका शब्दकोष भी बहुत बढ़िया है। लेकिन आज ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम आपको सुनने बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने भोजन की भी व्यवस्था कर दी। लेकिन फिर भी आपकी बात सुनना है, इसलिए बैठे हैं। कुछ ज्ञान की बात आयेगी, कुछ अनुभव की बात होगी, उसमें कुछ सुझाव भी होंगे। लेकिन आज आपको क्या हो गया है। आज सुबह से देख रहे हैं मतलब आप इतने हल्के स्तर की बात कर रहे हैं। अजय जी, बहुत तकलीफ हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात हल्के स्तर के हो या भारी स्तर के हों, ठीक है। मुझे जो हल्के स्तर का लगा, बिना बोले ही खेद व्यक्त कर दिया। सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षित थी कि यही भाषा अपने माननीय मंत्रियों के लिए बोलते। जब हम लोग बोलते हैं तो मंत्री जी कितने बार खड़े होते हैं और संसदीय परम्पराओं में मंत्रियों को कितनी बार खड़ा होना चाहिए ? बोलने देने के लिए माननीय मंत्री जी लोग अधिकृत हैं या नहीं हैं ? सरकार के मंत्रियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, हाऊस के अंदर प्रदर्शन कैसा होना चाहिए ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके जैसा स्वभाव हम लोगों का नहीं है कि किसी को [XX]देकर संबोधित करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- तो यह अपील मुझसे की, मैं उसके लिए उनको Thanks देता हूं। लेकिन अभी थोड़ी देर में प्रदर्शन देखियेगा। सिवाय जनाब मोहम्मद अकबर साहब, चौबे जी, बाबा साहब को छोड़ दें, तो एक भी वैसा प्रदर्शन नहीं करते जो मंत्रियों की गंभीरता होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ियां आलोपिंक के बारे में बोल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर 4 साल में एक बार होता है। एशियाई खेल, वर्ल्ड चेम्पियनशीप हेतु

सबके टाइम-टेबल हैं, जो समय में आयोजित होते हैं। माननीय खेल मंत्री जी, आपने छत्तीसगढ़ियां आलम्पिक शुरू की, उसका अंतिम राउण्ड इस साल 2 जनवरी को समाप्त हुआ। अभी कौन सा महीना है ? जुलाई। फिर छत्तीसगढ़िया आलोपिंक शुरू हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे ?

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आपको छत्तीसगढ़िया खेल से एलर्जी, नफरत है ? छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ियां खेलेंगे तो क्या आपको नफरत हो रहा है ? आपको खाली हेमा मालिनी चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब मैं क्या बोलूं ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको खाली करीना कपूर चाहिए ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मुझे क्या बोलना चाहिए ? आप मेरा मार्गदर्शन कर दीजिये। फिर मैं अपने तरीके से बोलता हूं तो फिर आप मेरा मार्गदर्शन कर देते हैं तो मैं अब आपका मार्गदर्शन मान रहा हूं। कुछ नहीं बोलता। आपके सदस्य आपको मुबारक। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक काम करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ी खेलों से बहुत प्यार करता हूं। छत्तीसगढ़ खेलों को पूरा बजट समर्पित कर देते हैं और रोज उसी को खेलते हैं। रोज खेलते हैं, हम छत्तीसगढ़ को बहुत प्रेम करते हैं। माने साल पूरा नहीं हुआ है, फिर छत्तीसगढिया आलम्पिक शुरू हो गया। पहले अनुपूरक में बजट, मुख्य बजट में बजट और अब इसमें 23 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्राकर जी, हम लोगों ने 15 साल तक देखा ही नहीं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कैसी होती है ? आप लोगों ने तो भुला दिया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को नहीं जानते हैं। जिसको संस्कृति बोलते हैं, उसको कोई नहीं जानता। आप किसको संस्कृति समझ बैठे हो ? आप उसमें अलग बहस करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई प्रक्रिया है ? शासकीय धन का कोई उपयोग है ? आप क्या साबित करना चाहते हैं ? संस्कृति, पर्व, त्यौहार, खेल का राजनीतिकरण बाजारीकरण सरकार का यह उदेद्श्य होता है ? 4 साल में एक बार होगा, यहां से खत्म होकर यहां से शुरू होगा। दूसरी बात, मैं कबड्डी को एशियाई खेल में शामिल करने के लिये फिर मांग कर देता हूँ, स्कवैश को एशियाई खेल में शामिल करवाने की मांग करता हूँ, पंजाब कितनी बार कबड्डी के लिये लड़ता रहा है कि ओलंपिक संघ तक, इसे एशियाई खेल में शामिल किया जाये । छत्तीसगढ़ के खेल चिन्हित कर लें, उसको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ...।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, एकात्म परिसर में अरूण साव जी कल गेड़ी चढ़ रहे थे । गेड़ी चढ़कर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को सपोर्ट कर रहे थे । आप उसको क्या बोल रहे थे ? छत्तीसगढ़िया होगा तो वह छत्तीसगढ़ के संस्कृति को सपोर्ट करेगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, शारीरिक शिक्षण विभाग में कोर्स फ्रेम करें कि पीटीआई लोगों को गिल्ली का, भौंरा का, पिट्टूल का, इन खेलों के विजेता लोगों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरूस्कार दिया जायेगा और उसको नौकरी में आरक्षण दिया जायेगा । इसको राष्ट्रीय खेल में शामिल करने के लिये हमारा रोड मेप यह है तब उसका मतलब है और नहीं तो यह सिर्फ बाजारीकरण और राजनीतिकरण है । यह छत्तीसगढ़ का न्याय नहीं है । साल में दो बार के आप समर्थन में हो ।

श्री उमेश पटेल :- एक मिनट सुनिये, आपको पीड़ा इसलिये हैं कि इतने सारे लोग इसमें हिस्सा कैसे ले रहे हैं ? इसमें हिस्सा लेने वालों की संख्या 10 प्रतिशत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- छै: महीने में क्यों करवा रहे हो, रोज करवाओ ?

श्री उमेश पटेल :- हर साल करवाने के लिये घोषणा हुई है और हर साल करायेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साल में दो बार हो रहा है । जनवरी में ही समाप्त हुई है ?

श्री उमेश पटेल :- इस साल आचार संहित लगेगा, हम उसके पहले खत्म कर देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- शाबाश भतीजे । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको यह बताने की कोशिश हो रही है कि हम कुछ नहीं जानते हैं । हम क्या-क्या जानते हैं, अभी अविश्वास प्रस्ताव ड्यू है, उसमें भी बात करेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक हो रहा है, वैसे ही राजस्थान में भी हो रहा है । छत्तीसगढ़ का अनुशरण राजस्थान भी कर रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं कसम खाकर उनको नहीं टोकता, माननीय मंत्रीगण जितनी बार भी खड़े हो ? माननीय अध्यक्ष महोदय, वह नवजवान मंत्री हैं, इस प्रदेश की संभावनायें हैं, बाबू उमेश पटेल जी के साथ मेरी शुभकामनायें हैं । जीईआरई की गणना कौन से सन् में हुई ? 200 रूपया रखा गया है, जबकि 75-76 महाविद्यालय भवन है । छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कितनी है, उसके नियम तो नहीं मालूम है, जनसंख्या के अनुपात में सीटें कितनी बढ़ी है । मेरे यहां एक उदाहरण बता देता हूँ कि बी.काम. में 200 सीटें हैं और एम.काम. की 20 सीटें हैं । आत्मानंद के बारे में बाद में बात करेंगे । ऐसा कोई मापदंड नहीं है, जो मर्जी आये रख दो, 200 रूपया रख दो, चुनावी साल है । आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में सब चीज है, कौन मना कर लेगा ? पॉवर कंपनियों के ऋण को टेक ओवर करने के लिये 81 करोड़ है, आपको सादर चरण स्पर्श । अजीत पवार को बहुत दुख है कि मैं पांच बार उपमुख्यमंत्री बन गया हूँ । मुख्यमंत्री बन जाऊंगा शायद करके अपने चाचा से गणित लगाने के लिये विद्रोह कर बैठे । आप देख लें कि क्या योजना है ? ऋण कितना है, 81 करोड़ कौन से ऋण का टेक ओवर कर रहे हैं ? आज के एक प्रश्न के उत्तर में टोटल कितना ऋण है ? समझ नहीं आता है कि 81 करोड़ किसके लिये है, चंदूलाल कॉलेज की खरीदी टाईप तो नहीं है ? किसी प्रायवेट पार्टी की है, जिसे अपने को उपकृत करना है और हम उसके लिये किसी भी सीमा तक जा सकते

हैं । हां एक चीज बड़ा जोरदार है, जीरो में प्रचार-प्रसार हेतु 75 करोड़ रूपये, मैं वी.आई.पी. रोड में अपने घर की तरफ मुड़ता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले हमारे आमने सामने के पड़ोसी थे, अब थोड़ा आजू-बाजू के हो गये हैं, आपका घर इधर है और हम उधर चल दिये हैं । मौलश्री में दोनों आमने सामने थे । उस बोर्ड में 100 गुना स्मार्ट सन्नी अग्रवालजी दिखते हैं । डहरिया जी की फोटो और मुख्यमंत्री जी की फोटो बहुत बेकार दिखती है। मैं तो आपको सलाह देता हूं कि आप मुंबई जाकर फोटो सेशन करवाईये या डी.पी.आर. को निलंबित कीजिये। आपका फेस ऐसा चमक रहा है। सबको निपटाने के बाद तो आप कैसे दैदीप्यमान दिख रहे हैं, वह फोटो में भी दिखना चाहिए ना। वह फोटो तो कांतिहीन फोटो दिखती है, पुरानी फोटो दिखती है, आप उसको सुधरवाईये। प्रचार-प्रसार में आपके तो नख शिख वर्णन, हिन्दी साहित्य में नायिका का जो नख शिख वर्णन है ना, मैं वैसा वर्णन करूंगा। मैं क्या बताऊं कि मेरे अंदर ऐसा भाव जाग रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप क्या जोरदार फूट डालने का तरीका अपनाते हैं। आपके पास भड़काने का, फूट डालने का बहुत अच्छा तरीका है । कभी-भी किसी को भी उचकाते रहते हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अजय जी, आप आई.क्यू. लेवल से भाषण शुरू किये थे और वहीं से खत्म करेंगे लग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, भले वह अपने आपको कांग्रेस का समझे वह अलग बात है, लेकिन हम तो उनको अपना समझते हैं। वह स्मार्ट दिखें और मैं उनके सौंदर्य पर कविता लिख सकूं, उनके सौंदर्य बोध का नायिका बोध जैसे नख शिख वर्णन होता है, वैसे ही आपके सौंदर्य रूप गुण चरित्र के गुणगान कर सकूं।

श्री अरूण वोरा :- चंद्राकर जी, 5 साल में तो मुख्यमंत्री जी के सामने...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप 5 और 15 को बंद करिये।

श्री अरूण वोरा :- आप मेरी बात तो सुन लीजिये। आप 5 साल में कोई चेहरा नहीं ला सके और यदि उनका चेहरा दैदीप्यमान है, वह उनके कामों से है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वही तो मैं भी बोल रहा हूं कि सबको निपटाने के बाद चमक और बढ़ गई है।

श्री अरूण वोरा :- सब खुद ही निपट रहे हैं तो वह क्या करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बेरोजगारी भत्ता के लिये 50 करोड़ रूपये। 250 करोड़ प्लस 300।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, क्या यह अनुपूरक भाषण का हिस्सा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- हां। 300 करोड़ को 112 और 172 लोगों से भाग दे दीजिये। क्या इस साल का 2500 रूपये होता है ? आप गणित निकाल लीजिये। अब आज इधर से कान पकड़ रहे हैं, उधर

से पकड़ रहे हैं, यह डाटा, वह डाटा। काम चाहने वालों के लिये हो, बेरोजगार के लिये हो, किसके लिये भी हो, वह 16 लाख प्लस है। इधर-उधर घुमा के ऐसी परिभाषा गढ़ना सरकार का काम है । आपके पास किस-किस चीज के लिये पैसे है, वह अभी सामने आयेगा। लेकिन जो बेसिक चीज है, आपके पास उनके लिये पैसे नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी भत्ते में पैसे की कमी कहां हो गयी ? हमने तीन महीने दिया है, अब फिर उसमें राशि आ गई है। क्या दिक्कत है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे मुर्शीद, मैं आपके लिये बोलूंगा। आप ही तो है जिसके लिये मैं कुछ बोलता हूं। प्रोजेक्ट टाईगर के लिये 04 हजार 400 करोड़ रूपये। वाह, वाह। सर, 47 बघुवा मर गये हैं। अउ अभी हाथी मरई निरंतरता में है। एक भी बिजली करेंट लगाने वाले को पकड़ा गया और सजा दी गयी हो, यह मैं नहीं जानता। उसको सजा दी गयी है, वह पेपर में नहीं छपता है। विधान सभा में भी है कि इतने हाथी करेंट से मरे हैं। अब मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपने मुर्शीद के विभाग के बारे में इधर-उधर बोलता हूं। लेकिन यह बात है कि हाथी मारने, तस्करी, शेर मारने, भालू मारने के लिये, इन सब का एक गिरोह यहां सक्रिय है। वह राजकीय संरक्षण में, जैसे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी है, वैसे ही शिकार को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त है। कृपा करके यह जो लेंटाना है, उससे निकलिये। मैं आज तक जब भी देखता हूं कि यह जो जंगल विभाग है वह जंगल लगाता है कि जंगल खत्म करता है। मुझे समझ ही नहीं आया। अभी उदन्ती अभ्यारण्य में जंगल की फुल कटाई चल रही है, उसमें मेरा ध्यानाकर्षण लगा है। कोई कुछ करने वाला नहीं है। बोले की फलाना का फोन है। नमस्ते। ओला लक्ष्मी जी ला नमस्ते करके कहेव हा गा। आपको बस नमस्ते बोला हूं। फुल कटाई चल रही है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- वहां भी इनडायरेक्ट संरक्षण मिला है लग रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहन जी, मैं तो नमस्ते भर कहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आज अनुपूरक पर भाषण नहीं हो रहा है, कुछ और हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सुनिये। अभी राजमार्ग में पुन्नूलाल जी के गाल को चिकना कर रहे थे। हमारे भाईसाहब का चेहरा अमरेश पुरी की तरह है। शकुंतला बहन जी कहां है ? मैंने कहा कि थरहा मैं दे दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा 5-6 एकड़ में रोपा लग गया है, कल सोमवार के बाद से मंगलवार से शुरू है। वह उमरदा, जोरा-तरई, कुलियारी, खरेंगा में मंत्री जी के हिसाब से कांग्रेसी जनपद, कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेसी जिला पंचायत सदस्य, सब कांग्रेस के लोग हैं, सिर्फ दो विधायक हम लोग हैं। मैं माननीय मंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं। मेरा फोकट का थरहा रहेगा, आप उस सड़क में रोपा लगाना। आप क्या सड़क के गड्ढे भर रहे हैं, यह भर रहे हैं, वह भर रहे हैं, दुनिया भर की बात है। आपने जो चार लाईन बयान पढ़ा इससे आपकी विश्वनियता बहाल नहीं होगी, चलिए, हम पैदल चलते हैं। आपके विभाग की करामात देखिए, आपकी उपलब्धि देखिए। हां, मैंने आपकी उपलब्धि दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में देखी है। मैंने

पाटन क्षेत्र में आपकी उपलब्धि देखी है। आप तो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे और मुख्यमंत्री पद में आपको इनका विभाग काटकर वजनदार विभाग दिया गया है। माने आपको उसके लायक समझा गया। मानसिकता से थोड़ा सा आग्रह है आप दुर्ग और पाटन से निकलिए। छत्तीसगढ़ में उसके अतिरिक्त और 88 विधान सभा हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मुझे अन्य विभाग मिलने से आपको जलन हो रही है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं। आप छत्तीसगढ़ के मंत्री हैं मैं यह बात याद दिला रहा हूँ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- इसकी कोई जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री मानसिकता से होता है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- जो आपकी मानसिकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जैसे माननीय भूपेश जी हैं, वह प्रधानमंत्री के पद को डिजर्व करते हैं। आप समझ रहे हैं। यदि धोखे से आ गया तो उस लायक मानसिकता है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि सभी जगहों पर सड़क और पुलिया बन रही है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह माने कि वर्ष 2024 में माननीय मोदी जी जा रहे हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजर्व करना मतलब बनना नहीं होता। यदि मैं किसी पद के लिए डिजर्व करता हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि मैं बन जाउं। भई, मैं तो आपके अभियान की प्रशंसा कर रहा हूँ तो आप अभी से प्रधानमंत्री बनने का ख्याब पाल लिये। (हंसी) साहब, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मैं भले माननीय मुख्यमंत्री जी को टोक लूंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं टोकूंगा।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रमन सिंह जी का स्टेटमेंट था उन्होंने कहा कि आप मोदी जी को शेर बोलिए। जब शेर आता है तो सब लोग पेड़ में चढ़ जाते हैं बंदर और क्या-क्या संज्ञा दी ? मैंने उसमें बोला कि अब शेर बुड्ढा हो गया है शिकार नहीं कर सकता, केवल हाथ पैर चला रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी, नारायण चंदेल जी या भांटो साहब किसी चीज को डिजर्व करते हैं यह जरूरी नहीं है कि वह डिजर्व पद मिल जाए। हम आपका नाम कब से किन-किन चीजों के लिए सुनते हैं और आप जहां भी हैं अच्छे हैं, पर आप किस चीज के लिए डिजर्व करते हैं उसमें हम आपकी प्रशंसा तो कर सकते हैं क्या ?अब भई माननीय मोहन मरकाम जी 90 सीटों की टिकट बांटते तो इस समय 4 महीने के लिए मंत्री बन गये हैं, वह गधे में चढ़ गये हैं मैंने कहा कि वह हाथी से गधे में चढ़ गये हैं मैंने यह बोला था। वह किसी और चीज के लिए डिजर्व

करते थे वह बनना कुछ और चाहते थे और कुछ और बन गये । तो अब इसको क्या करोगे ? उनकी वैसी मानसिकता थी यह सब चलता है। अब यह बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि राज्य मार्ग के लिए 100 रूपये, बाकी बचत से होंगे, क्या होंगे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूं...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, नेता प्रतिपक्ष तो आप ही बनना चाहते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी मंत्री को कुछ बोलूंगा ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग समय का ध्यान रखिए। आप ज्यादा डिस्टर्ब न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब एक आया है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार केन्द्र के लिए 9 करोड़ रूपये का प्रावधान है। यह फिर वही बात है। अब यह क्या व्यापार केन्द्र है ? क्या यह व्यापार केन्द्र सुकमा में बनेगा ? सुकमा में विधान सभा में प्रचारित किया गया, यह बताया गया कि हमने सुकमा में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया है। मैं आपको माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में बोल रहा हूँ यदि ऐसी मिट्टी तेल से जलने वाली भी इतनी बड़ी चिमनी लगी होगी, वह धुंआ फेंक रहा होगा तो हम चलकर देखते हैं। आप हेलीकॉप्टर ले लीजिए और मैं उसमें लटक जाऊंगा। (हंसी) माने सरकार कैसे बोलती है ? सरकार क्या बोलती है ? इन 5 सालों में एक जिला नहीं, एक व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नहीं बना सके। फिर कहां से अनुपूरक में ले आएं कि हम 9 करोड़ रूपये का व्यापार केन्द्र बनायेंगे । में कुछ नइ बोलो ददा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी प्रदेश में हर तरफ रीपा के तहत दो-दो ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र लग रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- तें बोल डरेस। अच्छा अब, मैं माननीय सत्यनारायण शर्मा जी का श्रद्धा के साथ उल्लेख कर रहा था।

कहां कहू छबी आप की भले बने हो नाथ,

तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेव हाथ। यदि आप धनुष बाण नहीं उठा सकते तो उधर फर्जी आयोग के अध्यक्ष के पास, जिसका बिल आने वाला है आप वहां बैठ जाईये। सत्यनारायण शर्मा जी का नाम, वह इतने वरिष्ठ हैं मैं उनका नाम कहां पर सुनता हूँ कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत किया।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह गलत बात है। बार-बार फर्जी अध्यक्ष कह रहे हैं। आप इन होशियार आदमी को समझाते क्यों नहीं हैं? इनको थोड़ा संभलकर बोलने के लिए बोलिए। यह फर्जी अध्यक्ष कह रहे हैं तो यहां पर कौन फर्जी है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए उसमें वापस नहीं लूंगा कि यह बात साबित कर दें कि उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। आप जो सजा देंगे मेरी सदस्यता खत्म करेंगे तो मैं मान लूंगा। आप अर्द्ध न्यायिक संस्था हैं, आप जो चाहें सजा दे सकते हैं। ऐसी अर्द्धन्यायिक संस्था

दुनिया में नहीं है। आप क्या सजा देंगे, यह आपके ऊपर निर्भर है, आपको धारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह पावर आपके पास है। वह साबित भर कर दें कि योजना आयोग के अध्यक्ष में उनका नोटिफिकेशन हो गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के लिए बोल रहा था। मैंने उस प्रश्न में पूछा था कि आप एक बिजिनेश रूल बता दीजिए जिसके तहत राजनीतिक समिति बन सकती है? भाजपा वाले नाम नहीं दिये। हम नाम दे या मत दें, सरकार की इच्छाशक्ति अलग विषय है। बहाना बनाने के लिए भाजपा का नाम आ गया। आप पार्टी का नाम ले लेंगे। आपका 36 लोगों का कुनबा बन रहा है, उसका नाम ले लेंगे। ए.डी.एम.के. को हमने चिट्ठी लिखी थी कि छत्तीसगढ़ में आकर अध्ययन करिये। ए.डी.एम.के. और डी.एम.के. वाले नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे करें। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि गीला नशा से सूखा नशा और घातक होता है। मुख्यमंत्री जी की अपील का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज पेपर में आया है कि गुरूजी स्कूल में सूखा नशा गांजा पी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील का यह प्रभाव पड़ता है। अब उस नशाबंदी के लिए अनुपूरक बजट में 200 रुपये का प्रावधान है। आप सरकार की इच्छाशक्ति को देख लीजिए। अब नहीं खड़े होंगे। मेरे एकाध शब्द स्लिप हो जायेंगे तो मुख्यमंत्री को सामने सब के सब खड़े हो जायेंगे। ऐसे विषय में बोलने के लिए ताकत नहीं रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बता रहा हूं कि आप जितना खेल के लिए पैसा रखे हैं जिसके लिए भतीजे (माननीय मंत्री उमेश पटेल जी) दुःखी हो रहे थे। राजीव युवा मितान क्लब के लिए अनुपूरक बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। आप सक्ती में फोन कीजिए, मैं दूसरी जगह का उदाहरण नहीं देता। माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी कक्ष में चलें। डॉ. लक्ष्मी ध्रुव जी को आज मैंने कहा कि आप सी.ई.ओ. को फोन कीजिए, धमतरी के आयुक्त को फोन कीजिए कि 13 तारीख को कितने मोहल्ले में आयोजन हुए। क्लब स्तर के, क्लस्टर लेवल, यह लेवल, वह लेवल बनाकर रखा है। आप सक्ती में पूछिये कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के आपके कितने ग्राम पंचायत, कितने शहरों के कितने वार्ड में किस लेवल में यह आयोजन हुए? जैसे 15 लाख क्विंटल पैरा दान में मिला, 37 करोड़ रुपये की ढुलाई हुई, वैसे ही चुनावी साल में यह 20 करोड़ रुपये है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आदरणीय विधायक महोदय, बारिश इतनी जोर-जोर से हो रही थी तब भी हम लोग हर गांव में कार्यक्रम किये हैं। आप तो आये ही नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्रकार :- आप जनता से पूछिये न। मैं जनता की बात कर रहा हूं। अब चुनावी साल है। राजीव गांधी मितान क्लब के लिए अनुपूरक बजट में 20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा के लिए अभी तक समय नहीं है। उसको कोई कुछ दे सकें, उसके लिए समय नहीं है। राष्ट्रीय खेल में, खेलो इंडिया में जो कोच गये, जो खिलाड़ी गये, अब 02 दिन हैं या नहीं तो कक्ष में हैं, हमारे जितने माननीय अध्यक्ष पूर्व में रहे विधायक क्लब के माध्यम से,

साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से और किसी भी तरीके से सामाजिक सरोकार रखते थे, आप भी उन खिलाडियों को बुलाकर पूछिये कि आपको भत्ता कितना मिला? आपको टिकट का पैसा कौन दिया? आपको क्या दिया? कुल मिलाकर मैं इसको 15-20 मिनट देखा जितना समय मेरे पास था।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- आप इसको अपडेट कर लीजिए। इसमें पिछली बार माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाया था और उसके बाद उसका निराकरण भी किया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज की तारीख में भतीजे यह बताईये कि क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी की घोषणा हो गई? बस, मैं तो वही बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। अब वह पिछली बार के कारण हम इधर आ गये हैं।

श्री उमेश पटेल :- पिछले सत्र में उन्होंने प्रश्न उठाया था, उसके बाद उसका निराकरण हो गया है।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- प्रतिपक्ष की तरफ से आप ही बोलेंगे, क्या और कोई नहीं बोलने वालें हैं?

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्वान सदस्य का भाषण सुन रहा हूं। वह संसदीय ज्ञान के ज्ञाता भी हैं और वह अन्य जानकारियों भी रखते हैं जो इनको नहीं रखना चाहिए पर मैं यह बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इस सरकार को पौने पांच साल हो गये। केन्द्र सरकार ने किसी भी कार्य के लिए एक भी पैसा दिया है क्या? क्योंकि सारे पैसे उन्होंने अपने बल पर ।

श्री अजय चंद्राकर :- अच्छा। एक सेकंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी खेल में ही बात कर रहा हूं। आप खड़े होकर मुझे यह बताईये कि पाटन में कबड्डी की अकादमी कहां से स्वीकृत हुई है?

श्री अरूण वोरा :- पाटन में ?

श्री अजय चंद्राकर :- पाटन में कबड्डी की अकादमी कौन से मद से स्वीकृत हुई है, बातईये?

श्री अरूण वोरा :- राज्य शासन से।

श्री अजय चंद्राकर :- बताईये न।

श्री अरूण वोरा :- मैं बोल रहा हूं न कि यह हमारी सरकार की सोच है।

श्री अजय चंद्राकर :- यहां खेल मंत्री जी हैं। आप उनसे पूछिये।

श्री अरूण वोरा :- अभी प्रश्नकाल थोड़ी है।

श्री अजय चंद्राकर :- भाई, खेल मंत्री जी हैं। पूछिये न। मैं तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इटारसी में फारसी क्या बोल रहा हूं। यहां खेल मंत्री जी हैं। 25 अकादमी खेलो इंडिया के तहत केन्द्र सरकार ने स्वीकृत की है। जिसमें एक पाटन की कबड्डी अकादमी भी है।

श्री अरूण वोरा :- उसमें राज्यांश कितना है? अब आप यह बताईये?

श्री रामकुमार यादव :- केन्द्र सरकार ओला खेत ला बेच के दे हे का?

श्री अजय चंद्राकर :- प्यारे भतीजे, आपसे एक निवेदन है कि आप राज्य में पित्तूल, गिल्ली, भंवरा, सांकर के भी अकादमी बनवाईये।

श्री उमेश पटेल :- हम बिल्कुल बनवायेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी बी.एड. के कोर्स को उसमें शामिल कीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब छोड़ दीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो खत्म कर रहा हूं।

श्री उमेश पटेल :- अजय जी। अजय जी, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के साढ़े पांच साल का कार्यकाल है, जिसमें आपके अध्यक्ष को गेड़ी खेलने में मजबूर कर दिया। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- प्यारे भजीते, क्या है कि अब समाप्त करने का आदेश हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे प्रेरक मार्गदर्शन मिला है तो उसको मैं पालन कर रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनका भाषण खत्म हो रहा है। उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर पढ़ा था पर यह सरकार की जो स्थिति है। मैंने सब कागज रख दिया है । इस सरकार को सिंडिकेट चला रही है। इस सरकार को संविधानेत्तर सत्ता चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मैं तो यह कहता हूं कि दास्ताने सरकार के लौह दास्ताने के ऊपर दास्ताने लगे हैं। छत्तीसगढ़ को नोच रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देता। कभी-कभी मुझको लगती है कि उनके ऊपर लाचारी हावी हैं। उनकी जानकारी में, उनके विभाग में इतनी बड़ी घटना घटेगी, खनिज विभाग में घटना घटेगी, शराब विभाग में वह मंत्री के बगैर घटना घटेगी? एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाने से हम बरी नहीं हो जाते। मैं फिर कहता हूं कि गलत नहीं है तो न्यायालय के ऊपर आरोप लगाए। न्यायाधीश बन जाये कि जमानत क्यों नहीं दे रहे हैं। ये लोग निर्दोष हैं। आप संविधानेत्तर सत्ता को तोड़िए। आप सक्षम हैं। सिंडिकेट को हटाईये। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करिये। उसके लिए जनादेश है। तीन बच्चियां डूब कर मरे, इसके लिए आपके पास जनादेश नहीं है। अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृहस्पत सिंह जी।

श्री कवासी लखमा :- तुम्हारा हिमाचल प्रदेश जल रहा है, उसका जनादेश दिल्ली को दिया जाये।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोगों ने लंबे समय तक सुना। छत्तीसगढ़ सदन के हमारे बहुत विद्वान साथी वक्तव्य दे रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- पूरे एक घंटे।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन ऐसा बयान देकर सदन को सुना रहे थे, जिससे पूरा सदन तार-तार हो जा रहा था। इन्होंने किसी को भी अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इसके लिए इनको बहुत-बहुत बधाई एवं मुबारक हो। हम यही चाहेंगे कि इसकी सजा इनको छत्तीसगढ़ की जनता दें। हम लोगों को जो करना था, वह कर चुकें।

अध्यक्ष महोदय, यह सबसे पहली बात आती है कि यदि हम खाद्य नागरिक आपूर्ति की बात कहें। जब-जब ..।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको बोलना, टोकना नहीं है। आप भाषण देंगे, उसी समय आयेंगे। हम आपके निर्देशों का पालन करेंगे। हम आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी जब बोल रहे थे, तब सदन सुन रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- सब लोग सुन रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- और वे बड़ी परंपरा की बात करते हैं। मैं तो उनका भी भाषण सुना। हालांकि, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयाग किया, उसके बाद बैठने का बिल्कुल महत्व नहीं था। फिर भी बैठें। लेकिन परंपरा यह है कि जब पहले वक्ता बोल लें, उसके बाद दूसरे पक्ष के कोई वक्ता बोले तो जो पहला वक्ता है उसको बैठकर सुनना चाहिए।

श्री अजय चंद्राकर :- चलिये, आपके निर्देश को मैंने फिर से मान लिया।

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिये। मैं जा रहा हूं। (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई दूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार बनते ही हमारा छत्तीसगढ़ 2 साल तक कोरोना महामारी से गुजर रहा था । लोग एक-दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते थे, जो जहां था वह वहीं फंस गया था और इस हालत में भी लोगों के हर घर तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम इस छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया । मैं इसके लिये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । इतना ही नहीं छत्तीसगढ़ से जो भी दूसरे राज्य के लोग इस रास्ते से गुजरे उनके खाने का, उनको पहुंचाने का, चप्पल खरीदने का, मेडिकल, दवाई खरीदने की सारी व्यवस्था उन्होंने की । यह हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार हैं और इन संस्कारों वाले राज्य के हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इसलिये खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिये 1 करोड़ 97 लाख रूपये का अनुपूरक बजट प्रावधान किया गया है । मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये । पीडीएस की बात, पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है । चूंकि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी, ये लगातार चुनाव आने के पहले सभी का झारम-झार हर परिवार का राशनकॉर्ड जोड़ने का कार्य करते थे और जब चुनाव खत्म हो जाता था तो चउंर वाले बाबा डॉ. रमन सिंह

के आदेश पर यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा पूरा राशन छानबीन के नाम पर काट दिया जाता था और पूरे 4 सालों तक जनता त्रस्त रहती थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ में यह लागू कर दिया है कि सभी का राशनकॉर्ड हो । कोई भी परिवार न छूटे और सभी जनपदों को, अधिकारियों को निर्देशित हो गया कि जो भी आवेदन देता है तो उनका परीक्षण करके सीधे नाम जोड़ने का काम चल रहा है और उनके सीधे राशनकॉर्ड बनाये जा रहे हैं । अगर 4 या 6 महीने पहले भी शादी होकर आया है और अपने माता-पिता से अलग रहना चाहता है तो वहां नाम काटने-जोड़ने को देते हैं और उनका राशनकॉर्ड बनता है इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस विभाग के मंत्री जी को भी बहुत-बहुत बधाई देता हूं । चूंकि पीडीएस व्यवस्था में पूरे देश में अव्वल रहा, इसमें 95 करोड़ रूपये की अनुपूरक में मांग आयी है तो मैं इसको सर्वसम्मति से पास करने का आग्रह करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि एवं किसान की बात है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय भी चालू किया है । विश्वविद्यालय भी चालू किया है और इसके लिये भी 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, मैं इसके लिये चाहूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पास किया जाये । मुझे याद है कि उद्यानिकी हार्टिकल्चर महाविद्यालय इन्दौर में हुआ करता था, बाद में बिलासपुर में हुआ । वहां दूर-दूर से बच्चे आते थे, जो नहीं पढ़ पाते थे उनके लिये भी छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का काम किया है । हमारे सरगुजा के बलरामपुर में भी खुला, जशपुर में भी खुला, मनेन्द्रगढ़ में भी खुला । माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगातार खोलने का काम कर रहे हैं जिसकी कमियों के लिये उन्होंने अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है, मैं इसको सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा प्रबंधन पुनर्वास के लिये खसरा बी-वन और वह सारी चीजें जिनकी गिरदावली में जरूरत पड़ती हैं, तहसीलें नयी खोली गयी हैं । जिसके लिये भी बजट में प्रावधान किया गया है, दंतेवाड़ा, ओरछा, नारायणपुर जगह के लिये भी किया गया है । अनुपूरक बजट में नगरीय प्रशासन विभाग के लिये भी और स्मार्ट सिटी के लिये 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिये 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम के लिये 206 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, अमृत मिशन हेतु 286 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा और सदन से निवेदन करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए । छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आयी है तब से उद्योग नीति बहुत तेजी से बढ़ी है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में महामारी फैली, पूरे हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गयीं । उद्योग-धंधे बंद हो गये । फैक्ट्री मालिकों ने ताला लगा लिया । मजदूरों को बाहर धकेलकर रख दिया गया और उस समय भी कोरोना समाप्त होने के साथ ही हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नयी उद्योग नीति लायी और उद्योग नीति के साथ-साथ हमारी नयी नीतियों में ए.बी.सी.डी. 4 तरह से उद्योग नीति को बांटा है। जो बिल्कुल अंतिम छोर में उद्योग बसे हैं, जहां उद्योग गतिविधि जीरो है, उसे डी श्रेणी में रखा गया है, बी श्रेणी में रखा, सी श्रेणी में रखा और जिनके पास पूंजी नहीं है, जमीन नहीं है, पैसे नहीं है, उन्हें भी उद्योग में शामिल करने का प्रावधान किया। साहब, मैं उद्योग नीति के बारे में बताना चाहूंगा। इनकी सरकार के समय में जितने उद्योग लगे हैं, जाकर देखिए बांबे और कलकत्ता और बाहर के लोगों ने उद्योग लगाया है। छत्तीसगढ़ में नयी उद्योग नीति आने के बाद मैंने देखा एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. के लोगों के लिए जहां सरकार टोकन अमाउंट में जमीन दे रही है, वहीं पर उद्योग लगाने के लिए डाउन पेमेंट जो बैंकों से लेना रहता है, 75 प्रतिशत बैंक दे रही है। 20 प्रतिशत सरकार डाउन पेमेंट दे रही है और सिर्फ 5 प्रतिशत उद्योग लगाने वाले को देना है। इस प्रकार से उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि वे हमारे छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जा रहे हैं। 5 अनुपूरक बजट में भिलाई फैक्ट्री के लिए लखनपुरी वेयरहाउस के लिए 5 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है। औद्योगिक इकाइयों को लंबित भुगतान का अनुपूरक के लिए 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र स्थापन प्रथम अनुपूरक में 9 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्लास्टिक पार्क एवं संबंधित निर्माण कार्यों की स्थापना एवं प्रथम अनुपूरक में 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सदन से निवेदन करूंगा कि सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ के हित में पारित किया जाना चाहिए। खेल एवं युवा कल्याण विभाग जहां बार-बार हमारे विद्वान साथी चन्द्राकर साहब बोल रहे थे, उन्हें पता नहीं छत्तीसगढिया खेल से क्या नफरत हो गया है, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों से इन्हें बहुत ज्यादा नफरत हो गया है। वे लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का संस्कार और खेल लगातार विलोपित होते जा रहा था। जब हम लोग प्रायमरी स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग लट्टू खेलते थे। इधर गूबरी बोलते हैं। गिल्ली डंडा खेलते थे। ये सारे खेल अगर छत्तीसगढ़ में नये संस्कृति के रूप में उभरकर आया है तो कौन सा गुनाह हो गया, लेकिन पता नहीं बोलते-बोलते ऐसा लगता था कि चन्द्राकर जी का दिमाग खिसक गया है, इसीलिए बार-बार आग्रह कर रहे थे कि जब ये सदन में आये तो इनका मेडिकल करवा दिया कीजिए, क्योंकि मेडिकल चेकअप की टीम तो रहती ही है।

समय 3.12 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री संतराम नेताम) पीठासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के क्या नौजवान, क्या बच्चा, क्या सियान, क्या बूड्ढा, क्या महिलाएं, माताएं, बहनें सब के सब खेल में चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब लोग एक साथ होकर बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसके लिए हमारे राज्य युवा मितान क्लब के माध्यम से लगातार आयोजन हो रहे हैं। इसके लिए 20 करोड़ का अतिरक्त प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढिया ओलंपिक के विजेता खिलाडियों को पुरस्कार वितरण के लिए प्रथम अनुपूरक में 234 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस मौके में खेल मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के सम्मान को जगाने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बात करें, जहां बड़े-बड़े भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग भाषण देते हैं, इन्हें ये बोलते हैं कि सारा पैसा हमने दे दिया, जो पूरे नल जल की योजना है, आधा पैसा केन्द्र सरकार देती है और आधा पैसा हमारी राज्य सरकार देती है, जिसके माध्यम से हम आम जनों तक नल कनेक्शन हर घर तक पहुंचा रहे हैं। ये इसका पूरा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यही तो विडंबना है। ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को भारतीय असत्य पार्टी लगातार असत्य बोलकर छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और इसके लिए भी हम लोगों ने जहां-जहां पर कमी हो रही है, उसका हम लोगों ने अनुपूरक के माध्यम से व्यवस्था की है और 11 सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ के हित के लिए बहुत अच्छा पहल किया है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य कल्याण परिवार विभाग की बात करें तो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आजीविका मिशन हेतु 417 करोड़ 54 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त स्वास्थ्य न्याय योजना हेतु 16 करोड़ का प्रथम अनुपूरक अनुमान का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने और बढ़ाने के लिए देवधर जिला धमतरी, बेन्द्री, खुर्द एवं डोमा जिला रायपुर नेवरा एवं जिला बेमेतरा मोवादी में तुमराबहार, जिला धमतरी में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काबिलेतारीफ होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहद काम करने की कोशिश की है व चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। लगातार नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर मेडिकल की सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है । लगातार नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर मेडिकल सुविधा बढ़ाने का काम किया है । ऐसे लोग जो हॉस्पीटल नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी बस में डॉक्टर, स्टाफ नर्स के साथ दवाईयों की व्यवस्था कर हाट बाजार में इलाज किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है । इस अवसर पर

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई दूंगा । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 417 करोड़, 54 लाख । स्वास्थ्य न्याय योजना हेतु 16 करोड़ की राशि मांगी गई है, मैं सदन से आग्रह करूंगा कि उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम नर्रा एवं (अस्पष्ट) जिला महासमुंद खैरझिठीकला, जिला बेमेतरा, गम्हारी जिला कोंडागांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन का प्रावधान किया गया है । इस तरह से राजनांदगांव, रायपुर, बिलाईगढ़, महासमुंद का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन का प्रावधान किया गया है । इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाली जिला कोरबा, नगपुरा जिला दुर्ग में 50 बिस्तर के सिविल अस्पताल की स्थापना के लिए बजट प्रावधान किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगीचा, जिला जशपुर का 100 बिस्तर सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है । इस सबके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं । स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सजगता दिखाई है । जशपुर, सरगुजा, बस्तर जैसे क्षेत्रों में आए दिन घटनाएं होती थीं। इन क्षेत्रों में लगातार अस्पताल बढ़ाने और उनके उन्नयन का काम हमारी सरकार ने किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चंद्रपुर, सक्ती, टुंड्री में चौकी भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़, 20 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । आपातकालीन प्रणाली योजना अंतर्गत डायल 112 योजना के क्रियान्वयन हेतु 34 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए एक नवीन बटालियन के गठन के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग की बात करें । ऊर्जा विभाग में लागातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणाएं की जा रही हैं । हर घर तक बिजली की आवश्यकता है, हर मोहल्ले तक बिजली पहुंचाने का काम करने के लिए, जो बिजली का बिल जाता है उसमें आधा पैसा उपभोक्ता देता है और आधी राशि की सबसिडी देने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुपूरक बजट लाया है । हमारे उपभोक्ताओं पर ज्यादा भार न पड़े । कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिए अनुपूरक बजट में 335 करोड़, 32 लाख का प्रावधान किया गया है । 5 एच.पी. तक के कृषि पम्पों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना के लिए 300 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को हाफ करने के लिए 114 करोड़, 70 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । इस मौके पर हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए उन्होंने बजट तैयार किया है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अब ऊर्जा मंत्री बदल गए हैं, बाबा साहब बन गए हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऊर्जा मंत्री नहीं हैं साहब, आप फिर से अप-टू-डेट कर लीजिए । ...ओर सॉरी, सॉरी माफी चाहूंगा ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- लेकिन आप सही कह रहे हैं । मुख्यमंत्री जी का ही किया हुआ था, अभी परिवर्तन हुआ है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अब पालन तो आपको करना है महाराज साहब । याद कराने के लिए पम्मू जी को भी धन्यवाद दूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आवास एवं पर्यावरण विभाग की बात करें तो नया रायपुर के चौक-चौराहों में सौन्दर्यीकरण और हरियाली लाने के लिए 9 करोड़, 32 लाख का प्रावधान किया गया है ताकि नया रायपुर चमकता रहे, चौक-चौराहों की सुंदरता बनी रहे । नवा रायपुर अटल नगर में सड़कों के किनारे हरियाली विस्तार आदि कार्यों के लिए 12 करोड़ 97 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । अनुपूरक बजट में स्मार्टसिटी के लिए भी 70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है । इन सबको सर्वसम्मति से पास करने का आग्रह करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसको भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने जर्जर हालत में छोड़कर हमको सौंपकर गये थे, हमने सारे सड़कों को बनाने का काम किया, उनके जीर्णोद्धार का काम किया, नवीनीकरण का काम किया और इसके बाद जो कुछ बच गये हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है, यह सड़क बहुत जल्द ही इस बरसात के बाद डामरीकरण होकर पूर्ण हो सके, हमारी सड़क का जीर्णोद्धार ठीक से हो सके, इसके लिए हम लोगों ने राशि रखी है। इसके लिए हमारे पंचायत मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के लिए 156 करोड़ रूपये की अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। इसके तहत हमारे उद्योग के लिए पार्क बन रहे हैं, उसके लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत सरकार टोकन एमाउंट में जमीन देती है, उद्योग लगाने के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, इसमें महिलाओं, आदिवासियों को 40-45 प्रतिशत तक की छूट दी जाती है और ब्याज में भी छूट दी जाती है। इसके साथ ही साथ स्टाम्प शुल्क में भी छूट दी जाती है, बिजली बिल में भी छूट दी जाती है, इन सब कामों के लिए अनुपूरक बजट में 156 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसको सर्व सम्मति से पारित किया जाना चाहिए। आजीविका मिशन, नवीन महिला किसान सशक्तीकरण योजना हेतु अनुपूरक बजट में 6 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के कर्मचारियों के लिए ई.पी.एफ.ओ. शासकीय अंशदान हेतु 40 करोड़ रूपये अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चंद्राकर साहब और सारे लोग लगातार हल्ला करते थे, उनके लिए प्रावधान किया गया है। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इसको सर्व सम्मति से पास किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्कूल शिक्षा विभाग में आना चाहता हूं। पूरे हिन्दुस्तान में छत्तीसगढ़ ही एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर स्वामी आत्मानंद अग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं। मैंने कई जगहों पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के कार्यक्रमों में गया था। हमारे साथ कुछ बड़े नेता भी थे,

बड़े उद्योगपति सेठ लोग भी गये थे, जब हम लोग उस स्कूल में गए, बच्चे लोग आकर हम लोगों से मिले तो मैंने टीचर से पूछा कि ये बच्चा कौन है, हमारे एक उद्योपति ने कहा यह मेरा भतीजा है, दूसरे बच्चे कौन हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में दाई काम करती है, उनका बच्चा है। यह छत्तीसगढ़ में एक नया चीज देखने का मिल रहा है कि अंतिम छोर में बसे हुए गरीब से गरीब का बच्चा, मजदूरी करने वाला, दूसरे घर में काम करने वाले, आटो चलाने वाले, रोजगार गारंटी में काम करके जीविका चलाने वाले, पान ठेला चलाने वाले, चना बेचने वाले के बच्चे भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। चंद्राकर साहब, हमारे स्कूल की इतनी विशेषता रही है कि आपके कई नेता तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हमारे बच्चों का एडमिशन करा दीजिए। मैं आपको कई चिट्ठी दिखउंगा, केन्द्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एडमिशन कराने के लिए पत्र लिखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह सब हमारे बच्चों में समानता लाने का काम किया है। इसके पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला जिनके पास पैसा होता था, बड़े लोग होते थे, प्राईवेट स्कूलों में फीस दे पाते थे, उन्हीं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, अन्यथा गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। आज सरकार की इतनी सारी योजनाएं चालू होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। अंतिम छोर के गरीब से गरीब आदमी के बच्चे का भी एडमिशन हो रहा है। इतने ज्यादा आवेदन आ रहे हैं कि उनको मैरिड बेस पर लेना पड़ रहा है और उसमें किसी की सिफारिश नहीं चल रही है। मैंने देखा कि कई जगहों पर एस.डी.एम. लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ रही है। इसमें गरीब व्यक्ति के बच्चे का भी एडमिशन हो रहा है। साहब वे बच्चे क्या सर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं, देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। मैं आपको एक बार की बात बताता हूं, मैंने एक बार कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था। मैं मन ही मन यह सोचकर गया था कि आज अंग्रेजी में बच्चों से प्रश्न पूछूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने प्रश्न करना शुरू किया तो बच्चे इतने सराटे से अंग्रेजी में बोलने लगे कि उसके आगे का जो मैं सोचकर गया था, उसको भूल गया। मुझे समझ में नहीं आया कि बच्चे मुझसे अंग्रेजी में क्या-क्या पूछने लगे। मैंने कलेक्टर से इशारा किया कि आप आगे बढ़िये और इन बच्चों से अंग्रेजी में बात कीजिए कि यह क्या बोल रहे हैं? मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिन बच्चों के मां-बाप प्राईमरी स्कूल भी पास नहीं किये हैं, मुश्किल से अपना नाम लिखना जानते हैं, जिनके मां-बाप अपना अंगूठा लगाते हैं उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़कर सराटे से अंग्रेजी में बोल और पढ़ रहे हैं। मैं सरकार को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके लिए हमारी सरकार ने 56 शालाओं का उन्नयन भी किया है। हमारे स्कूल भवन के अनुरक्षण एवं लघु निर्माण कार्य के लिए 475 करोड़ रूपये का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया है। 25 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार प्रावधान किया है, इसके लिए मैं इस अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजीयन विभाग ने 3 करोड़ रूपये का बजट मांगा है। मैं आपसे इसको भी सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं। लोक निर्माण विभाग की बात आई है तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना में 2,947 कार्य पूर्ण किया जाकर लगभग 3,000 शासकीय भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया है। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जब बच्चे हमारे स्कूलों से निकलते थे तो घर पहुंचने तक कीचड़ से उनके पैर, जूते-मोजे और कपड़े खराब हो जाते थे। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत् उन्होंने स्कूल तथा शासकीय भवनों तक पहुंच के लिए पक्की सड़क बनवाया। इस योजना से काफी सड़कें बनी हैं। इस योजना में अभी 100 करोड़ रूपये का और प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से इस सदन में पारित किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग के कुशल श्रमिकों के ई.पी.एफ. भुगतान के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मस्तूरी मुख्यालय से नवीन विश्राम तक अनुपूरक बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उच्च शिक्षा विभाग की ओर बढ़ते हैं। बारहवीं नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना ग्राम भवरमाल, तहसील-बसना, जिला-महासमुंद। महासमुंद में आपके यहां का है। ग्राम-आमासिवनी, जिला-रायपुर के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस तरह से विश्वविद्यलाय पेंशन भुगतान योजना के लिए अनुपूरक बजट में 5 करोड़ 72 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग परिसर में श्री नरेन्द्र देव वर्मा शोध पीठ की स्थापना हेतु 20 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। मैं सदन से इस अनुपूरक को सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सहकारिता विभाग की बात करते हैं। 7 सहकारी समितियों को नाबार्ड अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। कौशल विकास, रोजगार, तकनीकी शिक्षा विभाग में बेरोजगारी भत्ता सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको चंद्राकर जी और भा.ज.पा. के मित्र बार-बार चुनौती दे रहे थे और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। इनको बहुत तकलीफ है। जब बेरोजगार लड़के दर-दर भटक रहे थे तो इनको बहुत मजा आ रहा था और इनको बहुत अच्छा लग रहा था। जब छत्तीसगढ़ की सरकार ने नौकरी लगते तक बेरोजगारी भत्ता 2,500 रूपये देने का प्रावधान किया तो इनको बहुत तकलीफ हो रही थी और बहुत जिरह चल रहा था कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? इस तरह की बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को पढ़ाने के लिये और जो पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार भटक रहे थे, उनके लिए भी इस अनुपूरक में व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार इसकी व्यवस्था कर रही

है। वहीं पर 50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। शासकीय आई.टी.आई., बागबहरा में दो नये ट्रेड खोलने के लिए 1 करोड़ 34 लाख रूपये का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा परीक्षाओं के आयोजन हेतु 25 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मेरा आग्रह है कि इस अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य विभाग में माननीय विधायकगण को लैपटॉप प्रदाय करने हेतु 68 लाख रूपये का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले माननीय चंद्राकर जी को लैपटॉप उपलब्ध करवाया जाए। उसके लिए भी व्यवस्था की गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में डोर टू डोर सर्वेक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। जो हमारे दिव्यांग हैं, जो बेचारे वंचित रह जाते हैं उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे। हमारे प्रदेश का कोई दिव्यांग छूटने न पाये, उसके लिए अनुपूरक बजट में 6 करोड़, 93 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है । मैं सदन से आग्रह करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाये । छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के हित में छत्तीसगढ़िया संस्कार, छत्तीसगढ़िया खेल और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए धुंआधार काम कर रही है, चाहे वह शिक्षा हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, धान खरीदी हो, उसमें हमारी सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है । इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को देखकर दिल्ली की सरकार की नींद उड़ गई है । जिस तरह से हिन्दुस्तान में लोग जाग चुके थे, उस समय ब्रिटिश हुकूमत की नींद हराम हो गई थी। जब छत्तीसगढ़ के लोग जाग गए तो हिन्दुस्तान से इनके बड़े-बड़े नेता आकर गुरू मंत्र दे रहे हैं और वहां से इनको प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं कि प्रदर्शन का नया-नया तरीका अपनाओ, एस.सी., एस.टी. के बच्चों को भड़काओ और उनको इतना भड़का दो । अमित शाह जी ने बंद कमरे में इनको ट्रेनिंग दी कि इस तरह से प्रदर्शन होना चाहिए, जो देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, ऐसा प्रदर्शन करके दिखाओ और इन्होंने हमारे भोले-भाले एस.सी., एस.टी. बच्चों को भड़का कर आपने देखा होगा वह कितना लज्जाजनक था । विरोध होना चाहिए, विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है । जब 15 साल इनकी सरकार थी तो इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण-पत्र दिया, फर्जी नौकरी दी और हमने तो जांच करके उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की, उसके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की । इसके बाद भी भोले-भाले लड़कों को भड़काकर क्या हालत किये, यह छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है । इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता इनको माफ नहीं करेगी । छत्तीसगढ़ की जनता, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं यह सबने देखा है कि ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन इस तरह नीचे गिरकर हरकत नहीं करना चाहिए । ऐसे प्रोत्साहित करने वालों के लिए मैं यही कहूंगा कि ईश्वर सद्बुद्धि दे। दोबारा छत्तीसगढ़ के मान-सम्मान के साथ खिलवाड़ न किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों का विरोध करता हूं । वर्तमान की जो सरकार है, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई विभाग नहीं होगा, जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है । सरकार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके पैसा वसूल हो । यह बात सत्य है, इस बात को हमारे कांग्रेस के साथी भी जानते हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रमोद भैया, इधर टिकट की उम्मीद मत रखना, आप बोलते चले जाईए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- ऊहूं डहार तो नहीं मिलत हे, का मतलब तारीफ करे के । उपाध्यक्ष महोदय, यहां जितने विधायक हैं, अगर उनका कोई पी.ए. शिक्षक होगा तो आप उनसे पता कर लीजिएगा, उनको भी दुख है । अगर कोई विधायक का पी.ए. है तो पोस्टिंग के लिए एक लाख रूपए विधायक ने दिया है, लेकिन हम खुलकर बोल सकते हैं, वे लोग दुखी हैं, खुलकर बोल नहीं सकते। चाहे विधायक हो या कोई भी हो, सिर्फ पैसा दो, पैसे से काम होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बृहस्पत सिंह जी ऊर्जा विभाग की बात कर रहे थे । माननीय बाबा साहब बैठे हुए हैं । ऊर्जा विभाग से शुरूआत करता हूं । ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार है । ऐसे तो हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आपके पास ऊर्जा विभाग आ गया है तो आपसे निवेदन है कि आप भ्रष्टाचार को कम करिए । RDSS scheme में केन्द्र से 12 हजार करोड़ रूपए छत्तीसगढ़ में दिया गया । 12 हजार करोड़ रूपए में से 5 हजार करोड़ रूपए स्मार्ट मीटर और केबल लाईन दुरूस्तीकरण के लिए है । मैं एक छोटा सा उदाहरण सबूत के सहित इस सदन में माननीय मंत्री जी के सामने पेश कर दूंगा । कांकेर जिले का 150 करोड़ रूपए का एक टेण्डर, जिसमें बिना बैंक गारंटी के उसको खोला गया और इतना खुले आम भ्रष्टाचार वही कर सकता है, जहां संरक्षण प्राप्त है । 150 करोड़ रूपए के टेण्डर में बिना बैंक गारंटी के उसको खोला गया और टेण्डर खोलकर गलत तरीके से दिया गया और हर टेण्डर में 5 प्रतिशत डिमांड की गई है । यह विद्युत मण्डल का कारनामा । आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, मेरे पास टेण्डर नम्बर भी है । शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इतना खुले आम भ्रष्टाचार कर रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है । मैं सबूत के साथ में पेश कर सकता हूं । स्मार्ट मीटर लगाने के लिए राजस्थान का ठेकेदार आया है, उससे 40 करोड़ रूपए की मांग की जा रही है । अधिकारी की इतनी हिम्मत होगी क्या ? अधिकारी की हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि ऊपर आकांओं को पैसा पहुंचाते हैं । माननीय मंत्री जी, आपके विभाग में एक एफ.ओ.सी. का टेण्डर हुआ, जो छत्तीसगढ़ के लोकल ठेकेदार हैं, एस.ओ.सी. के 200 ठेकेदार है, जो फ्यूज का काम करते हैं । इनके टेण्डर को खतम करके राजस्थान के एक बड़े ठेकेदार को ठेका दे दिया गया ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- शर्मा जी, आप असत्य पर असत्य क्यों बोल रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं सबूत दे देता हूं, आप कार्रवाई करिये। मैं अभी सदन के पटल पर रखता हूं। आप जांच करवा लो, मैंने शिकायत किया है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप असत्य मत बोलिये।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी बैठे हैं। मैं इसी विधानसभा में पत्र देता हूं, आप उसकी जांच करवा दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गारंटी दे रहा हूं कि पूरे गलत तरीके से टेण्डर दिया जा रहा है। एफ.ओ.सी. का टेण्डर, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं, 2 सौ छोटे-छोटे ठेकेदार हैं, इनको हटाकर, जैसे रेडी टू इट का एक टेण्डर दिया गया, वैसे ही राजस्थान के एक ठेकेदार को टेण्डर दिया जा रहा है। वह छोटे-छोटे ठेकेदार क्या करेगा ? सिर्फ पैसा का आधार है। मैं माननीय बाबा साहब से निवेदन करूंगा कि आप इस कम से कम इस विभाग में आये हैं तो कम से कम इस विभाग में जो इतना गंदा खेल हो रहा है, उसको बंद करें, कम से कम लोकल ठेकेदार लोगों के साथ ऐसा ना हो। आप लोग यह बात याद रखियेगा कि जब हम सब लोग चुनाव में जायेंगे तो उस छोटे-छोटे ठेकेदार के पास दो-दो सौ, तीन-तीन सौ काम करने वाले लोग रहते हैं। उन लोग आपके इसका जवाब देंगे, चुनाव में जवाब देंगे। अभी उन लोग नहीं बोल पा रहे हैं। यहां के कांग्रेसी विधायक भाई नहीं बोल पा रहे हैं, इन लोगों को खुद मालूम है यदि किसी का छोटा सा ट्रांसफर करवाना हो, तो वह विधायक की अनुशंसा से काम नहीं होता है, उसमें सिर्फ पैसा चलता है। मात्र टेबल लगाकर बैठे हैं। सरकार कहां चल रही है, ये तो दुकान चला रहे हैं। दुकान बोलने में कोई संकोच नहीं है। यह छत्तीसगढ़ की सरकार है, सिर्फ पैसे को लूटने का काम कर रही है, पैसा वसूलने का काम कर रही है। ऐसा कोई विभाग नहीं है, आप पंचायत विभाग उठाकर देख लीजिये। कोई नया अधिकारी आता है तो वह बोलता है कि हम इतना पैसा देकर आये हैं।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- बैठ न बबा, बढ़ तो हो गय हे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं भाई, अभी तो शुरूआत करे हव। गला सुखात हे, पानी पी-पी के बोलहूं। राठिया साहब, पता नहीं हमन ला मौका मिलही या नहीं मिलही, ये आखिरी बार हे। हम बोलथन, लेकिन होना-जाना कुछु नहीं हे। मन ला संतुष्टि होथे। आप मन पाप करत हव। पाप के भागीदार हव। हम एखर विरोध करके पुण्य करत हन। अगर जंगल मा आगी लगथे तो भले गिलहरी हा आगी नहीं बुझावय, लेकिन ओखर प्रयास रहथे कि कम से कम गलत के विरोध करय। आने वाला इतिहास आप मन ला माफ नहीं करही। ये भ्रष्टाचार सरकार ला सहयोग करत हव, मौन बनके बैठे हव, ऐला आने वाला पीढ़ी याद रखही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिकारी के बात करत हंव। मैं हमर बलौदा बाजार विधानसभा में आ जाथ हव। बलौदा बाजार विधानसभा में डी.एम.एफ. मद मा 120 करोड़ हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये कुछ दिन पहले हमारे सपोर्ट में खड़े थे।

उप मुख्यमंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय सदस्य ने एफ.ओ.सी. के सन्ट्रालाइज टेण्डर के बारे में बात को उठाया है, यह बात संज्ञान में आने के बाद ज्ञापन प्रस्तुत हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवार्ड पारित होने के पहले उसको निरस्त कर दिया था।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- निरस्त करने के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन ऐसा हुआ था, पैसा लेकर दे दिए थे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- महोदय जी ला बने धन्यवाद देव।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं-नहीं, अच्छा काम करही तो धन्यवाद देबे करिहव। बहुत सारा हे, जिहा हाथ डालबे, तिहा पूरा भ्रष्टाचार हे।

हमर बलौदा बाजार में एक अधिकारी हावय। डी.एम.एफ. में 120 करोड़ रूपये है। सिर्फ राशि का आवंटन होना है। जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 36 गांव है। मैं ऐसे क्षेत्र के विधायक हव जिहा सबसे ज्यादा सीमेन्ट प्लाण्ट हे। ओखर आय हमर विधानसभा क्षेत्र से होथे। लेकिन मजाल हे कि वो पैसा के उपयोग होवय। 50 प्रतिशत राशि के नियम हावय, उस क्षेत्र के विकास के लिए पर्यावरण के नाम से पौधा लगाना है। लेकिन ओ राशि के सिर्फ बंदरबांट होवत हे। कहां से होथे ? जहां भी तथाकथित आका हावय, वहां जावव, पैसा देवव, 30 प्रतिशत पैसा देवा और ले कर आवव आउ ओमा काम करव। सिर्फ पैसा वसूलो के काम चलत हे। सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ियावाद के दिखावा करत हे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये पहला सरकार हे, जो राजीव क्लब मितान योजना बनाय हे, जेमा नियम आय रहिस कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा से नाम चयनित होना हे। विधायक के द्वारा नाम चयनित होना हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- प्रमोद भइया, छत्तीसगढ़िया वाद नहीं बोलेंगे तो कौन सा वाद बोलेंगे बताईये ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- दिखावा करथव कहाथंव ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़िया वाद बोलेंगे ना ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छत्तीसगढ़ ला लुटव मत ? दिखावा करव अच्छा बात हे, मोर ये कहना हावय कि छत्तीसगढ़ महतारी ला लुटव मत ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- दिखावा नहीं है, सारे छत्तीसगढ़ में जमीन का काम हुआ है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- युवा क्लब मितान ला आप देख लव । नियम काय बनाय रहिसे कि ग्राम सभा में पारित होना है । विधायक के एक प्रतिनिधि, जिला पंचायत के एक प्रतिनिधि, जनपद के एक प्रतिनिधि, लेकिन चयन कोन करथे, चयन कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बनाके करे जावथे । ये हावय सरकारी पैसा के दुरूपयोग । मोर हिसाब से ए सरकार ला चवन्नी-अठन्नी भी नहीं देना चाही । इंहा सिर्फ पैसा के दुरूपयोग हावय । चुनाव आथे तो मात्र कार्यकर्ता मन ला पैसा बांटो, उँखर खर्चा बर ? आज तक इतिहास में हम नई देखेन । छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसन पहली बार देखे ला मिलथे ।

छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाना ला अपन कार्यकर्ता ला डायरेक्ट बांटे के काम करथे । ये हमर छत्तीसगढ़ के सरकार हरय। भ्रष्ट्राचार के आलम तो ऐसे हे, जिंहा हाथ डालव, उंहा मिलही । सुनने वाला कोई नई हे । एक अधिकारी के मैं शिकायत करे रेहेंव । आज से चार महीना पहली से लेकर छै: महीना तक शिकायत करत होगे, एक एस.डी.ओ. हे बघेल नाम के, आप ला आश्चर्य लगथ होही, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वोखर कोई कुछ नई बिगाड़ सकथे कइके वोहा खुले आम बोलथे कि मैं पैसा देता हूँ, मेरा कौन क्या कर लेगा, हमर मैडम हावय शकुंतला साहू जी, वहू नई जानय, वोखर ले परेशान हे, मजबूरी हे नई बोल सकय, आज अधिकारी खुले आम बोलथ फिरथे कि मेरा कौन क्या कर लेगा, सही बात हे उपाध्यक्ष महोदय, कौन काय करही, इंहा तो अधिकारी मन बैठे हे, पैसा वसूल के पहुंचावथे, कोन काय कर लै । कहना बिल्कुल सही हे, मैं मुख्यमंत्री जी से, राजा साहब से यही निवेदन करहूं कि भ्रष्ट्राचारी अधिकारी हावय एला कम से कम मानवता के नाते लगाम करव । आप मन के कारण पूरा छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट्राचार के चरमसीमा बढ़ गे हे, एक पटवारी जो पहली नक्शा देबर, फावती उठाय बर 200-500 लेत रहिसे, आज वोहा 20 से 25 हजार रूपया सीधा मुंह में मांग करथे । आप मन काय कर सकथव । आप चुप रहे से, आप मन पाप के भागीदार बनथव, मैं वो अधिकारी के नाम बतावथंव, एस.डी.ओ. शेर सिंह बघेल, वोखर शिकायत वहां के कलेक्टर भी कर डरिस, कलेक्टर ला भी मालूम हे कि भ्रष्ट्राचारी हावय, सब झन ला मालूम हावय, उंहा के जनप्रतिनिधि ला मालूम हावय, वो अधिकारी हा अपन हिस्सा पहुंचावथे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिस्सा पहुंचथे, राजा साहब बिजली विभाग ला सुधार दौ, मानवता के नाम से नीचे स्तर पर जो छोटे आदमी परेशान होवथे, वोला सुधारौ अऊ छत्तीसगढ़ ला बचा लौ । बस अतका कहना चाहथंव । मैं ए सरकार के विरोध करथंव, आप मन समय देव तेखर बर बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में यह कहा गया है कि उसको पढ़िये और तैयारी करिये । मैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाये गये अनुपूरक मांग के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । इस अनुपूरक मांग में सबसे ज्यादा पैसा जल जीवन मिशन के लिये दिया गया है । जल जीवन मिशन का आलम यह है कि जब से छत्तीसगढ़ में यह योजना आई है, वह भ्रष्ट्राचार और विवादों की भेंट चढ़ गई है, जबकि यह केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि प्रत्येक गरीब के घर में पानी पहुंचे । आज गांवों में यह स्थिति है कि लाईन बिछाये हैं तो उसका गड्ढ़ा नहीं भरा है । लोग गिर रहे हैं । गांव की सी.सी.रोड जो सालों से बनी थी, उसका नाश हो गया है । पानी टंकी बनी नहीं है, अगर पानी टंकी बनी हुई है तो उसमें पानी नहीं चढ़ रहा है, वहां पानी के बोर की व्यवस्था नहीं है । जहां पर बोर नहीं है, वहां टंकी बना दी गई है और जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप उसकी बात न करें, कितने साल वह योजना चलेगी, यह तय नहीं है ।

कोई सरपंच उस योजना को हैंडओव्हर लेना नहीं चाहता है, सरकार के पास कोई ऐसा मापदण्ड नहीं है कि वह बता सके कि हम कहां पर खड़े हैं, आज की तिथि में हम कितने घरों में सप्लाई सुविधा दे पाये हैं । सोलर के जो सिस्टम लगे थे, पहले यह योजना छोटे गांव से चालू हुई है, उसके आधे से ज्यादा चल नहीं रहे हैं । किसको बोलें, किसके पास जायें, हेल्प लाईन नंबर है, उसको कोई उठाता नहीं है, सारी योजनायें पूरी ठप्प पड़ गई है । जो पाईप लाईन घर-घर बिछाई गई है, वह इतनी घटिया है कि टेस्टिंग में फूट जा रही है । टेस्टिंग का फूटा हुआ पाईप है, जो सी पैड का मानक है, जिस मानक के अनुसार उसको सप्लाई करेंगे, उसको धज्जी उड़ाकर सप्लाई की जा रही है। अनेक स्थानों पर जो विभाग के अधिकारी है, उनके ही परिवार के लोग ठेके कर रहे हैं। अगर सी.ई. और एस.ई. का रिश्तेदार ठेका करेगा तो क्या सब इंजीनियर की हिम्मत है कि उसके खिलाफ बिल बना पायेगा ? इस परिस्थिति में यहां जल जीवन मिशन चल रहा है। 27 हजार 500 कार्य अपूर्ण है और हम भारत में जल जीवन मिशन में अंतिम पायदान पर है, जल जीवन मिशन की यह परिस्थिति है। आज आप पैसा दे रहे हैं, यह जनता का पैसा है और उस जनता के पैसे का क्या सर्वस्त्र दुरूपयोग हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अभी यहां पर बैठे हैं, यहां कभी पानी गिर रहा है और कभी पानी नहीं गिर रहा है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यहां पर पर्यावरण के जिम्मेदार मंत्री उपस्थित नहीं है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा कि यहां जितने भी सदस्य पॉवर प्लांटों के क्षेत्र से आते हैं, जैसे कोरबा, रायगढ़, सक्ती, जांजगीर है, वह लोग जो सबसे बड़ी समस्या को झेल रहे हैं, वह समस्या है अवैध ऐश डंपिंग की। अवैध ऐश डंपिंग में कोरबा जिले पर एन.जी.टी. ने एक मापदण्ड तय किया। एन.जी.टी. में शिकायत हुई और एन.जी.टी. ने 19 सितम्बर, 2022 को यह अवार्ड पारित किया। यह निर्णय एन.जी.टी. कौशिक ज्यूडिशियल कोर्ट का है, उसको राजा साहब जानते हैं। उस कोर्ट ने निर्णय दिया और जो निर्णय के मापदण्ड थे, उसमें से एक मापदण्ड का पालन नहीं किया गया। बड़े मापदण्ड है। उसमें एन.जी.टी. ने साफ लिखा है कि कोरबा में 14 लोकेशन में कोई प्रोसिजर फॉलो नहीं किया गया है। नदी के किनारे ऐश डंपिंग की जा रही है, कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिजर फॉलो नहीं किया गया है। यह एन.जी.टी. ने लिखकर दिया है। उसके जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ? वह कौन ठेकेदार है जो इस काम को कर रहे हैं ? ऊपर के लोगों के साथ उनके क्या संबंध है? इस ढंग का काम क्यों चल रहा है जिसके ऊपर कोई कायदा कानून नहीं है ? यहां पर ननकीराम जी है, इनके क्षेत्र में हो रहा है, हमारे क्षेत्र में हो रहा है। इस चीज को उमेश भैया भी जान रहे हैं। यह कोरबा का उदाहरण है, यह रायगढ़ में भी हो रहा है। हम भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम किसको अनुग्रहित कर रहे हैं ? सत्ता पक्ष के नजदीकी लोग और जो माफिया तंत्र यहां पर खड़ा कर दिये है, हम उनको अनुग्रहित कर रहे हैं। उस एन.जी.टी. के कानून में यह स्पष्ट लिखा है ''Every fly ash transporter must write on their vehicles, if any illegal dumping of fly ash by this vehicle is sealed please inform the

collector''. उमेश भैया, यह एक ट्रक में नहीं लिखा है। इसे कम से कम लिखे तो, यह कानून तो बनाये। हम इस प्रदेश के लिये करोड़ों रूपये खर्चा कर रहे हैं, इसके भविष्य के लिये हम क्या कर रहे हैं ? वह राखड़ जायेगा, वह किसकी बर्बादी कर रही है, वह आने वाली पीढ़ी की बर्बादी कर रही है। आज लोग पैसा कमा के निकल जायेंगे लेकिन सरकारें आती हैं और सरकारें जाती है। भविष्य का क्या होगा ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ''गोधन न्याय योजना''। यहां पर गोधन न्याय योजना की बहुत चर्चा हुई। गोधन न्याय योजना के लिये पैसा दिया गया। अभी हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गौठानों में गये और जब हम गौठानों में गये तो वहां पर करोड़ रूपये खर्चा हुआ है। वहां किस योजना का पैसा खर्चा हुआ है ? fourteenth finance, fifteenth finance का पैसा, ग्राम पंचायत का पैसा है, वह छोटे-छोटे काम करने का पैसा है जो गांव में होता था, उस काम का पैसा खर्चा हुआ है। मनरेगा का पैसा खर्चा हुआ है। कहीं पर मनरेगा के नियमों की धज्जी उड़ाई गई, नियम फॉलो नहीं किया गया। यदि आज कोई जाकर यह बोलता है कि आप मनरेगा से एक नाली की स्वीकृति कर दो तो कलेक्टर और सी.ई.ओ., जिला पंचायत पचास कानून बताते हैं। मनरेगा का कोई कानून गौठान में नहीं चला। उसमें डी.एम.एफ. का पैसा खर्चा हुआ, उसमें कैम्पा का पैसा खर्चा हुआ। सारी जो केन्द्र की योजनाएं थीं, उनका पैसा उसमें खर्चा हुआ। करोड़ों रूपये खर्चा करने के बाद अंत में क्या मिला ? उसका आज अगर ईमानदारी के साथ ऑडिट कर दिया जाये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आधे से ज्यादा सरपंच के ऊपर कार्यवाही हो जायेगी, जो भ्रष्टाचार हुआ है। अंत क्या हुआ ? अभी आप आईये, हम विधान सभा से लेकर नेशनल हाईवे पर चल देते हैं, तो सारी गायें सड़क पर है, तो गौठान किस चीज के लिये बनाया गया है ? क्या करोड़ो रूपये खर्चा करके गौठान इसी चीज के लिये बनाया गया है ? फिर गौठान से जो खरीदी चालू हुई, उसमें आपने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी चालू की। माननीय मंत्री जी गोबर खरीदी में जो ratio बताते हैं, वह यह बोलते हैं कि 2/3rd वर्मी कम्पोस्ट बनेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितनी गोबर खरीदी की गई है उस गोबर खरीदी में टू थर्ड वर्मी कंपोस्ट बना ही नहीं है। वर्मी कंपोस्ट 25 प्रतिशत से ऊपर जा ही नहीं रहा है और आप क्या कर रहे हैं आपने कम्प्यूटर में जो खरीदी की, इस गौठान में खरीदी हुई, इतनी खरीदी की, उसमें कितने पंजीकृत लोग हैं, यह पता नहीं ? एक व्यक्ति के पास एक गौठान में 1 लाख 32 हजार किलो गोबर खरीदा गया। यह 1 लाख 32 हजार किलो गोबर कहां से आया? एक गौठान में कई-कई ऐसे गौठान हैं जहां 7-7 लाख किलो गोबर खरीदा गया। यह गोबर का जो घोटाला है इस सरकार को सालों भूत जैसे दौड़ाएगा। जैसे लालू जी को आज भी चारा घोटाला दौड़ा रहा है वैसे ही यह गोबर का घोटाला है। आपने समिति से भुगतान करा दिया। आपने कम्प्यूटर में लिस्ट निकाली और सी.ई.ओ. को आदेश किया कि आप यहां पर टू थर्ड के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट का भुगतान कर दीजिए। समिति को वर्मी कंपोस्ट का भुगतान हो गया। उस समिति को भुगतान हो गया, वह समिति न तो पैसे वापस कर रही है न उस अनुपात में वर्मी कंपोस्ट दे रही है और आप जिस वर्मी

कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं उसकी क्या कैमिकल क्वालिटी है, क्या चीज है, उसका कोई नहीं है, पर किसानों को दबाव देकर हर एक सोसायटी से यह कहा जा रहा है कि आप इतना वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो आपको इतना कैमिकल खाद दिया जायेगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग घर-घर में जाकर गोबर को छुआ कर कसम खिलाते थे कि आप लोग वोट देंगे या नहीं ? इसलिए हम लोग यह मौका नहीं आएं करके, हमने उसको वर्मी कंपोस्ट में बदल दिया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अकबर भाई आ गये हैं। प्रोजेक्ट टाईगर के लिए 4400 रूपये और प्रोजेक्ट एलीफेंट के लिए 3200 रूपये है। यह आंकड़ों की बाजीगरी हो जाती है कि आप उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, राज्यांश का कितना पैसा देना चाहते हैं किसी योजना में 100 रूपये तो किसी योजना में 100 रूपये। लेकिन प्रोजेक्ट टाईगर की क्या स्थिति है ? प्रोजेक्ट एलीफेंट की क्या स्थिति है ? इसके ऊपर एक विचार करने की पूरी परम्परा है। इस प्रदेश में कितने टाईगर बचे ? इस प्रदेश में किस-किस परियोजना में कितने टाईगर हैं ? यह टाईगर कहां से आ रहे हैं ? उनका कब सेंसेस किया गया है ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओ समय विदेश ले कोनो पार्क में चीता आए रिहिस। ओ के ठन बाचे हे, हम ला ओकर जवाब चाही। पूरा देश ओकर जवाब मांगत हे।

श्री सौरभ सिंह :- राठिया जी, तोर इहां हाथी कइसे आतंक करत हे ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- मोर इहां प्रस्ताव पास हे।

संसदीय सचिव,महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- मध्यप्रदेश में कोनो के आत्मा भटक-भटक कर इधर आएगी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगली भैंसा का क्या हुआ, फिर फॉरेस्ट पर चर्चा हो जाएगी। प्रोजेक्ट एलीफेंट के लिए 3200 रूपये, मैं फिगर्स में नहीं जा रहा हूँ जो प्रोजेक्ट एलीफेंट का केन्द्र सरकार, राज्य सरकार से पैसा आ रहा है मैं माननीय अकबर भाई से निवेदन करूंगा कि आप लनताना उन्मूलन मत करवाईये। उसको सही जगह पर खर्च करवाईये। उसको सही जगह पर खर्च करवाने लिए आप सक्षम हैं। वह सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा है। वह नीचे के जितने लोग हैं वह सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अकबर भाई, आपके ऊपर सरकार का पूरा बोझ है। आप दौरा करते नहीं है। आप जंगल जाते नहीं हैं। एक बार कवर्धा गये और कवर्धा से आ गये। आपने भोरम देव देख लिया। आप सीतानदी को जाकर देखिए। अगर हरिभूमि समाचार पत्र में छप रहा है। आप एक बार सीतानदी जाईये ...।

संसदीय सचिव,स्कूल शिक्षा मंत्री से संबद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट में सेकण्ड आई से पूरा दिख रहा है। 40 सालों के पहले जंगल को वन विभाब बता देता है कि यहां पर जंगल है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जाकर देखिए कि सच क्या है ? यह सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है ? आप इन अधिकारियों के भरोसे मत रहिए। यह अधिकारी सर्वस्व बर्बाद कर देंगे। आप जाकर देखिए कि अचानकमार में क्या हो रहा है ? आप जाकर देखिए कि तमोरपिंगला में क्या हो रहा है ? यहां से 400 से 500 किलोमीटर दूर गुरू घासीदास में क्या हो रहा है ? यहां तो सब अच्छी चीज है। आपके सामने बहुत अच्छा पॉवर प्वाईंट प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आपको अधिकारी बहुत अच्छी-अच्छी चीज दिखा देंगे। सब नया-नया इक्वीप्यूमेंट आ गया। यह हो गया। साहब, अधिकारी तो वह है जो यहां आपसे गलत जानकारी पढ़वा देते हैं तो कृपापूर्वक आप इनसे दूर रहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उमेश भईया, 17 ट्रेनिंग स्कील का कुछ पैसा आया है। मैं दो चीजें बोलना चाहूंगा। पिछली बार मैंने विधान सभा में स्कील डेवलपमेंट में एक सवाल उठाया था कि उसमें डी.एम.एफ. मद का 17 करोड़ रूपये दिया गया। इन्होंने यहां से एक चिट्ठी भी लिखी। उसके लिए टीम भी गई, पर वह टीम खोज रही है कि 9 हजार आदमी जिनको स्कील डेवलपमेंट किया गया, उसमें से 2 हजार से ज्यादा आदमी मिल नहीं रहे हैं। यह आप भी जान रहे हैं। वह दो हजार आदमी मिले ही नहीं। एक जिले के डी.एम.एफ. मद से 17 करोड़ रूपये का स्कील डेवलपमेंट हो गया। अगर पूरे जिले के डी.एम.एफ. मद की बात करिये तो वह स्कील डेवलपमेंट कहां पर हुआ ? उसमें 9 हजार के दो हजार आदमी मिलें। आपने उन दो हजार आदमियों को मोमबत्ती, मधुमक्खी बनाना सिखा दिया, पर एक चीज का आग्रह करूंगा कि इन 5 सालों में दुर्भाग्य है कि हम स्कील डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दुर्भाग्य है कि 05 साल में इंजीनियरिंग कॉलेज के चाहे शासकीय हों, प्राइवेट हों, आई.टी.आई. शासकीय हों या प्राइवेट हों, में आधे से ज्यादा सीटें भर नहीं रही हैं। सीट इसलिए नहीं भर रही हैं कि हम जो ट्रेड बच्चों को सीखा रहे हैं, उसकी नौकरी नहीं मिल रही है। न औद्योगीकरण हुआ और औद्योगीकरण नहीं हुआ तो नौकरी नहीं मिली।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- सौरभ सिंह जी, अभी टाटा टेक्नालॉजी के साथ हमारा एम.ओ.यू. हुआ है, आप जान रहे होंगे। उसी इन्फ्रास्ट्रक्चर को, उसी नये ट्रेड को लाने के लिए 21 आई.टी.आई. के लिए हम लोगों ने एम.ओ.यू. किया है। बहुत जल्दी उसमें भी कुछ improvement आयेगा।

श्री सौरभ सिंह :- उसमें improvement आ जाये। शालाओं की मरम्मत के संबंध में कहना चाहता हूं कि सभी लोगों के क्षेत्र में आया कि यहां पर शाला की मरम्मत होगी, आपकी शालाओं की मरम्मत के लिए इतना पैसा स्वीकृत हो गया, संकुल प्रभारी को यह मिल गया, लिपाई, पुताई हो गई। माननीय

उपाध्यक्ष महोदय, सामने में लिपाई हुई है, पीछे में लिपाई ही नहीं हुई है। वह पैसा फिर डकार दिये। जो ठेका चालू हुआ, पहले यह लड़ाई हुई कि सरपंच ठेकेदार होगा या आर.ई.एस. ठेकेदार होगा। फिर यह तय हुआ कि आर.ई.एस. ठेकेदार होगा। आर.ई.एस. के ठेके में फिर वह घूमकर माफिया ठेकेदार बन गया। आधे जगह में काम रहा है, आधे जगह में गुणवत्ताविहीन काम हो रहा है। सरकार के पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। आई.पी.डी.एस. (Integrated Power Distribution System) में 12 हजार करोड़ रुपये आये हैं। प्रमोद भैया ने कांकेर जिले का उदाहरण दिया कि बिना बैंक गारंटी के टेंडर खुल गया। आज की परिस्थिति यह है कि वह 12 हजार करोड़ रुपये तो आ गये हैं लेकिन कोई स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है। आदरणीय राजा साहब से मैं निवेदन करूंगा, आचार संहिता लगने में कितने दिन बचे हैं, 70-72 दिन बचे होंगे। पिछली बार 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी। कितने दिन बचे हैं ? आज हम 19 तारीख में हैं, अगस्त और सितंबर को मिलाकर 75-76 दिन आचारसंहिता लगने के लिए बचे होंगे। आप 75-76 दिन के लिए ऊर्जा मंत्री बने हैं। आप 75-76 दिन के लिए कितना करेन्ट लगा पायेंगे और कितना डी.सी., ए.सी., एच.बी. क्या-क्या होता है, वह सब को सुधार पायेंगे। पर मेरा आपसे यह आग्रह है कि आपके रहते-रहते आई.पी.डी.एस. की योजना भ्रष्टाचार की भेट मत चढें। यह जो 10 प्रतिशत कमीशन की बात पान ठेले और चौक-चौराहे में हो रही है, यह आपके रहते-रहते पान ठेले और चौक-चौराहों में इसकी चर्चा मत हो। जो स्मार्ट मीटरिंग का ठेका हुआ है, वह स्मार्ट मीटरिंग का ठेका कम से कम रोल ऑउट तो हो जाये, स्मार्ट मीटरिंग का ठेका रोल ऑउट नहीं हो रहा है। जहां-जहां पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगने हैं, सब स्टेशन की capacity बढ़ानी है, लाईनों को चेंज करना है, मेरा आपसे आग्रह है कि केबल केपिसिटी के अंदर 10 एम.एम. का कोर है, उसके बदले 8 एम.एम. का कोर मत जाये। यह सारी बिजली की योजना उसी की भेंट चढती है। जो केबल यहां से सप्लाई होता है, उस केबल में टेंडर में 12 एम.एम. का कोर लिखा होता है और 8 एम.एम., 9 एम.एम., 10 एम.एम. का कोर अंदर जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं आपको एक चिट्ठी दूंगा। एक उदाहरण बता रहा हूं कि जो कोर है वह कोर गलत जायेगा तो capacity नहीं होगी, उसके कारण तार तो भ्रष्ट होगा ही होगा और तार भ्रष्ट होगा तो फिर आप उसका चेंज कैसे करेंगे। आज की तारीख में सारा maintenance किसमें है, ठेका पद्धति में है। बिजली की अवैध कटौती, अघोषित कटौती से पूरे छत्तीसगढ़ का ग्रामीण अंचल परेशान है। रात भर बिजली की कटौती हो रही है और कटौती का कारण maintenance ठेका पद्धति में है। ठेकेदार को 16 आदमी का भुगतान हो रहा है।

संसदीय सचिव, आदिम जाति विकास मंत्री से संबंद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- सौरभ भैया, यह कौन से समय में लागू हुआ था ? ठेका पद्धति कब से चालू हुई, यह बताईये न।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- रात भर कटौती नहीं हुई होगी, कोई फॉल्ट आ गया होगा, उसको बना रहे होंगे। रात भर कटौती कैसे होगी ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी भी बात बताता हूं। फॉल्ट हो गया। मैं उमेश भैया की बात मानता हूं कि फॉल्ट के कारण रात भर कटौती हुई। फॉल्ट को कौन बनायेगा ? उसको कर्मचारी बनायेगा। मैं वही कहानी बता रहा हूं। आपने जिसको ठेका दिया है वह 16 आदमी के बदले 7 आदमी भेज रहा है और 7 आदमी की ड्यूटी किस-किस समय पर हैं, उसको कृपापूर्वक चेक करवा लीजिए। वह 7 आदमी 2-3 घंटे सब-स्टेशन में रहते नहीं हैं, सब-स्टेशन में कोई टेलीफोन उठाता नहीं है। ट्रांसफार्मर नहीं हैं, ट्रांसफार्मर का तेल नहीं है, जंपर, केबल, नहीं है, वी.सी. जो सब-स्टेशन के अंदर capacity inhancer लगते हैं, जो वी.सी. लगता है जिससे बार-बार ट्रीपिंग को रोका जाता है, वह वी.सी. नहीं है। इस परिस्थिति में बिजली की व्यवस्था चलेगी। करोड़ों रूपए लीजिये। यह बजट किसके लिए है? यह बजट उस जनता के, उस अंतिम व्यक्ति के लिए है। वह रात के अंधेरे में मत सोयें, उसके लिए यह बजट पास हो रहा है। वह बजट नहीं है। RIPA (रूरल इंडस्ट्रियल पार्क) । राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि फूडपार्क बनेगा। आप उद्योग मंत्री हैं। आपने कहा कि सभी जगह फूडपार्क बनेगा। आपसे मेरा आग्रह है कि एक फूडपार्क तो दिखा दीजिये कि कहां पर फूडपार्क बना, किस विकासखंड में बना, कैसा फूडपार्क बना? वह RIPA में भी डी.एम.एफ. का पैसा लग रहा है। RIPA में भी सारा पैसा पंचायत का लग रहा है। RIPA भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, इन्होंने 15 साल में RIPA नहीं खोला। अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, यह बताईये?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कवासी जी, चीं-चा मत करिये। आप ओरिजिनल पीकअप लेने वाला माल सप्लाई कर रहे हैं, वह बहुत तकलीफ है। पीकअप नहीं ले रहे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- पीकअप नहीं ले रहे कह रहे हैं। इनको बहुत बड़ी शिकायत है।

श्री कवासी लखमा :- इनको बस्तर भेज देना। इधर-उधर मत बोलिये।

श्री सौरभ सिंह :- आपने सेस लगाकर पऊआ महंगा कर दिया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उसमें महंगा कर दिया और कोई सुनता नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- पऊआ महंगा करने के बाद जो पऊआ दे रहा है, वह पीकअप नहीं ले रहा है।

श्री कवासी लखमा :- इसको बस्तर भेज देना।

श्री सौरभ सिंह :- हम बस्तर नहीं जा सकते। वह पीकअप नहीं ले रहा है। उसकी एक समस्या हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, समाप्त करिये।

श्री सौरभ सिंह :- जी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह बतायें कि RIPA में क्या-क्या उत्पादन करते हैं? कहां-कहां पर उत्पादन हुआ?

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं RIPA में थोड़ी देर में बताऊंगा।

श्री सौरभ सिंह :- हाँ, बताबे-बताबे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी के लिए भी पैसा दिया गया है और यदि स्मार्ट सिटी का संचालन देखना है तो रायपुर में घूम कर देख ले, बिलासपुर में घूम कर देख ले। जब हम सब लोग रायपुर में एयरपोर्ट की तरफ, मौलश्री विहार की तरफ जाते हैं तो बिना ठेका हुए वहां डिवाइडर पर ब्यूटीफिकेशन हो जाता है। यह स्मार्ट सिटी के पैसे का उपयोग है। किसी को पता ही नहीं है जब शिकायत होती है । इसका ठेका कसको? रायपुर में काम पहले होता है और ठेका बाद में होता है। ठेका अपने लोगों को दिया जाता है। यही स्मार्ट सिटी का खेल है। आदरणीय पांडे जी बैठे हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में पूरे बिलासपुर शहर में नालियां बनीं। पहले बरसात में नालियां बह गईं। कोई हिसाब नहीं कि कहां का टाईल्स लाकर लगाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- पांडे जी क्या बतायेंगे। इनको तो कोई पूछता ही नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- पांडे जी की गलती नहीं है।

श्री धर्मजीत सिंह :- स्मार्ट सिटी में पांडे जी को कोई नहीं पूछता। वे बेचारे जनता के बीच में जाकर रोते हैं। इनका दोष मत दीजिये। इनको दोषी मत ठहराओ।

श्री सौरभ सिंह :- धर्मजीत भैया, पांडे जी गवाह हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- स्मार्ट सिटी में ऐसा-ऐसा जानवर का फोटो लगाए हैं कि वह जानवर wild life की पूरी किताब में नहीं है। वह कौन सा प्रकार का जानवर है, उसको रिसर्च करना पड़ेगा। वह न हाथी है, न भालू है, न घोड़ा हे, न चीता है, न जीराफ है। पता नहीं कौन सा जानवर हैं। पता करके बताईये।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनघोषणा-पत्र में बोला गया था कि चिटफंड कंपनी के निवेशकों को पैसा दिया जायेगा। चिटफंड कंपनी के निवेशकों को पैसा नहीं दिया गया क्योंकि न नीयत थी न नीति थी। अब तो कहानी खत्म हो जायेगी। 76 दिन, 77 दिन आचार संहिता के लिए है। उसके बाद तो सबको जनता के पास जाना है, लेकिन केन्द्र सरकार ने सहारा कंपनी के निवेशकों के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने एक पोर्टल लगाया है और उस पोर्टल में आप पारदर्शी ढंग से जा सकते हैं और आपको पैसा मिलेगा। यदि नीयत सही होती तो इसको करके दिखाते।

महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. रश्मि आशिष सिंह) :- वह राशि से.बी. ने सुरक्षित रखवाई थी। वह राशि से.बी. के द्वारा सुरक्षित थी।

श्री सौरभ सिंह :- आपने आवेदन लिया। वह आवेदन नहीं है। वह आवेदन फेंका गये। जो आपने चिटफंड कंपनियों के आवेदन लिये थे, वह चौक-चाराहों में फेंका गये।

श्री उमेश पटेल :- सौरभ जी, जो छत्तीसढ़ में थे, उसकी संपत्ति कुर्की हुई है और जिस संपत्ति से कुर्की हुई थी, वह लोगों में बंटा है। ठीक है। कुछ संपत्ति बाहर की है। आप मदद करिये। वहां से भी कुर्की कराईये। उसको भी हम यहां पर बांटेंगे।

श्री सौरभ सिंह :- हम बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन जो संपत्ति कुर्की हुई है, उसको कम रेट में अपने लोगों को मत बिकवाईये। यह भी आग्रह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो घटना कल विधान सभा के पास हुई है। जो लोग विधान सभा के पास आ रहे थे। 268 लोग थे। ऐसे जिनके प्रकरण थे। चाहे किसी भी सरकार के प्रकरण हो, लेकिन यदि गलत भर्ती हुई है तो गलत भर्ती के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और गलत भर्ती के लिए एक नजीर बननी चाहिए। उनका प्रोटेस्ट का क्या सिस्टम था? मैं एक चीज बता रहा हूं कि यह पूरे इंटरनेशल न्यूज बनी है। आदमी जब व्यथित होता है। वह कई बार रिप्रो टेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कई बार अगल-अलग फोरम में ट्राई किया है। वह व्यथा थी, उनकी पीड़ा थी, उनका दु:ख था । उसको व्यक्त करने का वह एक तरीका था । ऐसा ही एक प्रोटेस्ट जो इंटरनेशनल हेडलाइन्स दिया था, आज से 17 साल पहले हुआ था और भारत के इतिहास में यह दूसरा प्रोटेस्ट है । 17 साल पहले असम राईफल्स में मणिपुर में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था ।

उपाध्यक्ष महोदय :- 20 मिनट हो गये हैं, और कितना समय लेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में मणिपुर में असम राईफल्स में प्रोटेस्ट हुआ था और वह इंटरनेशनल न्यूज बनी थी । अभी जितने लोग यहां चर्चा कर रहे थे, जिस दिन टाईम मैग्जीन में, जिस दिन न्यूज वीक में, जिस दिन सी.एन.एम. में यह आयेगा न कि यह छत्तीसगढ़ है ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- जिस दिन बी.बी.सी. में गुजरात आता है उस दिन क्या करते हो ?

श्री सौरभ सिंह :- जिसमें आपके मुख्यमंत्री हैं, यह कांग्रेस की सरकार है और उस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विवश होकर यहां का युवक प्रोटेस्ट कर रहा है, यह लज्जाजनक बात है ।

श्री उमेश पटेल :- इंटरनेशनल मीडिया बी.बी.सी. में जब गुजरात के बारे में छपता है तो आप लोग क्या बोलते हैं ?

श्री सौरभ सिंह :- यह छत्तीसगढ़ के लिये लज्जाजनक बात है । यह कृत्य इस सरकार के कारण हुआ है जो साढ़े 4 साल में कोई निर्णय नहीं ले सकी । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री राजमन बेंजाम (चित्रकोट) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा इन तीन सूत्रों पर कार्य कर रही है । हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश का पहला रिपा (RIPA) केंद्र खोला है वह भी हमारे बस्तर में खोला है । उस रिपा केंद्र में आज के दिन में लगभग 500 से अधिक हमारे स्वसहायता समूह की महिलायें काम कर रही हैं । उस रिपा केंद्र में एक छोटी सी अगरबत्ती से लेकर साबुन, थैला,

चूड़ी, कंगन, डबलरोटी, चप्पल, सारी चीजें बन रही हैं और आज उस रिपा केंद्र में जो सामान पहले शहरों से गांव में जाता था । आज रिपा केंद्रों में वह सामान बनकर गांव से शहरों की ओर पिकअप भर-भरकर आ रहे हैं यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बेलटुकरी गांव में गये थे, उन्होंने रिपा का बढ़िया उद्घाटन किया और चकाचक था । आज पता नहीं उस बेलटुकरी गांव में रिपा का चल रहा है सिवाय सामान्य खरीदी के और कुछ नहीं हो रहा है । आप उसमें सुधार कर लीजिये । रिपा किसके हित में है ?

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय सदस्य जी, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बस्तर ले जाउंगा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उदाहरण दे रहा हूं ।

श्री राजमन बेंजाम :- आपको मेरे क्षेत्र में ले जाउंगा । ऐसे संवदेनशील क्षेत्र में ले जाउंगा जहां रिपा केंद्र संचालित हो रहे हैं । एक दिन में तैयार होता है उसके दूसरे दिन सुकमा जैसे जिला मुख्यालय में पिकअप भरकर जाता है, हमारे माननीय मंत्री जी ने उस रिपा केंद्र को देखा है तो हमारी सरकार ने इन रिपा केंद्रों के माध्यम से हमारी जो बेरोजगार महिलायें थीं, जो बेरोजगार युवक थे उन रिपा केंद्रों में हमारी सरकार ने रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारी सरकार ने बस्तर के आदिवासियों के लिये तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के लिये 2500 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये किया है । यह हमारे आदिवासी लोगों के लिये एक बहुत बड़ी राशि है, पहले तेंदूपत्ता तोड़ने वालों को चप्पल बांटते थे । मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाई चप्पल पहनकर तेंदूपत्ता तोड़ने नहीं जाते, चप्पल पहनकर तेंदूपत्ता के झाड़ में जंगल में नहीं चढ़ते । आज हमारी सरकार तेंदूपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों को नगद राशि भुगतान कर रही है, 1000 गड्डी का 4000 रूपये दे रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पूरे मंत्रिमण्डल को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, हमारी सरकार ने एक नयी क्रांति लायी है । महोदय, हमने कभी कल्पना भी नहीं किया था कि हमारे गांवों में जो कि संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां हमारे गांव और देहात के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ेंगे, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में 727 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूल खोले हैं, जिसमें 350 हमारे हिन्दी मीडियम के हैं और 377 स्कूल हमारे अंग्रेजी माध्यम के हैं। आज मुख्यमंत्री जी को मैं इसलिए धन्यवाद देता चाहूंता कि कभी हमारे बस्तर के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, लेकिन आज वहां के रहने वाले आदिवासी बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की है और आने वाले समय में अभी भर्ती प्रक्रिया के अधीन है। 12487 भर्ती अभी बस्तर और सरगुजा में करने वाले हैं और यह प्रक्रिया के अधीन है और बहुत जल्द ही हमारे प्रदेश में शिक्षकों की जो कमी है, उसकी पूर्ति हो जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक जनगणना सर्वे

करने का अधिकार हमारी केन्द्र शासन को है, लेकिन उन्होंने पिछले 10 वर्षों से वर्ष 2011 के बाद आज तक जनगणना का सर्वे नहीं किया, लेकिन मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आर्थिक जनगणना का सर्वे कराकर अभी प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार देने वाली है। इसके लिए बजट में 3 हजार 800 लाख रूपये रखे हैं। अभी हमारी सरकार का सर्वे पूरा हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव देहात में रहने वाले हैं, जिनके पास आवास नहीं है, गरीब हैं, मजदूर हैं, जो आज विवश होकर अपने ऊपर झिल्ली टांगकर सो रहे हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने इस बजट में प्रावधान किया है और बहुत जल्दी हमारे आदिवासियों को जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास बनाकर देगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबी मांग थी। उन्होंने कई हड़तालें की हैं, लेकिन पिछले 15 साल की जो [XX] सरकार थी, उसने उनकी मांगों पर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज हमारी सरकार ने 7 हजार 500 लाख रूपये का जो बजट रखा है और हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो छोटे-छोटे बच्चों की सेवा करते हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने 6 हजार 500 से बढ़ाकर 10 हजार रूपये हमारे कार्यकताओं के लिए मानदेय राशि देने की व्यवस्था की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सहायिकाएं हैं, जो भोजन पकाती हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने 3 हजार 500 रूपये से बढ़ाकर 5 हजार रूपये किया है। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं कि हमारी सरकार ने राजीव गांधी युवा मितान क्लब शुरू किया है। इस राजीव गांधी युवा मितान क्लब में हमारी सरकार ने 4 किश्तों में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में साल में 1 लाख रूपये देने का निर्णय लिया है और आज दे रही है। इस राजीव गांधी युवा मितान क्लब से जो हमारी संस्कृति है, जो वहां के रहने वाले आदिवासी हैं, जो वहां के रहने वाले गरीब हैं, चाहे हमारा देवगुड़ी है, उसके लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। ये हमारे आदिवासी की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देवगुड़ी बस्तर का जो मूल आस्था का केन्द्र है, प्रत्येक देवगुड़ी के लिए हमारी सरकार ने 5 लाख रूपये देने का काम किया है। हमारे बस्तर जिले के जो आदिवासी लोग हैं, वहां जो गांव में रहने वाले हैं, उसमें केवल आदिवासी ही नहीं हैं, उस गांव में जिस जाति के लोग रहते हैं, वह चाहे आदिवासी हो, कलार हो, चाहे मुरिया हो चाहे माडिया हो, चाहे धुरवा हो, सबमें देवगुड़ी के प्रति आस्था रहती है। देवगुड़ी हमारी आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र है। इस देवगुड़ी का संरक्षण और संवर्धन करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। इतना ही नहीं हमारा जो अबूझमाड़ है, वहां घोटुल प्रथा संचालित है , जो पूर्वजों से चली आ रही है । उस घोटुल प्रथा के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक घोटुल के लिए 10 लाख देने का काम किया है । यह हमारे पुरखों की संस्कृति का संवर्धन है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी अभी जल जीवन मिशन की बात कर रहे थे । जल जीवन मिशन के लिए हमारी सरकार ने 1100 लाख रूपए का प्रावधान

किया है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे गांव देहात के लोग देश आजाद होने के बाद आज 75 साल से ऊपर हो गए लेकिन आज भी वे नाले और झिरिया का पानी पीने के लिए मजबूर थे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आज वहां जल जीवन मिशन के तहत पाईप लाईन बिछाकर प्रत्येक घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त करें ।

श्री राजमन बेंजाम :- उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शुरू किया है, मुझे थोड़ा समय दीजिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत पिछले 15 सालों में जर्जर हो चुके स्कूलों की मरम्मत का काम किया गया है । इस योजना के तहत 30 हजार स्कूलों की मरम्मत की गई है । 1 हजार करोड़ से भी अधिक की राशि से स्कूलों की मरम्मत का काम किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं जहां स्कूल भवन जर्जर हैं वहां नय भवन भी बनाए जा रहे हैं । जहां मरम्मत योग्य हैं वहां उस भवन को नये भवन के रूप में परिवर्तित किया गया है । मैं विपक्ष के साथियों को बस्तर ले जाना चाहता हूं । वहां स्कूल जतन योजना का स्वरूप दिखाएंगे । वहां पूरे स्कूल नये जैसे लग रहे हैं । पहले जहां टाइल्स नहीं लगे थे, उन स्कूलों में आज टाइल्स लग गए हैं । यह हमारी सरकार की उपलब्धि है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे थे । इसके लिए अनुपूरक बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । जो बस्तर के बेरोजगार थे । विपक्ष के घोषणा पत्र में भी था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन इन्होंने 15 सालों तक बेरोजगार युवकों को ठगा है । इन्होंने 15 साल बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया । लेकिन हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रही है, इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मैं सभी साथियों से चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया जाए । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की मांग है इसके पूरा हो जाने से कोंडागांव तक के लोगों की जरूरत पूरी होगी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपको उम्मीद है कि आपकी मांग पूरी होगी ।

श्री राजमन बेंजाम :- बिल्कुल होगी साहब । मटनार बैराज जल परियोजना जो कि पूरे बस्तर जिले को प्रभावित करेगी । यह आपके बजट में 697 करोड़ का है, इसकी स्वीकृति दी जाए, इसलिए स्वीकृति दी जाए क्योंकि बस्तर में जल स्तर नीचे जा रहा है । इस बैराज के बनने से बस्तर जिला ही नहीं, बल्कि कोंडागांव जिला भी सिंचित होगा, दंतेवाड़ा जिला भी सिंचित होगा । इस बैराज के बनने से किसी की जमीन नहीं डूब रही है और न ही वहां कोई विरोध होगा । इसलिए मटनार बैराज की स्वीकृति दी जाए । कृषि के क्षेत्र करेकोट स्टापडेम निर्माण, यह भी 22 करोड़ का है इसको भी प्रशासकीय स्वीकृति मिल जाए । उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री बृहस्पत सिंह :- डॉ. साहब जो बोलेंगे सच बोलेंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- सच के सिवाय सच ही बोलूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का अनुपूरक बजट लगभग 6 हजार करोड़ रूपये का है। इस 6 हजार करोड़ में जिसकी महती योजना बना रहे हैं, वह आत्मानंद स्कूल केवल सरकार की वाहवाही बजाने का एक केन्द्र बन गया है। इस केन्द्र में मैं नामजद सहित बताता हूं, जिन आत्मानंद स्कूलों को चालू करने का, एक सपने दिखाने का काम किया गया, उसमें सिवाय सामग्री खरीदी के अलावा कोई काम नहीं किया गया और उन स्कूलों में अब तब शिक्षक नहीं हैं। शिक्षक नही होने के कारण स्कूल प्रारंभ नहीं हो पाया। 1 जुलाई को प्रांरभ हो जाना चाहिए था, वह अब चालू नहीं हो पाया है। ग्राम पचपेड़ी का स्कूल प्रांरभ नहीं पाया, आप उनका भविष्य सोच लीजिए। आप इस तरह से आत्मानंद स्कूल खोल रहे हैं, आप आत्मा की आत्मा को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप उन स्कूलों में शिक्षकों का कोई प्रावधान नहीं कर पा रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है, कैसी कल्पना है, यह केवल असत्य वाहवाही के लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय बिजली से संबंधित है। माननीय मंत्री जी, अब वह 65 के.वी.ए. का जमाना गया, आप स्टैंडिंग आर्डर लीजिए और उसको कम से कम 100 के.वी.ए को बनाने का फैसला कर लीजिए। अभी भी 65 के.वी.ए. का चल रहा है और किसान परेशान हैं। अब जब बिजली के ट्रांसफार्मर की बात आती है तो बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी बड़े एक्सपर्ट हैं, गांव में चंदा करवाते हैं, तब वहां ट्रांसफार्मर गाड़ी घोड़े में पहुंचायेंगे। यह एक नयी परंपरा है। इस साल माननीय उप मुख्यमंत्री जी का नया प्रभार प्रारंभ हो रहा है। माननीय मंत्री जी, आप इसको दिखवाईए, इसमें बिजली विभाग का कोई उल्लेखनीय विषय नहीं है जिसमें हम गर्व करें कि इससे ग्रामीणों को फायदा होगा। यह केवल एक राजस्व बजट रह गया है जो तन्ख्वाह बांटने के अलावा इसमें कोई और ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, रोड के बारे में बात चल रही थी। छत्तीसगढ़ का जो रोड है, उसमें कई रोड ऐसे हैं कि मंत्री जी ने उस रोड को स्वीकृत किया है लेकिन उन स्वीकृत सड़कों को आज तक ए.ए. जारी नहीं किया गया। वह ज्यों का त्यों पड़ा है। जैसे अजय चंद्राकर जी थरहा की बात कर रहे थे, आईए मैं फ्री में थरहा देता हूं, यह वैसे ही है। एक गांव है, वह कांग्रेसी गांव है, जो बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस को वोट देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां चर्चा करने के लिए गये थे और वे लोग अपनी बातचीत को रख नहीं पाए, उनको मौका नहीं दे पाए। वह सोन-सुनसरी बसंतपुर का रोड है, आज उस रोड में इतने गढ्ढे हैं कि आप उसमें मछली डालेंगे तो थरहा के साथ उसमें मछली भी चला जाएगा। यह स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने से उन सड़कों की मांग करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उनका ही गांव है। वे उनको ईमानदारी से वोट देते हैं। उनको सुध करनी चाहिए। अब इतनी मांग करने के बाद भी स्वीकृत नहीं करेंगे तो यह दुर्भाग्य का विषय है। अब आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब गौठान की बात करते हैं। गौठान आज एक महती योजना है। गौठान कम है, यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर उसकी ठीक से जांच की जाएगी तो लालू प्रसाद यादव जी के चारा घोटाला से कम नहीं होगा। आप इससे अंदाज लगा लीजिएगा। गांव का जो विकास है, हर स्कीम से गांव के विकास का जो पैसा है, उसका उपयोग कनर्वेजेंस करके किया गया। गांव में विकास के लिए किसी भी गांव के सरपंचों को पैसा नहीं दिया गया। अगर विकास हुआ है तो 15वें वित्त के पैसा से हुआ है, डी.एम.एफ. फंड से हुआ है और अन्य निधियों से हुआ है लेकिन सरकार के द्वारा समग्र विकास का पैसा नहीं दिया गया है। पंचायत के लोग परेशान है और जिस तरीके से पंचायत प्रतिनिधियों का जनप्रतिनिधियों के साथ जनपदों में खेल खेला जा रहा है, उनके साथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार का दबाव बनाकर काम किया जा रहा है, वह बहुत निंदनीय है। उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। दूसरा, जल जीवन मिशन योजना है। लोगों ने सपना देखा कि घर-घर पानी आएगा। उसमें हजारों करोड़ रूपये का खेला हुआ। उसमें कई लोग ससपेण्ड हुए। आप सब जनप्रतिनिधि हैं। आज ठेकेदार जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि ठेकेदार आता है और आपके बनाये हुए सी.सी. रोड को बेदर्दी से खोदता है। खोदने के बाद बिछाता है। टेस्टिंग के नाम पर वह यह कर रहा है और आज तक वह चालू नहीं हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र या पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ठेकेदार खेला कर रहे हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम उनको 1 हजार करोड़ रूपये का बजट दे रहे हैं तो 1 हजार करोड़ रूपये का बजट देने के बाद हमको यह अधिकार है या नहीं है कि कम से कम हम 10 लीटर पानी पीये। आज तक इस योजना के माध्यम से पानी देना प्रांरभ नहीं किया है। आप इस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका सुपरविजन कौन कर रहा है? छत्तीसगढ़ के साथ खेला खेलने के अलावा यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। अनुसूचित जाति वर्ग की जो उपयोजना है, उसके अधिकार का जो पैसा है, उन पैसों से हॉस्टल की संख्या बनाये हैं। गर्ल्स पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बढ़ायी। पी.जी. स्टूडेण्ट के लिए हॉस्टल की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बढ़ायी। आप उसके 12 हजार करोड़ रूपये का उपयोग करते हैं। इस बजट में भी उसके लिए प्रावधान है लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। आप अनुसूचित जाति के संरक्षण के नाम पर भी धोखा देने का काम करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी की बात है।

श्री मोहन मरकाम :- डॉ. साहब, आपने 15 साल तक जनता को धोखा दिया, इसलिए आप 14 सीटों में ही सिमट गये। हम जनता को धोखा नहीं देंगे। हम अगली बार पुन: सरकार बनाएंगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मरकाम जी, आप तो स्वयं ही बहुत बड़ा धोखा खाये हुए आदमी हैं। अब तो भगवान ही मालिक है कि आपकी यह मुस्कुराहट कितने दिनों तक रहेगी।

श्री मोहन मरकाम :- अगले 5 साल तक रहेगी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या इस बात की पक्की गारंटी है या आपके साथ बहुत बड़ा खेला हो रहा है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग की बात है। छत्तीसगढ़ एक अच्छा प्राकृतिक पर्यटन स्थान है। दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन स्थल का विकास होगा। लेकिन आपने इसके लिए कितने पूंजीगत बजट का प्रावधान किया है? आप शून्य बताएंगे कि इसमें कोई पैसा नहीं है। आपका ऐसा नजरिया ही नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को विकसित करें। छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की बातचीत करते हैं। कई फैकल्टी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सीपत गये थे और सीपत के विद्यार्थियों ने कॉमर्स के लिए उनसे बातचीत की कि कॉमर्स की फैकल्टी खुलनी चाहिए, लेकिन कोई फैकल्टी नहीं खुल रही है। आपने केवल बजट में करीब 12 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, उनका सम्मान करते हुए उनकी मांग के अनुसार भी फैकल्टी की व्यवस्था कर देते तो फैकल्टी डेव्हलप हो जाता। लेकिन आपने उसके लिए शून्य बजट रखा है। आपका पूंजीगत बजट कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग की बात है। पंचायत विभाग में मैंने ही यहां पर एक प्रश्न पूछा था कि आपने पंचायत विभाग की किस-किस योजना से कितने पैसे से ग्राम पंचायतों का विकास किया? तो एक ही उत्तर आया कि मनरेगा के पैसे से विकास हुआ, 15वें वित्त के पैसे से विकास हुआ और समग्र विकास से कोई पैसा नहीं मिला। 5 साल में पहली बार मुझे विधान सभा में केवल 85 लाख रूपये मिले। अब सरकार ऐसी नजर से देखेगी कि यह भा.ज.पा. का है, यह कांग्रेस का है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- बांधी जी, आप याद कीजिए कि विधायक निधि के एक करोड़ रूपये में काम चलता था, अब विधायक निधि 4 करोड़ रूपये हो गयी। हमको याद है कि उसमें भी आप लोग काट लेते थे और 75 लाख रूपये ही देते थे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने कितने बार लिया है, माननीय सदस्य यही बता दीजिए । सबने एक ही बार लिया है, दोबारा में तो कट गया । एक ही बार मिला है और आप कहते हैं कि हमने 4 करोड़ रूपए पूरे 5 साल दिया है । यह भी धोखा है । आपको कितनी बार मिला है ? आपको 4 करोड़ रूपए तीन साल मिला है ? कितना असत्य कथन कह रहे हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप समाप्त करें ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, इक्यूपमेंट खरीदने का काम किया गया है, लेकिन आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम वाले लड़के हैं, वे ही पीएचसी चला रहे हैं, कहीं सीएचसी में भी उन्हीं लोग चला रहे हैं । आप लोग आजतक भर्ती नहीं कर सके । विभाग का पूरा इंटरेस्ट इक्यूपमेंट खरीदने में रहा है और उसका

उपयोग करने में कतई इंटरेस्ट नहीं है, पर आज भी उस इक्यूपमेंट का इंस्टालेशन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है । यह स्वास्थ्य विभाग का काम है और हम केवल खरीदी में ध्यान दे रहे हैं, स्टाफ के जनरेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं । यह बड़ा दुर्भाग्य है । माननीय मंत्री जी कभी सुपरविजन नहीं करते हैं, स्वास्थ्य विभाग में सुपरविजन करना आवश्यक है और वे सुपरविजन नहीं करते और केवल खरीदी का काम करवा रहे हैं । इसलिए स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यह है कि पूरी ओपीडी खतम हो गई है, मृत्यु दर बढ़ गया है, जन्म दर भी बहुत बढ़ गयी है और नेशनल इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है । माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर 6031 करोड़, 75 लाख, 2970 रूपए की अनुपूरक राशि दी जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहने में खुशी है और पूरे प्रदेशवासियों को खुशी है और गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि पिछले पौने पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने विकास की ऊचाईयों को छुआ है, अनेक कीर्तिमान गढ़े हैं और हिन्दुस्तान के मानचित्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है । भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन के बाद प्रदेशवासियों ने बहुत विश्वास से सत्ता की बागडोर कांग्रेस को सौंपी, उसके मुखिया भूपेश बघेल जी बने और बनने के बाद राज्य के बजट में से एक-एक पाई का उपयोग उन्होंने जन कल्याण के लिए किया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात को महसूस कर सकते हैं और हमारे सभी सदस्य इस बात को महसूस कर सकते हैं कि बीते पौने पांच वर्षों में किसानों की कर्ज माफी हुई । हिन्दुस्तान के इतिहास में भूपेश जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने शपथ लेने के बाद 3 घंटे में ही किसानों का कर्ज माफ किया । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी उस समय विधान सभा में सदस्य था, आप भी सदस्य थे और हम लोग इस बात को लगातार उठाया करते थे कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान कर्ज से लदे हुए हैं और अनेक स्थानों पर लगभग 4 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं । उसको संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो कर्ज माफ किया, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया और आज प्रति एकढ़ 20 क्विंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं, यह भी अपने आप में कीर्तिमान है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीते इन पौने पांच वर्षो में किसानों की कर्ज माफी हुई । पशु पालकों के लिए गोधन न्याय योजना बनी, धनवंतरी दवाई की दुकान खुली। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इतने सस्ते में दवाई मिलेगी । मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में कहना चाहता हूं । अभी मुख्यमंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र दुर्ग में आये थे तो उन्होंने जिस स्कूल का उद्घाटन किया, वहां हम सोच नहीं

सकते थे कि वहां के बच्चे, जैसा कि अभी बृहस्पत सिंह जी कह रहे थे कि वहां के बच्चे इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे । हम लोग तो हिन्दी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ी है। लेकिन ये बच्चे शुरूआत से ही अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो आप यह मानकर चलिये कि इनका भविष्य कितना मजबूत होगा। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी-मार्ट और महतारी दुलार योजना, इन योजनाओं को भी इन पांच वर्षों में सम्मिलित किया गया। युवा लोग बेरोजगारी में भटक रहे थे। आज ऐसे बहुत से युवा हैं, जो आई.ए.एस. बनना चाहते हैं, आई.पी.एस. बनना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्होंने उनके लिए 2500 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो सुना करते थे कि यह राशि मिलेगी, लेकिन वह राशि नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं का उपयोग केवल जिन्दाबाद, मुर्दाबाद के नारे के लिए किया। केवल युवाओं का शोषण किया है। मैं यह बात दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं कि मैंने भी चुनाव लड़ा है, बहुत से चुनाव लड़ा हूं, मैं युवाओं के साथ रहा हूं। मैं युवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं युवक कांग्रेस का भी अध्यक्ष रहा हूं। तो मैं युवाओं की भावनाओं को समझता हूं। जो सही मायने में उसका साथ देता है, वे उन्हीं के साथ होते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी दाई-दीदी क्लिीनिक बहुत अच्छी योजना है। यह क्लिीनिक हर वार्ड में जा रही है। वहां सभी महिला चिकित्सक हैं। उसका पूरा स्टाफ महिला है। हर वार्ड में हमर क्लिीनिक की घोषणा हुई, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी और टी.एस.बाबा को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में यह कार्य किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ, जहां उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी विकास के बहुत से कार्य सम्पादित हुए हैं। मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहा करता था, यहां से मांग किया करता था कि माननीय डॉ. रमन सिंह जी, आप रायपुर और राजनांदगांव के विकास के लिए ध्यान तो दे रहे हैं, बीच में दुर्ग है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, आप वहां पर भी राशि दीजिये। उस समय तो मुझे राशि नहीं मिली थी, तब भूपेश बघेल जी ने कहा कि आप इंतजार कीजिये, हमारी सरकार आयेगी तो आप जितना पैसा बोलेंगे, हम उतना पैसा देंगे। दुर्ग क्षेत्र में लगभग 4 सौ करोड़ रूपये काम हुए हैं। अभी हमने रिवर फ्रंट और शिवनाथ नदी में लक्ष्मण झूला का भी प्रावधान रखवाया है, जिसकी स्वीकृति मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप मांग रख लीजिये, बाकी समाप्त करें।

श्री अरूण वोरा :- मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत कम शब्दों में बोला हूं। बाकी सारी बातें आ गई है कि उसमें किन-किन बातों का प्रावधान रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक अनुमान अनुदान की मांग की राशि छः हजार इकतीस करोड़, पचहत्तर लाख, दो हजार, नौ सौ सतहत्तर रूपये की राशि दी जाये, मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की उनकी संकल्पना है, वह हमारे मुख्यमंत्री जी को, छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरो से अलग करता है। अपना एक अस्तित्व बनाने में, लाने से जो एक पहचान हुई है, मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देती हूं। साथ ही एक बात रखना चाहती हूं कि - " आपने प्यार से मारा था जो पत्थर मुझको,

हो गया फूल में तब्दील वह लगकर मझको। " (मेजों की थपथपाहट)

एक माननीय सदस्य :- फिर से।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- " आपने प्यार से मारा था जो पत्थर मुझको,

हो गया फूल में तब्दील वह लगकर मझको। " (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- ओ हा बेशरम फूल होही दीदी, बने देखबे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- गुलाब हे गुलाब। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आज सुबह से विधानसभा में जो चर्चा चल रही है, उसमें लगातार बाते चल रहीं थीं उसमें आपने खुद देखा है और पूरे विधानसभा क्या पूरे छत्तीसगढ़ राज्य ने देखा है कि क्या-क्या बातें रखी गई हैं, क्या-क्या लांछन लगाये हैं, जबकि मेरा यह कहना है कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना थी, आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का कल्चर, भौंरा बाटी है, उससे पहचान बनेगा । उपाध्यक्ष महोदय, आज इनको परेशानी होती है, गौठान की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि गौठान में यह भ्रष्ट्राचार हो रहा है, इन्होंने सिर्फ तीन दिन तक वहां पर दौरा किया था । तीन दिन बाद उनको कुछ नहीं मिला और गांव वालों की इनको सुननी भी पड़ी और गांव वालों ने इनको बाहर भी निकाला । गौठान से इनको खदेड़कर बाहर निकाला है । आपके लिये यह बहुत शर्म की बात है कि आप भ्रष्ट्राचार निकालने के लिये गांव के गौठान में घुसे और गांव वाले ने आपको बाहर खदेड़ दिया। आज हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हर व्यक्ति सुखी और संपन्न है । चाहे आदिवासी भाईयों की बात करें, युवा भाईयों की बात करें, किसी और वर्ग की बात करें, उपाध्यक्ष महोदय जी हमारी महिलायें इतनी संपन्न है कि आज जो घटना के बारे में बात किये हैं, उसका घोर निंदा की हूँ और घोर विरोध करती हूँ । यदि किसी व्यक्ति को

विरोध करना होता है, उसका सही मायने में विरोध करना चाहिये, न कि महिलाओं को (X X) [20] महसूस हो, ऐसा काम करना चाहिये ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- दीदी, एक मिनट बस । आपने जो बोला है, उसको जवाब देने के लिये खड़ी हूँ । आपने बोला कि महिलाओं की निंदा करने की बात है, आपकी शर्म तब कहां जाती है, जब हमारे ही समाज के बच्चों और हक तथा अधिकारों का हनन किया जाता है । उस समय आपको शर्म आनी चाहिये कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर हमारे समाज के युवाओं के अधिकार का हनन किया जाता है । उस समय हमें (X X) आनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप लोग आपस में बात मत करिये ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- उनके लिये आंदोलन करते हैं तो हमें (X X) नहीं आनी चाहिये, बल्कि उसका सपोर्ट हमें करने चाहिये ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो कार्य किया है, आज आत्मानंद स्कूल में हर वर्ग के बच्चे, चाहे वह हमारे घर की काम करने वाली बाई हो, हमारे उद्योगपति के बच्चे भी वहां पर पड़ रहे हैं, हमारी सरकार ने समानता का अधिकार दिया है । सभी को समान रूप में देखा है कि हम सब को कैसे समान रूप में रखें । उपाध्यक्ष महोदय, जो गरीब तबके के लोग हैं, ग्रामीण तबके के लोग हैं, उनके लिये भूमिहीन किसान योजना लाये, उनके पास एक एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन उनकी आवक बढ़ी है । हर वर्ग के चेहरे में खुशहाली है, खासकर किसान लोगों के चेहरे में खुशहाली है । उपाध्यक्ष महोदय, किसान भाई लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, आज भी अगर हम गांव में जाते हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम गांव में जाते हैं, गांव की सभा में सबसे पहली बात बोलते हैं कि तुमन हा गैस सिलिंडर के भाव ला बढ़ा देव । उपाध्यक्ष महोदय, बेचारे गरीब लोगों को एक-एक व्यक्ति को यह पता नहीं रहता है कि राज्य शासन...।

श्रीमती इंदू बंजारे :- संगीता दीदी, आप घोषणा पत्र में यह बोले थे कि एक साल में ग्रामीणों को चार सिलेंडर, आप दिये क्या ? कब देंगे, मुख्यमंत्री जी से आज घोषणा करवा दीजिए । एक साल में चार सिलेण्डर । आप देने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दीजिए । अभी बोलें ?

डॉ.रश्मि आशीष सिंह :- गैय्या के लिये भी ग्रामीण लोग रास्ता देख रहे हैं ?

श्रीमती इंदू बंजारे :- आप बताईये कि चार सिलिण्डर ग्रामीणों को कब देंगे ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने उज्जवला योजना जारी किया । उज्जवला योजना से बोले कि गरीब लोगों की महिलायें अब चूल्हा गैस से जलायेंगे । उन लोगों को आदी

[20] (X X) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

बना दिये । जैसे अंग्रेज शासनकाल में हम लोगों को चाय का आदि बनाये हैं । वैसे ही उन्होंने आदि बनाया और सिलेण्डर का रेट बढ़ा दिया ।

श्रीमती इंदू बंजारे :- आप चार सिलेण्डर दे देते तो चूल्हा जलाने की नौबत नहीं आती । गोबर को वहां बेचना ।

डॉ.विमल जायसवाल :- जर्सी गाय कहां गया ?

श्रीमती इंदू बंजारे :-गोबर में आ रही हूँ ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- रंजना मैडम, रतन जोत का क्या हुआ ? अरबों रूपया का क्या हुआ ? अरबों रूपया का घोटाला ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- लक्ष्मी दीदी, एक मिनट। पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज जी जब कुछ टिप्पणी कर रही थी तो लालू जी ने भी एक टिप्पणी की थी और बोला था कि एक खूबसूरत महिला को दूसरी खूबसूरत महिला बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने गरीबों को सिलेण्डर का आदि बनाया, उसके बाद तुरंत उसका रेट बढ़ा दिया ताकि गांव के लोग सिलेण्डर लेने के लिये मजबूर हो जाये। वे बेचारे इतने छोटे लोग होते हैं कि वे सिर्फ खेती का काम करते हैं। उनके पास इतना knowledge नहीं होता कि यह योजना का लाभ उन्हें केन्द्र शासन दे रही है या राज्य शासन दे रही है। हम उनको बताते हैं कि यह हमने नहीं किया। हमने तो आपका कर्जा माफ किया है, आपको समर्थन मूल्य दिया है, बिजली बिल हॉफ किया है, भूमिहीन किसान योजना दी है और हाट बाजार क्लीनिक की सुविधा दी है, जो गांव की महिलाएं..।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये समाप्त करिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कुछ देर मांगना चाहती हूं। गांव की महिलाएं जो गांव के बाजार में जाती है, तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी की हाट बाजार क्लीनिक योजना है, उसमें उनको लाभ मिल रहा है। मैं साथ में गौठान की बात करूंगी, मेरे ख्याल से जब से पांचवी छत्तीसगढ़ विधान सभा शुरू हुई है, उसमें यदि सबसे ज्यादा चर्चा हुई है तो वह गोबर के विषय में हुई है। आप लोग भी इससे सहमत होंगे। हमारे मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल जी ने जो योजना लागू की, जिससे छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो गोबर खरीदी का कार्य करता है। आप अन्य राज्यों में पता कीजिये, वहां यह योजना नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)। आज तक गोबर खरीदी कहीं हुई ही नहीं है और आज गोबर से पेंट बन रहा है। आप सभी प्रशासनिक कार्यालयों में जाकर देखेंगे, कलेक्ट्रेट में देखेंगे कि वहां पर गोबर पेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी जो सरकार है वह आम नागरिक को, किसान भाइयों को और

महिलाओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है तो इनको [xx][21] लग रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुखिया जी ने जो प्रथम अनुपूरक की मांग की है मैं उसका जरूर समर्थन करती हूं और हम सभी का समर्थन है। इसके साथ ही आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देती हूं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम अनुपूरक के अनुदान मांग और इन्होंने विनियोग के माध्यम से जो राशि मांगी है कि 06 हजार 31 करोड़ 75 लाख 02 हजार 970 रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाबा साहब, आप वहां पर चले जाईये। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है तो उप मुख्यमंत्री जी दायित्व संभालेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विरोध करने का आशय यह है कि वर्ष 2020-21, 2022-23 के मूल बजट में, आम बजट में जितने प्रावधान किये गये थे, जिन-जिन मदों में प्रावधान किये गये थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और इस सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गयी ? क्या उनके निविदा हो गये ? क्या उनके काम प्रारंभ हो गये ? यह 2020-21 के आम बजट की स्थिति है। यह तो अनुपूरक है। आज तक इस सरकार की यह स्थिति है कि इन्होंने इस सदन से पैसा लिया, पारित कराया, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। अभी तक उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली, निविदा नहीं हुई, अभी तक उसका भूमिपूजन नहीं हुआ, लोकापर्ण तो कोसों दूर है। माननीय मुख्यमंत्री जी यह बता देंगे कि उन्होंने इस सदन से कितनी राशि ली और कितने का भूमिपूजन कर दिया, लोकापर्ण तो बहुत दूर की बात है। मैं वर्ष 2021-22 और 2022-23 के आम बजट की बात कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं बहुत कम बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आप भेंट मुलाकात में गये थे। वहां विधान सभाओं में गये, भ्रमण किये और रात में रूके। उन भेंट मुलाकातों में अलग-अलग संगठनों से भेंट किये और बहुत-सी घोषणाएं करके आ गये कि मैं यहां पुल बनवा दूंगा, पुलिया बनवा दूंगा, सड़क बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल बनवा दूंगा, इस समाज को इतना पैसा दे दूंगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- पैसा दिये हैं, आपके समाज को भी पैसा दिये हैं।

श्री नारायण चंदेल :- उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री जी यहां पर अपनी बात रखेंगे। पैसा देना अलग विषय है, क्या काम हुआ ? इस प्रदेश में किन विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ? यहां कितने कामों का भूमिपूजन हुआ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में भूमिपूजन हुआ है।

[xx][21] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में किन योजनाओं का भूमिपूजन हुआ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जितना काम हाथ में लिया, उन सब कामों का भूमिपूजन हो गया है। हमारे क्षेत्र में निर्माण कार्य चालू हो गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में सामाजिक भवन के लिए पैसा आ गया है।

श्री रामकुमार यादव :- हमर मुख्यमंत्री हा जो बात कहिथे तेला करथे। तें भोरहा में हावए। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- उन्होंने बलरामपुर जिले के लिए समय दे दिया।

श्री रामकुमार यादव :- जो कहा सो किया।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आप लोग शांत बैठ जाईये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में सामाजिक भवन के लिए पैसा आ गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं। आप लोग शांत बैठ जाईये। माननीय नेता जी, आप बोलिए। आप लोग बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पूरे प्रदेश की बात छोड़े, मेरे जिले में बता देंगे? मेरे जांजगीर-चांपा जिले में जिसकी घोषणा करके आएं हैं। वह बता देंगे कि उन्होंने कितने विकास कामों का भूमिपूजन किया।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में लोगों को मिल गया।

श्री रामकुमार यादव :- तुंहर मन जइसे जर्सी गाय देबो, अइसे कहवईया नो हरन।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला में 4 लाख पहुंच गे हे जहां-जहां योजना के कार्य के स्वीकृति होए हे। उहां-उहां पइसा पहुंच गे हे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने समाज के लिए पैसा दिया है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह अनुपूरक पर फिर से राशि दे रहे हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे चंदेल जी बहुत वरिष्ठ हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं मुख्यमंत्री जी ने...।

श्री नारायण चंदेल :- थोड़ा कले चुप रह न भाई।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, एक मिनट। अभी तक ए.सी. में बैठकर योजनाएं, घोषणाएं बनाईं जाती थीं। पहली बार है कि पेड़ के नीचे बैठकर घोषणाएं हुईं।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी आप बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेड़ के नीचे बैठकर घोषणा हुई और कार्यक्रम बना। पेड़ के नीचे जो घोषणाएं हुईं, वह काम पूरे हो गए। आप समय दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लोकार्पण के लिए समय नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- राठिया जी, आप लोग बैठिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिए। ऐसा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे छोटा सा आग्रह है कि इधर के एक दो सदस्यों को दुबारा बोलने का मौका दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- साहब, आप बोलिए।

श्री रामकुमार यादव :- आपमन तो फुल टाईम लेथो। हम तो पाबे नइ करत हन।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन आपके जैसे नहीं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल बात छत्तीसगढ़ की है। इस अनुपूरक बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जितने किसानों ने निजी, राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लिया है क्या आपने दो सालों के बोनस देने की बात कहीं, इसमें कहीं प्रावधान है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- वह आपका है ?

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता जी से केवल एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ अभी 20 क्विंटल धान का भाव कितना मिला है?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गिरदावरी में जिन किसानों का खेत कम हुआ है क्या फिर से उनका धान खरीदेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जो माननीय अमितेष शुक्ल जी ने कहा उसको प्रोसिडिंग में तीन बार उल्लेख किया जाए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस साल 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। आप धान बेचिए, चिंता मत करिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धान खरीदी दो हजार, 2100 रूपये में हुआ है।

श्री नारायण चंदेल :- ऐसा है कि वह तो जिसकी सरकार बनेगी, वह धान खरीदेगा। ठीक है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इस प्रदेश में फिर से हमारी सरकार बनेगी। शायद ही आप लोग रहने वाले हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- आप अपने घर को देखो।

श्री रामकुमार यादव :- एक तो तुंहर बने नहीं। अउ कभु कभार 50 साल में सरकार बन जही तेला तुमन 10 क्विंटल कर दूहू।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सरकार है यह केवल विज्ञापन की सरकार है। यह होर्डिंग्स की सरकार है । आप कहीं भी चले जाईये पूरे छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों में चले जाईये तो इस सरकार के बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। भूपेश है तो भरोसा है (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें भूपेश है तो भरोसा है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आपने कह दिया इतना काफी है।

श्री अरूण वोरा :- आपने स्वीकार कर लिया कि भूपेश है तो भरोसा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूँ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- भूपेश है तो भरोसा है

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, अभी सही बात ला बोलिस।

श्री अरूण वोरा :- और उस भरोसे की सरकार और भरोसा बरकरार है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आज मन के बात हा निकल गे।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, अभी सही बात ला बोलिस हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 साल और भरोसा रहेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अरूण जी, आपकी उम्र कितनी है ?

श्री अरूण वोरा :- मेरी उम्र 60 साल है। अब सच बता रहा हूँ। वैसे दिखने में तो मैं 54 का हूँ। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा था। उसमें लिखा है कि भूपेश है तो भरोसा है और भ्रष्टाचार को गांव-गांव में परोसा है। यह भूपेश की सरकार है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जो 15 सालों का भ्रष्टाचार है उसको उजागर किया है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा यह लिखवा देते।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तुंहर मन के बात ला कहहूं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन करईया मन नाराज रिहिस हे। जे बिचारा मन के एक ठन आंखी दिखे उहूं मन अंधरा हो जात रिहिस हे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, केवल एक निवेदन है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा होगा तो आप लोग ही बोलिए। नहीं, यह परम्परा उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- देखिये, एक बार खड़े होना समझ में आता है, बार-बार खड़े होना उचित नहीं है। उनका भाषण चलने दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलें। अगर सदन ऐसे चलेगा तो यह उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये। आप लोग थोड़ा शांत रहिये, ऐसे बार-बार मत खड़े होईये। अब बगैर मेरी अनुमति के कोई खड़ा नहीं होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है कि जब नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता बोलते हैं। कभी एकाध कोई खड़े हो जायें तो ठीक है, परंतु माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं और लगातार बार-बार इंट्रप्ट करना यह उचित नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलता है, क्षमा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैंने तो टोक दिया। अब कोई सदस्य बिना मेरी अनुमति के खड़े नहीं होंगे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार से टोका-टाकी होगी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेता जी बोलें तो जरूर सुनना चाहिए। लेकिन नेता जी क्या है कि आप खुद ही बोल दिये कि भूपेश है तो भरोसा है, करके चिल्लायेंगे ही। आप खुद ही नारा लगाना शुरू कर दिये।

श्री नारायण चंदेल :- वह सुन नहीं पाये, उनको श्रवण यंत्र दे दीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- उसकी जरूरत तो उधर है। आप लोग नेता जी को सुनिये। वह बढ़िया भाषण दे रहे हैं। आप ही का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग खड़े होते हैं। हमारे नेता जी को बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्दाकर :- अभी देखते हैं कि माननीय मुख्ममंत्री की बात का कितना प्रभाव पड़ता है।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, भरोसा बरकरार है और बरकरार रहेगा।

श्री नारायण चंदेल :- चलिये, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप बोलिये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा की उच्च परंपरायें हैं। प्रबोधन कार्यक्रम में भी यह सिखाया गया है कि जब सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष बोलें तो शायद मेरे को लगता है कि यह लोग प्रबोधन के समय अनुपस्थित थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोडी-बहुत

बात करना चाह रहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो पूरे देश में इस बात का प्रचार है कि यह कर्ज में डूबी हुई, कराह रही सरकार है जिससे विकास की कोई उम्मीद नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में बतायें कि उन्होंने कितना कर्ज लिया है, किस-किस मद के लिए कर्ज लिया है? कर्ज के ब्याज चुकाने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। यह मात्र 3 महीने की सरकार है, अच्छा होता कि छत्तीसगढ़ में वह एक श्वेत-पत्र जारी कर देते कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति ये है। ताकि प्रदेश की जनता उसको जानती की छत्तीसगढ़ की माली हालत ये है। आप सिर्फ होर्डिंग्स में दिखाते हैं, समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हैं। मुख्यमंत्री जी लज्जाजनक ये है कि आप 03 साल पहले नवागढ़ ब्लाक के अमोरा गांव के जिस गौठान में गये थे, आदर्श गौठान है। मैं जब अभी वहां के गौठान में गया तो वहां पर एक छोटा सा पोस्टर लगा था कि गौठान में गायों का प्रवेश वर्जित है। गायों का प्रवेश वर्जित है तो किसको रखेंगे ? इस प्रकार की तो आपकी योजनायें चल रही हैं। एक गौ-माता गौठान में नहीं है। नरवा, गरूआ, घुरूवा, बाड़ी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप किसी गौठान में चले जायें, हमारे सारे विधायक गये थे। गौठान में गौ-माताओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, चारा नहीं है, छाया नहीं है, उनके ईलाज की व्यवस्था नहीं है। आपने गौठान का निर्माण किसलिये किया है ? उसका प्रचार इतना कर रहे हैं। उसके पोस्टर दिल्ली में लगे हुए हैं, देश की मेट्रो सिटी में लगे हुए हैं। वह इस बात की खोज रहे हैं कि गौठान क्या है ? उसी में विज्ञापन न दे करके, आप अपनी फोटो न छपवा करके वहां चारे की व्यवस्था कर देते तो गौ-मातायें बच जातीं। आप अपने उत्तर में बतायेंगे कि जितनी गौ-माताओं की मौत इस सरकार में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रही है। आज गौ-मातायें सड़कों पर हैं। हम बिलासपुर-जांजगीर जाते हैं तो एक हजार से ज्यादा गौ-मातायें सड़कों पर हैं। आप किसी दूसरे प्रदेश में चले जाईये, वहां गौ-मातायें सड़कों पर दिखाई नहीं देती। वहां भी तो सरकारें हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अपने भाषण में एक चीज जोड़ लीजिए। बछरू अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर है, मस्कट।

श्री नारायण चंदेल :- इन सारी बातों को यह सरकार सुधार नहीं पा रही है। किस बात के लिए हम पैसा दें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. मद का पैसा, जितने उद्योग लगे हुए हैं, आप-पास के गांवों में खर्च होना चाहिए, बुनियादी समस्याओं के लिए खर्च होना चाहिए। चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो। सी.एस.आर. मद का पैसा कहां जाता है? कभी इन्होंने उद्योगपतियों के साथ बैठकर बात-चीत की है? क्या आसपास के जो प्रभावित इलाके हैं।

एक माननीय सदस्य :- दिल्ली जाता है।

श्री नारायण चंदेल :- अब दिल्ली जाता है या यहां की बिल्ली ले जाती है, यह तो पता नहीं। लेकिन वह गांव वाले बेचारे प्रदूषण खा रहे हैं। वहां की सड़कें खराब हो रही हैं, वहां के जल का दोहन हो

रहा है और इस सरकार को अता-पता भी नहीं है। हर लोगों को धोखे में रखना। आज आपने विधान सभा के अंदर कह दिया कि जहरीली शराब से मौत नहीं हुई, जहर पीकर मौत हुई। इतना झूठ बोलना अगर किसी सरकार में हिमाकत है तो इस भूपेश बघेल जी की सरकार में है। माने आश्चर्यजनक बात है कि आपने सदन को गुमराह कर दिया। आपने प्रश्न के उत्तर में खुद कहा कि एक भी मौत जहरीली शराब से नहीं हुई है। यह मेरे क्षेत्र का मामला है। क्या शासन और प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है? हम आपको किस बात के लिए राशि दें? एक तरफ गांव के किसान जहरीली शराब से मौत के आगोश में समा रहे हैं। उसमें सेना का भी जवान है। जो इस प्रदेश सरकार के लिए लज्जाजनक है। सेना का जवान अपने ड्यूटी से अपने गांव में आये थे और उसके बाद जांच की कोई कार्रवाई नहीं, पी.एम. रिपोर्ट का कोई खुलासा नहीं, वहां पर आज तक कोई जिम्मेदार अधिकारी गया नहीं, शासन का अंतिम व्यक्ति उनका आंसू पोंछने नहीं गया, कोई मुआवजा दिये नहीं। यह किस प्रकार की सरकार है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। यह किसके संरक्षण में चल रहा है? अवैध शराब का कारोबार पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, नगर के हर वार्ड, मोहल्लों में चल रहा है। इसका सरगना कौन है? इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? जब हम शासन के अधिकारियों से बात करते हैं तो कहते हैं कि यह ऊपर के इशारे पर होता है। यह ऊपर कौन है? नीचे में यह काम हो रहा है और यह काम ऊपर के इशारे में हो रहा है इसलिए हम इस अनुपूरक बजट का विरोध करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब उमेश जी जवाब दे रहे थे। आपने बेरोजगारी भत्ते के लिए मूल बजट में 250 करोड़ रूपए रखा था। 50 करोड़ रूपये अभी रखा था। मात्र 300 करोड़ रूपये रखा है। आपने स्वयं स्वीकार किया है कि यहां पर 16 लाख 40 हजार पंजीकृत बेरोजागर हैं। आप 300 करोड़ रूप में 16 लाख 40 हजार बेरोजगार नौजवानों को राशि दे सकते हैं? यह धोखेबाजी नौजवानों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना, उनके भविष्य के साथ में धोखा करना, उनकी भावनाओं को आहत करना। हम घोटाले की बात अविश्वास प्रस्ताव में करेंगे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री मोहन मरकाम) :- चंदेल साहब, 15 सालों में आपने 90 करोड़ ही दिया। हमने तो तीन महीने में ही उतना दिया है। आपकी सरकार 15 साल रही। आपकी सरकार ने वर्ष 2003 में 500 रूपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। आपकी सरकार ने कितना दिया? 15 साल में मात्र 90 करोड़ रूपया दिया। हमारी सरकार दे रही है।

श्री नारायण चंदेल :- आपने तो रोजगार देने की बात कही थी। जो पी.एस.सी. में परीक्षा दिलायें, आपने उनका गला घोंट दिया।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- उपाध्यक्ष महोदय, देश के युवा मन 2 करोड़ रोजगार ला पूछत हे।

श्री नारायण चंदेल :- जय स्तंभ चौक में पी.एस.सी. का रेट टांग देना था कि डिप्टी कलेक्टर का 1 करोड़ रूपये, तहसीलदार का 70 लाख रूपये है। जब पी.एस.सी. की परीक्षा हो तो उसको भी कर देना।

जब मैं एक गांव में गया था, तब वहां महिलाएं गाना गा रही थीं कि हमरो बनवती बना देते न, हमरो लइका ला डिप्टी कलेक्टर बना देते न। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या चीज है? यह सरकार है, सरकार है कि सर्कस है ? पहली बार पीएससी में घोटाला हुआ है। व्यापम में घोटाला हो गया, भर्ती में घोटाला हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? क्या हम इनको इस बजट में घोटाला करने के लिये पैसा दें ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप जो व्यापम घोटाले वाली बात कह रहे हैं, मध्यप्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- जेन मन पढ़-लिखकर बने हें ओमन के दिल ला दुख होत होही । अइसनहे झन गोठियावा भई ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- नेता जी, क्या आपको अचानक से मध्यप्रदेश व्यापम घोटाला याद आ गया ?

श्री रामकुमार यादव :- काबर कि दुनों के टीवी हा एके ठन हे । छत्तीसगढ़ अउ मध्यप्रदेश दोनों के एके ठन हे ।

समय :

5.06 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, जो छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं, यहां के जो बेरोजगार नौजवान हैं । उनको हम कैसे खुशहाल बनायेंगे ? इस अनुपूरक में कोई ऐसा भाव नहीं दिखता, कोई ऐसे भाव को प्रकट नहीं किया गया है । इस अनुपूरक में हम सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ायेंगे, यह सरकार एक इंच भी सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा पायी है । एक यूनिट बिजली पैदा नहीं कर पायी है । यह हालचाल चल रहा है । आपके क्षेत्र में बहुत सी शिकायतें आती हैं । सारागांव, अमरवा, लखाली में कि बिजली बिल जो है गांव में रहने वाले मजदूर के यहां बर्तन मांजने वाले, काम करने वाले कामगार के यहां 15,000-20,000, 25,000 रूपये बिजली बिल आता है । यह सारी स्थितियां हैं, इसको सुधारने की आवश्यकता है लेकिन यह सरकार सुधार नहीं पा रही है क्योंकि अब इस सरकार की चलाचली की बेला आ गयी है ।

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, आपने वह कहां का बताया था कि बिजली चेक करने के लिये कैण्डिल लेकर चढ़े थे करके ? आपने पिछली बार बताया था ।

श्री रामकुमार यादव :- ओहा उत्तरप्रदेश हे गा ।

श्री नारायण चंदेल :- उमेश जी, आजतक उत्कृष्ठ खिलाड़ियों की उस कोटे से जो नौकरी लगती है । पौने 5 साल गुजर गये, आप स्वयं भी युवा हैं। मैं अभी एक प्रतियोगिता में गया था तो वे बता रहे

थे कि खिलाडियों की इतनी दयनीय स्थिति कभी नहीं हुई थी जो इस सरकार में हुई है । अब तो आपकी विदाई का समय आ गया है । अब छत्तीसगढ़ ओलम्पिक के बारे में जो किया उसको मैं नहीं छेड़ता ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- जेन मन पदक जीत के हमर देश बर लाय रहिन हे ओमन के काय हुइस ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- महिला पहलवानों का क्या हुआ ?

श्री नारायण चंदेल :- अब सुन न, लंका में सोन के भूति मिलत हे । उंहां के चर्चा ला छोड़ न, इहां के ला करिन । छत्तीसगढ़ के बात ला करिन ।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- तुमन दिल्ली ले आ के असत्य बोलिहा अऊ छत्तीसगढ़ के बात ला करिहा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश में हमारी शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा कर दी । क्या आप करेंगे ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- हमरो मुख्यमंत्री करही ।

श्री अरूण वोरा :- नेता जी, मध्यप्रदेश की जो सरकार है न वह धोखे की सरकार है । धोखे से आ गयी है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे । हमारे क्षेत्र के सरपंच यहां आये हुए हैं । मुझे अभी उनके फोन आ रहे थे । मैंने कहा कि क्यों आये हैं और 1100 से अधिक सरपंच । मैंने कहा कि क्यों आये हो तो उन्होंने कहा कि इस सरकार ने अभी तक पौने 5 सालों में कोई भी राशि हमारे गांवों में नहीं भेजी है और उसमें सब पार्टी के सरपंच शामिल हैं तो गांव की यह दयनीय स्थिति है, गांव कीचड़ से सरोबार हैं । गांव की मूलभूत समस्या का समाधान यह सरकार नहीं कर पा रही है । कुछ सरपंच मुझे बोलने लगे कि हमन गलत समय में सरपंच बन गेन, मैं कहेओं काबर ता कहिन कि परता नइ परत हे । आप समझेंगे । यानी हमन ला पोसात नइ हे तो यह स्थिति है । पइसा देबे तब तो ओहा सेवा करही । माने ठन-ठन गोपाल हे । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विस्तार से चर्चा हुई । बाकी जो है, हम अविश्वास प्रस्ताव पर नये-नये तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे लेकिन मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यह जो अनुपूरक है । इसमें छत्तीसगढ़ के काम का कहीं प्रतिबिंब नहीं दिखता । छत्तीसगढ़ की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई लेखा-जोखा नहीं दिखता । यह तो ऊपर के खर्चे के लिये इन्होंने अनुपूरक लाया है। इसमें छत्तीसगढ़ के विकास की कोई झलक नहीं दिखती कि 3 महीने में हम कौन-कौन से काम को हम पूरा करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुपूरक का विरोध करता हूं और आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक पर जिन सदस्यों ने भाग लिया, सर्वश्री माननीय अजय चन्द्राकर जी, माननीय बृहस्पत सिंह जी, माननीय प्रमोद कुमार शर्मा जी, माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय राजमन बेंजाम जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, माननीय श्री अरूण वोरा जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी, उन्हें धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अजय जी ने भाषण की शुरूआत की। श्री बृजमोहन जी ने कहा कि हमें 10 मिनट का समय दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 10 मिनट का समय दिया, उसमें माननीय अजय जी ने 1 घंटे का भाषण दिया। 1 घंटे से ज्यादा का ही भाषण दिये। यदि कहीं 2-4 घंटे का समय मिल जाता तो पता नहीं मुझे कम से कम 10-11 बजे रात में बोलने के लिए मिलता। आज पता नहीं अजय जी को क्या हो गया है? माननीय अजय जी, आप ऐसे तो नहीं थे। आज आपके कदम बिल्कुल बहके-बहके से हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बरसात लग गे हे न। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- चिखला में बिछल गे का? (हंसी) अध्यक्ष महोदय, वैसे सावन का महीना है, भोले-भंडारी का महीना है। सावन मास की सबको बधाई। हम लोग 2 दिन पहले हरेली मनाये, उसके लिए भी बधाई और शुभकामना। इस साल तो 2 सावन है तो 8 सावन सोमवारी। खूब अवसर है। इस साल वैसे भी बरसात में थोड़ा सा विलंब हुआ। सब लोग चिंतित हो गये थे, लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो लगातार हो रही है। कहीं थोड़ा बहुत कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंद्र भगवान इसे भी पूरा करेंगे और अभी सभी बांधों की स्थिति भी सामान्य है। पूरा तो नहीं भरा है, लेकिन फिर भी 60-65 प्रतिशत जलभराव सभी बड़े और मध्यम श्रेणी के बांधों में हो गया है तो फसल अच्छी होने की पूरी संभावना है और आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में एक साल भी अकाल का सामना नहीं करना पड़ा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और पूरे सदन सदन को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, वैसे इनका जो भाषण था, उसमें हमारे जो साथी हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की प्रैक्टिस कर रहे थे। हम अविश्वास प्रस्ताव में पहले भी जवाब दे चुके हैं। बृजमोहन जी ने शुरूआत की थी और उसका हश्र भी देखे। पहले जब आये थे तो 15 थे, बाद में 14 हो गये, अब 13 हो गये। तो शक्ति भी घटते जा रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है। यदि कोई सदस्य दल बदल लेता, यदि कोई सदस्य इस्तीफा दे देता, हमारी संख्या कम होती तो यह स्वीकार होती। 2 सदस्य मरे हैं। उसको संख्या बल में शामिल किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं? एकाध हम लोग और मर जाये क्या? और कल गिनती के लिए 12 हो जायें।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक सदस्य तो आपके अकर्मण्यता के कारण मर गये।

श्री भूपेश बघेल :- भगवान करे कि आप सतायु हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- और दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके कार्यकाल में सर्वाधिक 4 लोग मरे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, हम लोग उप चुनाव जीते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- चुनाव जीते या न जीते, वह अलग विषय है। मरे हैं, आप उसकी गिनती कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- तब तो 14 हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, आपने 13 किया न। चलिए, कल 12 हो जाते हैं। एकाध और मर जाते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हमने विद्यारतन भसीन जी को श्रद्धांजलि दी है। जितनी पीड़ा आपको थी, उतनी पीड़ा हमें भी है। वे हमारे जिले से हैं और हमारे मित्र भी रहे हैं। मैंने केवल आपकी संख्या बतायी है। मैं किसी के मरने की अपेक्षा नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि सतायु हों। आप तो और ज्यादा डेढ़ सौ साल कबीर जैसे जीयें, है न। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़ों की बात है, जिसे सदन के सामने प्रस्तुत करना मेरा नैतिक दायित्व है और उसी में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का जवाब आ जायेगा । नेता प्रतिपक्ष जी बहुत सारी ऐसी बातें भी कह रहे थे जो पुरानी हो गई हैं । जैसे सरपंच लोग कहते हैं, वैसे ही आपके हर भाषण में उल्लेख रहता है ।

श्री नारायण चंदेल :- मुख्यमंत्री जी, आज नया रायपुर में 1100 सरपंच धरने पर बैठे हैं, आप जानकारी ले लीजिए ।

श्री भूपेश बघेल :- 11 हजार में से सिर्फ 11 सौ सरपंच ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप गलत रिकॉर्ड दे रहे हैं, वे लोग आपके भेजे हुए हैं, कोई सरपंच लोग नहीं बैठे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा । प्रथम अनुपूरक अनुमान को ही मैं आपके सामने एक नजर में प्रस्तुत करना चाहता हूं । वर्ष 2023 के मुख्य बजट में 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का प्रावधान था । यह प्रथम अनुपूरक है इसका आकार 6032 करोड़, इसको मिलाकर बजट का आकार 1 लाख, 27 हजार, 532 करोड़ का हो गया है । प्रथम अनुपूरक में राजस्व व्यय 2977 करोड़, पूंजीगत व्यय 3055 करोड़ । 2023-24 के मुख्य बजट में राजकोषीय घाटा 15,199 करोड़, 52 लाख । वर्ष 2023-24 के लिए जी.एस.डी.पी. 5 लाख 9 हजार, 43 करोड़ । प्रथम अनुपूरक सहित राजकोषीय घाटा 20 हजार 40 करोड़, जी.एस.डी.पी. का 3.94 प्रतिशत । अध्यक्ष महोदय, विगत 2 वर्षों में राजस्व आधिक्य की स्थिति रही है तथा वित्तीय घाटा एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अंतर्गत निर्धारित सीमा के 3 प्रतिशत के भीतर ही रहा । 2021-22 में राजस्व आधिक्य 4624 करोड़ तथा 2022-23 में 7973 करोड़ रहा, चालू वर्ष 2023-24 के बजट में भी 3500 करोड़ का राजस्व

आधिक्य अनुमानित है । इसी प्रकार 2021-22 में वित्तीय घाटा 6095 करोड़ रहा । जो उस वर्ष के जी.एस.डी.पी. का 1.50 प्रतिशत रहा । इसमें जीएसटी ऋण 4965 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय हेतु दीर्घावधि ऋण 423 करोड़ शामिल है जो केन्द्र सरकार से प्राप्त है । कोरोना के समय जो व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई उसी के तहत यह ऋण मिला है । इसको कम करने पर वित्तीय घाटा केवल 707 करोड़ ही रहा, जो जी.एस.डी.पी. का मात्र .17 प्रतिशत है । वर्ष 2022-23 में 5888 करोड़ रहा जो जी.एस.डी.पी. का 1.29 प्रतिशत, इसमें केन्द्र से प्राप्त पूंजीगत व्यय हेतु दीर्घावधि 2942 करोड़ रूपया शामिल है । इसे कम करने पर वित्तीय घाटा केवल 2946 करोड़ ही रहा । जो जी.एस.डी.पी. का मात्र .64 प्रतिशत है । इस वित्तीय घाटे में भी राज्य के द्वारा लिया गया शुद्ध ऋण 1038 करोड़ ही है, जो जी.एस.डी.पी. का मात्र .23 प्रतिशत है । उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है, नेता जी आप बेकार की चिंता न करें । राज्य की स्थिति बहुत अच्छी है । लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समस्त वर्गों को लाभान्वित करने के साथ-साथ विकास हेतु पर्याप्त संसाधन भी जुटाए गए हैं । 30.06.2023 की स्थिति में राज्य का बकाया ऋण 86263 करोड़ है जो कि इस वर्ष के जी.एस.डी.पी. का केवल 16.9 प्रतिशत है । इसमें भी जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान के एवज में 2021-22 में केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण 8074 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय हेतु प्राप्त दीर्घावधि ऋण 3651 करोड़ सहित कुल 11725 करोड़ शामिल है । जीएसटी ऋण का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा ही जीएसटी शेष फंड से किया जाएगा तथा पूंजीगत व्यय हेतु प्राप्त ऋण 50 वर्ष उपरांत बिना ब्याज के केन्द्र सरकार को चुकाया जाना है । इस प्रकार कुल 11725 करोड़ ऋण को कम करने पर राज्य का बकाया ऋण 74,538 करोड़ रूपए ही है जो कि जी.एस.डी.पी. का केवल 14.6 प्रतिशत है। यह केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा से बहुत कम है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 74,032 करोड़ रूपए रही तथा ब्याज का भुगतान 5820 करोड़ हुआ, यह राजस्व प्राप्तियां का मात्र 6.2 प्रतिशत है जो कि राज्यों के लिए निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से बहुत कम है। वर्ष 2022-23 में देश के 27 राज्यों ने कुल मिलाकर 7 लाख 49 हजार करोड़ से अधिक का बाजार से ऋण लिया था और इस वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून में 1 लाख 67 हजार 700 करोड़ का ऋण ले चुके हैं। इसमें कुछ बड़े राज्य के लिए, लिए गए निर्णय के आंकड़े वर्ष 2022-23 और 2023-24 के प्रथम तिमाही के आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तमिलनाडु में 85 हजार करोड़ और प्रथम तिमाही में 21 हजार करोड़। महाराष्ट्र 72 हजार करोड़ और प्रथम तिमाही में 25 हजार करोड़। आंध्रप्रदेश 60 हजार करोड़ और प्रथम तिमाही में 22,500 करोड़। पश्चिम बंगाल 56 हजार करोड़ और प्रथम तिमाही में 5 हजार करोड़। उत्तरप्रदेश 55,158 करोड़ और प्रथम तिमाही में 10 हजार करोड़। हरियाणा 45,158 करोड़ और प्रथम तिमाही में 10 हजार करोड़। पंजाब 43,163 करोड़ और प्रथम तिमाही में 13,500 करोड़। गुजरात 43 हजार करोड़

और प्रथम तिमाही में 5500 करोड़। मध्यप्रदेश 40 हजार करोड़ और प्रथम तिमाही में 6 हजार करोड़। तेलंगाना 40 हजार करोड़ और प्रथम तिमाही में 12 हजार करोड़। जबकि छत्तीसगढ़ द्वारा वर्ष 2022-23 में केवल 2 हजार करोड़ का बाजार ऋण मार्च के अंत में लिया था और पूरे वर्ष में पुराने बाजार ऋण का भुगतान 4,500 करोड़ किया था। आप कहते हैं ना कि ऋण पटाने के लिए ऋण ले रहे हैं। हमारी स्थिति नहीं है, जो मूल ऋण है, उसमें से हमने पटाया है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में राज्य द्वारा लिया गया शुद्ध ऋण मात्र 865 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में लिया गया शुद्ध ऋण (-3619) करोड़ है, अर्थात विगत् दो वर्षों में राज्य का ऋण भार 2,745 करोड़ कम ही हुआ है, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा मई 2023 की स्थिति में 137 लाख 42 हजार करोड़ का ऋण भार है, जो कि देश के जी.एस.डी.पी. का 45.5 प्रतिशत है, यह केन्द्र की स्थिति है, उसके बारे में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब कुछ नये काम कर रहे हैं, मैं आपको उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा जो इस अनुपूरक बजट में है। जन उपयोगी योजना के तहत् अब तक के 509 करोड़। सुगम सड़क योजना, जिसमें 509 करोड़ की लागत से 4,185 मार्गों की स्वीकृति दी गयी थी, इसके अंतर्गत 2,947 कार्य पूर्ण किया जाकर लगभग 3 हजार शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों के मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक ईकाइयों का अनुदान, प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत अनुदान के भुगतान हेतु 100 करोड़ का प्रथम अनुपूरक में अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इस योजना के तहत् मुख्य बजट में 300 करोड़ का प्रावधान पहले से किया गया था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के मरम्मत एवं रख-रखाव की मांग को देखते हुए 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। पुन्नूलाल मोहले जी सो रहे हैं। आज जो प्रश्नकाल में बात किए थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं सो रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- सुन रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ही ध्यानपूर्वक मेरी बात सुन रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- तन्मयता से सुन रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हां तन्मयता से सुन रहे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए रीपा की स्थापना की गयी। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 156 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

खाद्य सुरक्षा, प्रदेश में बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न पी.डी.एस. केन्द्रों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था है। व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए पी.डी.एस. केन्द्रों के संचालकों को डीलर मार्जिन की राशि प्रदाय करने हेतु 95 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कुपोषण की कमी हेतु फोर्टिफाइड राइस का वितरण प्रारंभ किया गया है, इसके लिए अनुपूरक बजट में 76 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए ग्राम देवपुर, जिला-धमतरी, बेन्द्री, कुररू एवं डोमा, जिला-रायपुर, नेवसा एवं घोटमर्रा, जिला-बेमेतरा, अमोदी एवं तुमराबहार, जिला-धमतरी, नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। ग्राम-समोदा एवं घोटवानी, जिला-दुर्ग, शेर, जिला-महासमुंद, हिरमी एवं तिल्दाबांधा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा, परहदा, मढ़ही एवं जाराकुम्हारी, जिला-रायपुर, सिकोसा, जिला-बालोद, सटेरा एवं अंजोरा, जिला दुर्ग, बकावण्ड, जिला-बस्तर में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पद क्रम-16 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा इससे सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम-नर्रावा एवं घुच, जिला-महासमुंद, ठेलका एवं खैरझिटीकला, जिला-बेमेतरा, गम्हारी, जिला-कोण्डागांव के उपस्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु प्रावधान किया गया है। ग्राम-बोरतलाव, जिला-राजनांदगांव, ग्राम-नागपुर, विकासखण्ड-मनेन्द्रगढ़ में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अभनपुर एवं नवापारा, जिला-रायपुर, बोरी, जिला-दुर्ग, बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़, बेरला, जिला-बेमेतरा, धनोरा, जिला-कोण्डागांव, बागबहरा, जिला-महासमुंद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 50 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालि, जिला-कोरबा, ग्राम-नगपुरा, जिला-दुर्ग में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगीचा, जिला-जशपुर को 100 बिस्तर सिविल अस्पताल में उन्नयन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। शासकीय चिकित्सा

महाविद्यालय, रायगढ़, अंबिकापुर एवं बिलासपुर में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के 50-50 सीट की वृद्धि की गई है। इस पर होने वाले व्यय भार के लिए 45 करोड़ रूपये का अनुपूरक में प्रावधान किया गया है।

शिक्षा, प्राथमिक शाला, सटापाली, विकासखण्ड-बागबहरा, प्राथमिक शाला, पुरैना, खपरी, विकासखण्ड-बलौदाबाजार, प्राथमिक शाला, खुडगुना, विकासखण्ड-पिथौरा, प्राथमिक शाला, घोरभट्ठी, विकाखण्ड-अभनपुर, प्राथमिक शाला, तर्रा, विकासखण्ड-अभनपुर, प्राथमिक शाला, खम्हरिया, विकाखण्ड-तिल्दा, प्राथमिक शाला, तराजू, विकासखण्ड-लखनपुर, प्राथमिक शाला, करगाडीह, विकासखण्ड-दुर्ग का पूर्व माध्यमिक शाला में उन्नयन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। 29 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में एवं 59 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। 25 नवीन आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। ग्राम-भंवरपुर एवं कोमाखान, जिला-महासमुंद, ग्राम-तामासिवनी, जिला-रायपुर, ग्राम-भिंभौरी, ठेलका एवं बोरतरा, जिला-बेमेतरा, ग्राम-जरहागांव, जिला-मुंगेली, ग्राम-नगपुरा, जिला-दुर्ग, ग्राम-रामपुर व उमरेली, जिला-कोरबा में नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए 150 करोड़ एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए 250 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। "स्वच्छ भारत मिशन" अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेंजमेंट कार्यक्रम के लिए 206 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

राजस्व, गिरौधपुरी, जिला-बलौदाबाजार में नवीन तहसील तथा ओरछा, जिला-नारायणपुर एवं गीदम, जिला-दंतेवाड़ा में नवीन अनुभाग कार्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक भूमि स्वामी को उनके स्वामित्व की भूमि की जानकारी के लिए B-1 और खसरा भाग-1 एवं भाग-2 की प्रतियां नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राज्य के किसानों की आय की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थानीय संसाधानों के माध्यम से मजबूत बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए इसे लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित करने के लिए हमने वर्ष 2019 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना। प्रारंभ की थी । अभी तक इसमें 18 लाख, 43 हजार किसानों को लाभ दिया गया, जिसमें 23 लाख, 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है । योजना के आरंभ से अब तक 20103 करोड़ की आदान राशि किसानों को भुगतान की जा चुकी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप तो ऐसे न थे । आपके सिवाय आज कोई दूसरा सदस्य बोल रहा होता तो हम बोलते कि भाई साहब, आप उसको पटल पर रख दीजिए । आप तो ऐसे न थे, आप तो ऐसे न थे कागज देख-देखकर पढ़ने वाले । आपका आत्मविश्वास हिल गया है, कौन, क्या लिखकर दे दिया है । एक्सटेम्पोर बोलने वाला

आदमी ऐसा कागज लेकर आज बोल रहा है । ये क्या परिवर्तन आ गया है, आप क्यों आत्मविश्वास खो चुके हैं, क्यों कागज पर निर्भर हो गए हैं ? कुछ ज्यादा दबाव हो तो बताईए, ज्यादा दबाव है तो हम लोग चले जाते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आप तो बैठिए । ऐसा है । अब गांव के नाम है, मेरे पास टेलीकाउन्टर की सुविधा विधान सभा में नहीं है । (हंसी) यदि उसको देखकर बोलना होता तो वैसे ही बोल देता, लेकिन जो आंकड़े हैं, मैंने कहा और मेरा यह दायित्व है कि इस आंकड़े को सदन के सामने प्रस्तुत करूं तो वह सब मुझे बताना पड़ेगा । अभी आप लोगों ने भेंट, मुलाकात कार्यक्रम के बारे में बताया था कि आपने घोषणा कर दी थी । वह सब जो छूट गया था, उस सबको इसमें शामिल किया इसलिए मैंने पढ़कर बताया । उसके बाद भाषण ही सुनना है तो सुना देता हूं, आप चिन्ता मत करिए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ रहे हैं कि क्या-क्या प्रावधान है ? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप गिरौधपुरी गए थे और गिरौधपुरी में बाबा गुरू घासीदास जी की जन्मस्थली में गुरूकुल संस्थान् खोलने की आपने घोषणा की थी, वह केंसिल हो गया । इसमें आप कुछ कहेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- हमारे विधायक जी की मांग थी । आप मांग को घोषणा मत समझिए न । मांग अलग चीज है, घोषणा अलग है । उन्होंने मांग की थी, निश्चित रूप से मांग की थी तो जो बजट में आ गया, उसको बार-बार थोड़ी बोलूंगा । नये चीज को बोला जाएगा, वह तो बजट में है ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने प्रावधान कहा था, तब मैं बोल रहा हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, हां । प्रावधान होगा, बजट में पिछले समय बोला, वह प्रावधान है, वह बजट में है, वह कहां जाएगा । दो साल तक वैसे ही जीवित रहता है। 6 हजार करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट है तो हमने जो प्रावधान किये हैं, उसका उल्लेख तो करूंगा । आखिर सदन से खर्च करने की अनुमति मांग रहा हूं तो क्या-क्या काम करना है, वह तो बताना पड़ेगा न । अब आप बोल रहे हैं कि एक्सटेम्पोर बोलिए तो मैं एक्सटेम्पोर कैसे बोल सकता हूं । यह आंकड़े हैं, उसको आपको बताना पड़ेगा । अब एक्सटेम्पोर में मैं आपके लिए परसों के लिए बचाकर रखना चाहता हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने ढाई घंटे में आपके बजट को पूरा पढ़ लिया । पहले आपने 10 मिनट समय दिया था, ढाई घंटा तय किया ।

श्री भूपेश बघेल :- इसके बाद जो सुनना चाहते हैं, उसी को सुना दूंगा । 2023-24 में स्वच्छ पेय जल योजना में 29 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेज जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 5,47,618 परिवारों घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है और निर्माणाधीन परियोजना के लिए 1100 करोड़ रूपए का अतिरिक्त प्रावधान अनुपूरक में किया गया है । अब इसको कैसे इतना याद रखूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, शाला भवनों के संधारण इसमें हमने जो शाला जतन योजना शुरू की है, उसमें 525 करोड़ रूपए का प्रावधान है । इस योजना के तहत प्रदेश में 1868 विद्यालयों के मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है और 13557 कार्य प्रगति पर है । निर्माणाधीन कार्यों के लिए 475 करोड़ रूपए के अतिरिक्त राशि का प्रावधान भी किया गया है । धर्मजीत भैया, आप कृषि पम्पों के उर्जीकरण के लिए हमेशा चिन्ता करते हैं, यह आपका प्रिय विषय है, आप बोलते रहे हैं । 2018-19 से 2022-23 तक 94129 कृषि पम्पों के लाईनों का विस्तार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । शेष 55666 लंबित पम्पों के ऊर्जीकरण हेतु मुख्य बजट में प्रावधानित 299 करोड़, 29 लाख रूपए के अतिरिक्त अभी जो अनुपूरक बजट है, उसमें 335 करोड़, 32 लाख रूपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है, जिसमें से सभी पम्पों को ऊर्जीकृत किया जाएगा । (मेजों की थपथपाहट) अभी 55 हजार आवेदन आये थे, उसमें 299 करोड़ रूपए का पहले बजट प्रावधान है, उसमें 300 करोड़ रूपए का प्रावधान और कर दिया गया है , कुल 600 करोड़ रूपये हो गया। नया मांग आयेगा तो फिर नया होगा। बरसात के बात खुदाई होगी, फिर मांग होगी तो अगले सत्र में फिर मांगियेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण घोषणा से पूरे सदन और प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूं। राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रतिवर्ष लगभग 8 सौ करोड़ रूपये का व्यय भार आयेगा। (मेजों की थपथपाहट) नियमित वेतनमान के समकक्ष निर्धारित संविदा वेतन पर विभिन्न विभागों में कार्यरत लगभग 37 हजार संविदा कर्मचारियों को देय एकमुश्त संविदा वेतन में 27 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। इससे लगभग साढ़े तीन सौ करोड़ का अतिरिक्त भार अनुमानित है। (मेजों की थपथपाहट) न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधान अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक/मासिक वेतन पर शासकीय विभागों में कार्य करने वाले अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल एवं उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को 4 हजार रूपये मासिक श्रम सम्मान राशि दिए जाने की घोषणा करता हूं। मतलब जितना मिल रहा है, उसको 4 हजार रूपये अतिरिक्त मिलेगा।(मेजों की थपथपाहट) स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2 हजार रूपया अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) पटवारियों को भी प्रतिमाह 5 सौ रूपये संसाधन भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) शासकीय कर्मचारियों को छठवे वेतनमान के स्थान पर सातवें वेतनमान के आधार पर 'बी' श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत, 'सी' एवं अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6 प्रतिशत की दर से गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) 15 वर्ष से कम सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता में 2 हजार 5 सौ एवं 15 वर्ष से अधिक सेवाकाल वाले पंचायत सचिवों के लिए 3 हजार रूपये विशेष भत्ता वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश, 10 लाख

तक के उपादान राशि एवं 5 लाख तक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा करता हूं। पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न आयटम्स के एवज में कुल समतुल्य राशि से अधिक कुल 8 हजार रूपये वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मितानीन ट्रेनर, ब्लाक को-आर्डिनेटर एवं हेल्थ ड्रेस आपरेटरों को दैनिक प्रोत्साहन राशि में सौ रूपये प्रतिदिन वृद्धि की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) मुख्यमंत्री विशेष स्व सहायता योजना अन्तर्गत अधिकतम सहायता राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सूची में सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से वर्तमान स्थिति में प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृति में कठिनाई हो रही है। इसे दूर करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर पात्र परिवारों के लिए राज्य के संसाधन से ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए बजट में सौ करोड़ का प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे प्राथमिकता आवासहीन परिवारों को पक्का आवास देना है। वैसे मैं आज पढ़कर बोला हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट अउ सुन ना मालिक। अभी जैसे घोषणा किए हो, वह अच्छा है, आप चुनाव में जाने वाले हो। लेकिन सदस्यों की मांग पर आपने विनियोग में घोषणा की थी, उसका क्या होगा ? वह अगली बार आयेगा ?

श्री भूपेश बघेल :- आप उसकी चिंता मत करें, अजय जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- चिंता क्या भईया, जो आपने घोषणा की थी वह तो अनुपूरक में तो दिख ही नहीं रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- होगा ना, आप चिंता मत करो।

श्री अजय चन्द्राकर :- और कहां बजट आयेगा भईया ?

श्री भूपेश बघेल :- हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, समय भी काफी हो चुका है। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि जो अनुपूरक अनुमान है, उसे सर्वसम्मति से पारित करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च 2024 को समापत होने वाल वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31, 32,34,36,37,39,41,42,43,44,47,54,55,56,64,65,66,67,68,69,71,79,80,8 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छ:हजार इकतीस करोड़, पचहत्तर लाख, दो हजार, नौ सौ सतहत्तर रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय :

5.42 बजे

<u>छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023)</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन् 2023) का पुर:स्थापन करता हूँ ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 14 सन) 2023) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2023 (क्रमांक 14 सन 2023) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2023 (क्रमांक 14 सन 2023) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक 2023 (क्रमांक 14 सन 2023) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही गुरूवार दिनांक 20 जुलाई 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

(सायं 5 बजकर 54 मिनट पर बजे विधान सभा की कार्यवाही, गुरूवार, दिनांक 20 जुलाई 2023 (आषाढ़-29 शक संवत् 1945) के पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग)
दिनांक 19 जुलाई 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं